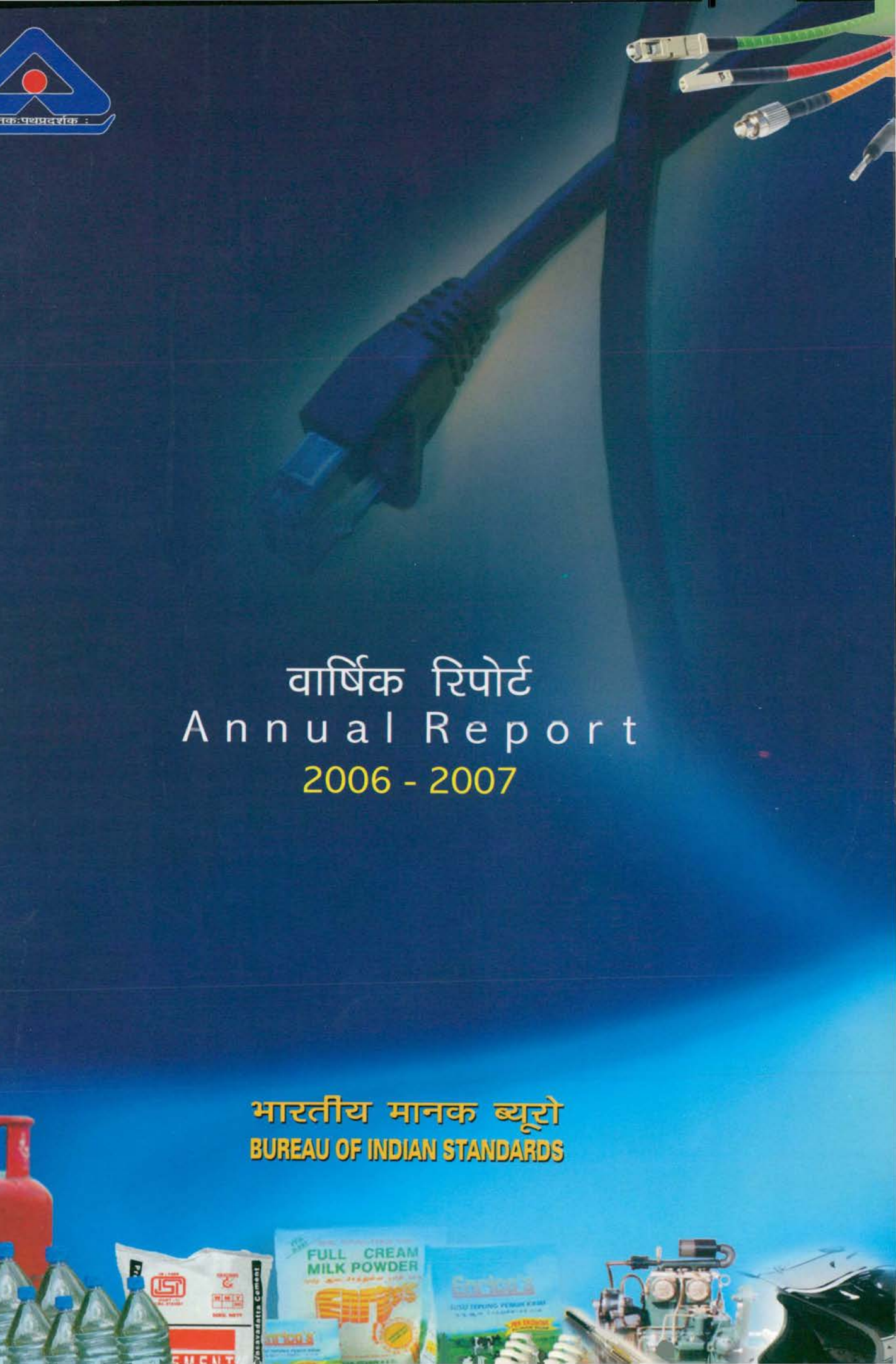

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2006 - 2007

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

ब्यूरो के प्रधान अधिकारी, कार्यकारिणी समिति और महानिदेशालय
(31 मार्च 2007 के अनुसार)

PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (as on 31 March 2007)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

अध्यक्ष	President	श्री शरद पवार केंद्रीय कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री	Shri Sharad Pawar Union Minister for Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution
उपाध्यक्ष	Vice President	श्री तस्लीमुद्दीन राज्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री	Shri Taslimuddin Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति	Chairperson, Executive Committee	श्रीमती अलका सिरोही महानिदेशक, भा मा ब्यूरो	Smt. Alka Sirohi Director General, BIS

भा मा ब्यूरो महानिदेशालय BIS DIRECTORATE GENERAL

मुख्यालय	Headquarters		
महानिदेशक	Director General	श्रीमती अलका सिरोही	Smt. Alka Sirohi
अपर महानिदेशक	Additional Director General	श्री राकेश वर्मा	Shri Rakesh Verma
अपर महानिदेशक	Additional Director General	श्री यशपाल सिंह	Shri Yash Pal Singh
मुख्य सतर्कता अधिकारी	Chief Vigilance Officer	श्री अनंत ढुल	Shri Anant Dhul
उप महानिदेशक	Deputy Director General		
प्रशासन	Administration	श्री दीपक के. सिंह	Shri Deepak K. Singh
वैज्ञानिक 'एफ' (उप महानिदेशक)	Scientist F (Deputy Director Generals)		
प्रयोगशाला	Laboratory	श्री चंदर शेखर	Shri Chander Shekhar
मुहरांकन	Marks	श्री एस. के. चौधरी	Shri S. K. Chaudhury
तकनीकी	Technical	श्री एस. एम. भाटिया	Shri S. M. Bhatia
हॉलमार्किंग	Hallmarking	श्री ए. के. तलवार	Shri A. K. Talwar
परियोजना, योजना और समन्वय	Project, Planning & Co-ordination	श्री सुखबीर सिंह	Shri Sukh Bir Singh

क्षेत्रीय कार्यालय	Regional Offices		
वैज्ञानिक 'एफ' (उप महानिदेशक)	Scientist F (Deputy Director Generals)		
मध्य क्षेत्र	Central Region	श्री एस. के. गुप्ता	Shri S. K. Gupta
पश्चिमी क्षेत्र	Western Region	श्री ए. एस. बासु	Shri A. S. Basu
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	श्री एस. दासगुप्ता	Shri S. Dasgupta
दक्षिणी क्षेत्र	Southern Region	श्री पी. सेनगुप्ता	Shri P. Sengupta
उत्तरी क्षेत्र	Northern Region	श्री भूपेन्द्र सिंह	Shri Bhupinder Singh

अभिलेख
ARCHIVES

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2006-07

भारतीय मानक ब्यूरो पुस्तकालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS LIBRARY
4164 (Misc)
दिनांक Date 9-6-2010
नई दिल्ली NEW DELHI

भारतीय मानक ब्यूरो पुस्तकालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS LIBRARY
दिनांक Date 300508
नई दिल्ली NEW DELHI

मानक: पथप्रदर्शक :

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

विषय सूची
CONTENTS

1. सिंहावलोकन
Overview 1

2. नीतिगत कार्यप्रणालियाँ और आयोजना
Policy Strategies and Planning 4

3. मानक
Standards 4

4. प्रमाणन
Certification 20

5. प्रयोगशाला सेवाएँ
Laboratory Services 31

6. सतर्कता गतिविधियाँ
Vigilance Activities 34

7. तकनीकी सूचना सेवाएँ
Technical Information Services 37

8. प्रशिक्षण सेवाएँ
Training Services 41

9. उपभोक्ता संबंधित गतिविधियाँ
Consumer Related Activities 43

10. अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ
International Activities 45

11. कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन
Computerization and Office Automation 54

12. परियोजना प्रबंध
Project Management 55

13. मानव संसाधन विकास
Human Resource Development 56

14. वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण
Finance, Accounts and Audit 57

सिंहावलोकन
OVERVIEW

भारतीय मानक ब्यूरो पूर्व भारतीय मानक संस्थान (आईएसआई) के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों, देयताओं और प्रकार्यों को लेते हुए एक व्यापक विषयक्षेत्र तथा अधिक अधिकारों सहित संसद के एक अधिनियम, दिनाँक 26 नवम्बर 1986 के माध्यम से दिनाँक 1 अप्रैल 1987 को अस्तित्व में आया। इस परिवर्तन के माध्यम से सरकार ने राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण और कार्यान्वयन में गुणता संस्कृति और सचेतता तथा उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी का माहोल निर्मित करने की कल्पना की।

ब्यूरो केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अध्यक्ष और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में तथा केन्द्रीय एवं राज्य, दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों, संसद, उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और व्यावसायिक निकायों के 25 सदस्यों सहित एक निकाय कॉर्पोरेट है।

भा मा ब्यूरो की संरचना पिछले कवर पृष्ठ के अदरूनी भाग पर दी गई है।

संगठनात्मक नेटवर्क

नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ कोलकता (पूर्वी), चेन्नई (दक्षिणी), मुम्बई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य) में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, राजकोट, तिरूवनन्तपुरम और विशाखापटनम स्थित शाखा कार्यालयों (पिछले कवर पृष्ठ के बाहरी भाग पर दिया गया है) के एक नेटवर्क सहित क्षेत्र की राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों आदि के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करता है।

गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो की गतिविधियाँ स्थूल रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत समूहित की जा सकती हैं:

क) मानक निर्धारण

ख) प्रमाणनः उत्पाद/पद्धतियाँ

ग) प्रयोगशाला सेवाएँ

घ) भारतीय मानकों/अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ड.) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

च) उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ

Bureau of Indian Standards (BIS) came into existence, through an Act of Parliament dated 26 November 1986, on 1 April 1987, with a broadened scope and more powers taking over the staff, assets, liabilities and functions of erstwhile Indian Standards Institution (ISI). Through this change over, the Government envisaged building a climate for quality culture and consciousness and greater participation of consumers in formulation and implementation of National Standards.

The Bureau is a Body Corporate consisting of 25 members representing both Central and State governments, Members of Parliament, industry, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies with Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President and with Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its Vice-President.

The structure of BIS is given on the inside back cover page.

Organizational Network

With BIS Headquarters at New Delhi, a network of 5 Regional Offices at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central) and Branch Offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Bhopal, Coimbatore, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Rajkot, Thiruvananthapuram and Vishakhapatnam (depicted on the back cover page) serve as effective links between State Governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc of the region.

Activities

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

a) Standards Formulation

b) Certification : Product/Systems

c) Laboratory Services

d) Sales of Indian Standards/ other publications

e) International Activities

f) Consumer Related Activities

छ) संवर्धन गतिविधियाँ

ज) प्रशिक्षण सेवाएँ

झ) सूचना सेवाएँ

ञ) वित्तीय, संसाधन–उगाही और उपयोगिता आदि

भारतीय मानक ब्यूरो ने इस बदलते समग्र वैश्विक परिदृश्य में प्रतिबल और गतिशीलता बनाए रखी है तथा वर्ष 2006–07 के दौरान चहुँमुखी प्रगति की है। ब्यूरो में 1453.23 मिलियन रु. की कुल आय दर्ज़ की गई और पिछले वर्ष की आय में 19.12 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। लगातार अठारहवें वर्ष, भा मा ब्यूरो ने अपने आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय स्वयं अपने संसाधनों से पूरे किए।

वर्ष 2005–06 के दौरान कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- विषयों की व्यापक परास को शामिल करते हुए 327 राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण। सार्वजनिक रुचि के कुछ महत्वपूर्ण मानक खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धतियों पर हैं – एकल कैप वाले प्रतिदीप्तिशील लैम्प; परीक्षण मूल्याँकन, एसी बिजली मीटरों की संस्थापना और अनुरक्षण–रीति संहिता; घरेलू फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटिंग उपकरण–आंतरिक प्रबलित वायु संचलन द्वारा ठण्डे किए गए रेफ्रीजरेटर और परीक्षण विधियाँ –विशिष्टि; फालो अप फार्मूला पूरक आहार; वस्त्रोद्योग–गैर घरेलू फर्नीचर के लिए प्रयुक्त अपहोल्स्टर्ड सम्मिश्रों का परीक्षण प्रज्वलन; व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धतियाँ –उपयोग के लिए मार्गदर्शन सहित आवश्यकताएँ; उच्च दृष्टव्यता सहित चेतावनी देने वाले कपड़े; सूचना और प्रलेखन अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन); भवन सामग्री हेतु भारतीय मानकों का सारांश। दिनांक 31 मार्च 2007 को मानकों की कुल संख्या 18 315 रही ।
- अब तक 4 449 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया गया है। उन मानकों की संख्या पर विचार करते हुए, जहाँ संगत आईएसओ/आईईसी मानक मौजूद है, लगभग 74 प्रतिशत मानकों का सुमेलन किया गया है।
- 2 468 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान करना। दिनांक 31 मार्च 2007 को प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 19 286 (हॉल–मार्किंग के अतिरिक्त) है।
- वर्ष के दौरान पहली बार 24 उत्पादों को प्रमाणन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ये उत्पाद हैं पशुधन भोजन के घटक के रूप में सरसों और रेप्सीड तेल केक; क्षैतिज अकेंद्रिक स्वयं प्राइमिंग पम्प; विद्युत उपकरण के धूल रोधी ज्वाला रोधी आवेष्टन; एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट (एमिन प्रकार); षटकोणीय सॉकेट हैड कैप पैंच; दीवार घड़ी (बेटरी से चलने वाली); सामान्य प्रयोजन के लिए बांस की चटाई का बोर्ड; प्राकृतिक मिनरल जल और पैकेजबंद पेय जल को पैक करने के लिए आधान बुझते हाइड्रोकार्बन और ध्रुवीय विलायक तंतुओं के लिए बहु प्रयोजन जलीय पर्त बनाने वाला झागदार तरल सान्द्र; इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल; ठण्डे और गर्म पानी की आपूर्ति के लिए पोलीएथिलीन/एल्युमिनियम/पोलीएथिलीन

g) Promotional Activities

h) Training Services

i) Information Services

j) Financial, Resources – Mobilization and Utilization etc

Bureau of Indian Standards has maintained the thrust and dynamism in the changing global scenario and exhibited an all round progress during the year 2006-07. It recorded a total income of Rs 1453.23 million and a growth of over 19.12 percent over the income in the previous year. For the eighteenth consecutive year, BIS met its recurring and non-plan expenditure from its own resources.

The highlights of achievements during 2006-07 are:

- Formulation of 327 national standards covering wide range of subjects. Some important standards of public interest are on Single capped Fluorescent Lamps; Testing Evaluation, Installation and Maintenance of AC Electricity Meters – Code of Practice; Household Frost-free Refrigerating Appliances – Refrigerators Cooled by Internal Forced Air Circulation and Test Methods – Specification; Follow-up Formula Complementary Foods; Textiles – Resistance to Ignition of Upholstered Composites Used for Non-Domestic Furniture; Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with Guidance for Use; High Visibility Warning Clothes; Information and Documentation International Standard Book Number (ISBN); Summary of Indian Standards for Building Material. The total number of standards in force as on 31 March 2007 were 18 315.
- 4 449 Indian standards have been harmonized with International Standards so far. Considering number of standards where corresponding ISO/IEC Standards exist, about 74 percent standards are harmonized.
- 2 468 Product Certification licences have been granted. The total number of operative licences as on 31 March 2007 were 19 286 (excluding Hallmarking).
- During the year, 24 products were covered for the first time under the certification scheme. These products are Mustard and Rape Seed Oil Cake as Livestock Feed Ingredient; Horizontal Centrifugal Self-Priming Pumps; Dust Tight Ignition Proof Enclosures of Electrical Equipment; Antistripping Agents (Amine type); Hexagon Socket Head Cap Screw; Wall Clocks (Battery Operated); Bamboo Mat Board for General Purpose; Containers for Packaging of Natural Mineral Water and Packaged Drinking Water; Multipurpose Aqueous Film Forming Foam Liquid Concentrate for Extinguishing Hydro Carbon and Polar Solvent Fires; Imidacloprid 17.8 percent SL; Polyethylene/Aluminium/Polyethylene

सम्मिश्र दबाव पाइप; बत्ती उपकरण : फ्लड लाइट; दोहरे सिरे वाले रिंग रैंच (पाने); क्रैंकित; टेबल वाइन; फॉस्फेट विलायक जीवाणु संरोपण; सिरामिक टाइलों और मोजैक के साथ उपयोग के लिए आसंजक; खाद्य मूंगफली का आटा (कोल्हु से निकाला गया); स्वच्छ ठण्डे पानी के लिए उर्ध्व टर्बाइन मिश्रित और अक्षीय प्रवाह; इंसुलीकृत केबल के एल्युमिनियम संवाहकों के लिए संपीडन प्रकार के नालीदार कनेक्टर (संयोजक); काली चाय; स्वच्छ ठण्डे पानी के लिए क्षैतिज अपकेन्द्री पम्प; ग्लिसरोल मोनोस्टिएरेट, खाद्य ग्रेड; एजोस्पाइरिलियम संरोपण; घरेलू तिरछी सिलाई वाली मशीन।

- स्वर्ण/रजत आभूषणों के लिए सरल हॉलमार्किंग योजना के फलस्वरूप 31 मार्च 2007 को लाइसेंसों की संख्या में 3 466 तक की वृद्धि हुई। स्वर्ण आकलन के लिए एक संदर्भ प्रयोगशाला दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, चेन्नई में विकासाधीन है।
- गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना के 74 लाइसेंस, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन 20 लाइसेंस और 9 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए।
- भा मा ब्यूरो मानक मुहर के दुरुपयोग पर संपूर्ण भारत में 212 प्रवर्तन छापे डाले गए और 36 अभियोजन किए गए।
- भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या 26 945 रही।
- वर्ष 2006–07 अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) परिषद् के सदस्य के रूप में भा मा ब्यूरो द्वारा वचनबद्धताओं की पूर्ति। आईएसओ परिषद आईएसओ की उच्चतम नियंत्रण निकाय है।
- विकासशील देशों को मानकीकरण और गुणता आश्वासन पर उनतालीसवाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और विकासशील देशों के लिए प्रबंध पद्धतियों पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की स्थापना को मनाने के लिए 13 अक्तूबर, 2006 में विश्व मानक दिवस का आयोजन।
- दिनाँक 1 से 15 सितम्बर 2006 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन, जहाँ अनेक हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- दिनाँक 6 से 10 नवम्बर 2006 के दौरान "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया।
- दिनाँक 31 मार्च 2007 को भा मा ब्यूरो में 1 833 व्यक्ति कार्यरत थे।

(महानिदेशक)

वेबसाइट : www.bis.org.in

Composite Pressure Pipes for Hot and Cold Water Supplies; Luminaries: Flood Lights; Double Ended Ring Wrenches (Spanners); Cranked; Table Wine; Phosphate Solubilizing Bacterial Inoculants; Adhesive for Use with Ceramic Tiles and Mosaics; Edible Groundnut Flour (Expeller Pressed); Vertical Turbine Mixed and Axial Flow for Clear Cold Water; Compression Type Tubular in Line Connectors for Aluminum Conductors of Insulated Cables; Black Tea; Horizontal Centrifugal Pumps for Clear Cold Water; Glyceryl Monostearate, Food Grade; Azospirillum Inoculants; Household Zig-zag Sewing Machine.

- Simplified Hallmarking scheme for Gold/Silver jewellery has resulted in an increase of number of licences to 3 466 as on 31 March 2007. A referral Laboratory for Gold assaying is under development at Southern Regional Laboratory, Chennai.
- 74 Quality Management System certification licences, 20 Environmental Management Systems certification licences and 9 Occupational Health and Safety Management Systems certification licences were granted.
- 212 enforcement raids were carried out all over India on firms misusing the BIS Standard Mark and 36 convictions took place.
- Number of Test Reports issued by BIS Laboratories was 26 945.
- Fulfillment of obligations by BIS as a member of International Organization for Standardization (ISO) Council for the 2006-07 term. ISO Council is the highest governing body of ISO.
- Holding of the thirty-ninth International Training Programme on Standardization and Quality Assurance for developing countries, and the third International Training Programme on Management Systems for developing countries.
- Celebration of World Standards Day on 13 October 2006 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO).
- Celebration of Hindi Pakhwara during 1st to 15th September 2006 where a lot of different competitions in Hindi were organized.
- Observance of the 'Vigilance Awareness Week' during 6th to 10th November 2006.
- As on 31 March 2007, a total of 1 833 persons were on roll in BIS.

(Director General)

Website : www.bis.org.in

नीतिगत कार्यप्रणालियाँ और आगोजना

भारतीय मानक ब्यूरो वर्ष 1947 से भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में देश में मानकीकरण अभियान का प्रवर्तन और पोषण करने के लिए सफलतापूर्वक कार्य करता रहा है। भा मा ब्यूरो ने अपने प्रचालन को और अधिक उन्नत बनाने के लिए सेवाओं की दक्षता बढ़ाने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।

नई नीतियों/निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन में भा मा ब्यूरो को सलाह देने के लिए वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की तीन बैठकें की गईं, जबकि वर्ष के दौरान वित्त समिति की दो बैठकें आयोजित की गई। वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहलें की गईं:

1. 14 क्षेत्रों को शामिल करते हुए गैस के प्रसारण हेतु प्राकृतिक गैस पाइप लाइन पद्धति पर 29 मानकों का निर्धारण।
2. अनिवार्य हॉलमार्किंग प्रमाणन योजना के लिए चरणगत रूप में तैयारी करना।
3. लाइसेंस प्रदान करने की विधि को सरल बनाना।
4. उत्पाद प्रमाणन और प्रवर्तन गतिविधियों की आउटसोर्सिंग
5. आई एस 15700 : 2005 'लोक संगठनों द्वारा सेवा गुणता हेतु अपेक्षाएँ' के प्रति अनुरूपता प्रमाणन तथा आई एस/आई एस ओ 22000 'खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति' मानक के प्रति अनुरूपता प्रमाणन का शुभारंभ।

मानक

मानक निर्धारण

मानकों के निर्धारण के लिए भा मा ब्यूरो क्रमानुसार विभाग परिषदों द्वारा गठित विषय समितियों उपसमितियों और पैनलों के विशिष्ट समूहों पर कार्य करने के लिए अनुभागीय समितियों द्वारा गठित उपसमितियों और मानक निर्धारण की दिशा में एक केंद्रित मद के लिए गठित पैनलों के संदर्भ में एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करता है। विषय समितियों, उपसमितियों और पैनलों में उद्योग, सरकार, अनुसंधान और विकास संगठनों, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

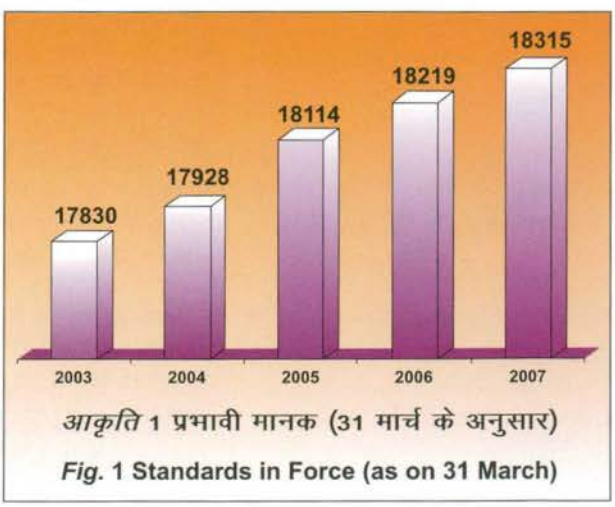

आकृति 1 प्रभावी मानक (31 मार्च के अनुसार)

Fig. **1 Standards in Force (as on 31 March)**

किसी केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार, संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, व्यक्तिगत उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता संगठन, औद्योगिक इकाई आदि द्वारा भारतीय मानक(कों) के निर्धारण का प्रस्ताव दिया जा सकता है। विभाग परिषद द्वारा अनुमोदन हो जाने पर प्रस्ताव को भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए एक उपयुक्त विषय समिति को अग्रेषित किया जाता है।

POLICY STRATEGIES AND PLANNING

The Bureau of Indian Standards (BIS) as the National Standards Body of India has been successfully promoting and nurturing the standardization movement in the country since 1947. BIS has initiated several steps towards enhancing the efficiency of its operations and upgrading of services.

The Executive Committee had three meetings during the year to advise BIS in implementation of new policy/directives while the financial committee met two times during the year. The important initiatives were taken in the following areas during the year:

1. Formulation of 29 standards on Natural Gas Pipeline System for transmission of gas covering 14 areas.
2. Preparing for Mandatory Hallmarking certification scheme in a phased manner.
3. Simplification of Grant of Licence procedure.
4. Outsourcing of inspections under Product certification and Enforcement activities.
5. Launching certification for IS 15700 : 2005 - Requirements for Service Quality by Public Service Organizations and for IS/ISO 22000 Food Safety Management Systems Standard.

STANDARDS

STANDARDS FOURMULATION

For formulation of standards, BIS functions through the Committee mechanism in terms of Sectional Committees, Subcommittees and Panels set up for dealing with specific group of subjects under respective Division Councils. The Sectional Committees, Subcommittees and Panels comprise of representatives from the industry, government, research and development organizations, consumer and individual experts.

A proposal for formulation of Indian Standard(s) can be submitted by any stakeholder including Ministries of the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Individual Consumer or Consumer Organizations, Industrial Unit, etc. The proposal when approved by the concerned Division Council is forwarded to an appropriate Sectional Committee for formulation of Indian Standard(s).

अलग–अलग क्षेत्रों से संबंधित 14 तकनीकी विभाग परिषदों द्वारा मानक तैयार किए जाते हैं। वर्ष के दौरान मानक निर्धारण गतिविधि का जायज़ा लेने के लिए सिविल इंजीनियरी, रसायन, विद्युत–तकनीकी, इलेक्ट्रोनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं कृषि, यांत्रिक इंजीनियरी, धातु कर्म इंजीनियरी, उत्पादन और सामान्य इंजीनियरी, वस्त्रोद्योग, परिवहन इंजीनियरी, और जल संसाधन विभाग परिषदों की बैठकें हुईं। 209 विषय समितियों की बैठकों के साथ बड़ी संख्या में उपसमितियों और पैनलों और कार्यकारी समूहों की बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिनमें मानकों के मसौदों और तकनीकी दस्तावेज़ों पर विस्तार से विचार किया गया। भा मा ब्यूरो की नीति उभरती प्रौद्योगिकियों पर मानक निर्धारण करने और पुराने मानकों को वापस लेने की है।

Standards are made by 14 Technical Division Councils pertaining to specific fields. To take stock of standards formulation activity, Division Councils of Civil Engineering, Chemical, Electro-technical, Electronics & Information Technology, Food and Agriculture, Mechanical Engineering, Metallurgical Engineering, Production and General Engineering, Textile, Transport Engineering and Water Resources departments met during the year. The meetings of 209 Sectional Committees, in addition to large number of Subcommittees and Panels were also held to consider draft standards and related technical documents in detail. It is the policy of BIS to formulate standards on emerging technologies and withdraw obsolete standards.

वर्ष 2006–07 के दौरान, भा मा ब्यूरो में 327 (नए और पुनरीक्षित) मानकों का निर्धारण करते हुए दिनांक 31 मार्च 2007 को मानकों की कुल संख्या 18 315 तक पहुँची (*देखें* आकृति 1)।

During 2006-07, BIS formulated 327 (new and revised) standards, bringing the total number of standards in force to 18 315 as on 31 March 2007(*see* Fig. 1).

महत्वपूर्ण मानक

कुछ महत्वपूर्ण विषय, जिन पर नए या पुनरीक्षित मानक वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए, निम्नानुसार हैं:

आई एस 15732 (भाग 1, 3 और 4) : 2006 ओप्टिक्स तथा फोटॉनिक्स चिकित्सा एंडोस्कोप और एंडोस्कोपिक युक्तियाँ – चिकित्सा एंडोस्कोप तथा एंडोस्कोपिक युक्तियों पर भारतीय मानक तैयार किए गए जिनमें सामान्य आवश्यकताओं को शामिल करते हुए क्षेत्र तथा देखने की दिशा का निर्धारण और अंदर डालने की अधिकतम चौड़ाई के निर्धारण के लिए निर्धारित किया गया है। यह मानक खुली शल्य चिकित्सा के स्थान पर एक छिद्र के माध्यम से शल्य चिकित्सा अपनाने की नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुसार है। यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि चूकि यह शल्य चिकित्सा एक छिद्र के माध्यम से की जाती है और इसलिए इसके परिणामस्वरूप रोगी खुली शल्य चिकित्सा की तुलना में तेजी से स्वस्थ हो जाता है।

आई एस 13450 (भाग 2/खण्ड 45) : 2006 चिकित्सा विद्युत उपकरण – मैमोग्राफी एक्स–रे उपकरणों और मैमोग्राफी स्टीरियो टेक्टिक युक्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष आवश्यकताएँ – इस मानक में सामान्य सुरक्षा आवश्यकताओं, विद्युत सुरक्षा आवश्यकताओं तथा रेडियोग्राफिक सुरक्षा आवश्यकताओं को शामिल करते हुए मैमोग्राफिक एक्स–रे उपकरणों की सुरक्षा की विशेष आवश्यकताएँ दी गई हैं। इस मानक के प्रकाशन से मैमोग्राफी एक्स–रे उपकरणों के विनिर्माता

Important Standards

Some of the important subjects on which new or revised standards were formulated during the year are listed below:

IS 15732 (Parts 1, 3 & 4) : 2006 Optics and Photonics Medical Endoscopes and Endoscopic Devices – Indian Standards on Medical endoscopes and endoscopic devices have been formulated covering the determination of field and direction of view and determination of maximum width of insertion besides covering general requirements. This standard is inline with the latest technology of adopting surgery through a hole in place of open surgery operation. This is important from the point of view that since surgery is performed through a hole, and hence consequentially with this, recovery of the patient is faster as compared to open surgery operations.

IS 13450 (Part 2/Sec 45) : 2006 Medical Electrical Equipments – Particular Requirements for the Safety of Mammography X-ray Equipments and Mammography Stereo Tactic Devices – This standard is on the particular requirements for the safety of Mammographic X-ray equipments covering general safety requirements, electrical safety requirements and radiographic safety requirements. With the publication of this standard the manufacturer of Mammography X-ray

रोगियों और प्रचालकों की सुरक्षा के लिए विनिर्माण के दौरान परीक्षण प्राचल अपना सकते हैं।

आई एस 15687 (भाग 1) : 2006 एकल कैप वाले प्रतिदीप्तिशील लैम्प – इस मानक में शामिल किए गए लैम्प सामान्य प्रकाश करने के प्रयोजन हेतु बनाए गए एकल कैप वाले प्रतिदीप्तिशील लैम्प हैं, जिनमें जलाने के लिए एक आंतरिक या बाहरी साधनों सहित बाहरी परिपथों पर एक कैप होता है। इस मानक में सुरक्षा आवश्यकताएँ शामिल की गई है। यह विधि को भी विनिर्दिष्ट करता है – एक निर्माता को तैयार उत्पादों के परीक्षण अभिलेख सहित समग्र उत्पादन मूल्य निरुपण के आधार पर इस मानक की आवश्यकताओं का पालन दर्शाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के अलावा यह मानक भारतीय विनिर्माताओं को अपने उत्पाद विकसित देशों में विनिर्मित उत्पादों के समान उन्नत बनाने और इस प्रकार वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का अवसर पाने में सहायता देगा।

आई एस 15707 : 2006 एसी बिजली मीटरों का परीक्षण, मूल्याँकन, संस्थापना और अनुरक्षण – रीति संहिता – इस रीति संहिता से मीटर उद्योग में विभिन्न सेवा प्रदाताओं को मार्गदर्शन मिलेगा जो एसी बिजली मीटरों के पूरे जीवनकाल में उनके परीक्षण, अंशांकन, संस्थापना और अनुरक्षण हेतु उनके मेट्रोलॉजिकल तथा कार्यात्मक निष्पादन के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी हैं। इसका उद्देश्य निष्पादन आधारित अच्छी मीटर परिसम्पत्ति प्रबंध योजना की स्थापना करना भी है। इसमें अनुमोदन का प्रकार, जीवनकाल प्रमाणन, सत्यापन, मुहरबंद करना और मुहर प्रबंध, स्वीकार्यता, परिवहन, भण्डारण, संस्थापना और कमीशनिंग, उपयोग के दौरान पालन पर बल देते हुए उपयोग के दौरान अनुरक्षण तथा मीटर परीक्षण स्टेशन प्रथाएँ शामिल हैं। स्थल की परिस्थितियों पर मीटर की शुद्धता भी शामिल की गई है।

आई एस 14581 : 2006 संगठन में सुझाव योजना के निर्धारण और प्रचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत – सुझाव योजना प्रबंध द्वारा प्रोत्साहित योजना है, इसके माध्यम से कर्मचारी कमियों को दूर करने, कार्य की बेहतर विधि के लिए सुधार और/या वित्तीय बचत, बेहतर कार्य संस्कृति तथा परिवेश के लिए अपने विचार स्वैच्छिक रूप से दे सकते हैं। इस मानक में यह किसी संगठन के अंदर सुझाव योजना के निर्धारण तथा कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदान किए गए हैं। सुझाव योजना में मुख्य बल इस पर दिया गया है कि कर्मचारियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाए और बदलाव के प्रबंध में उनका क्या योगदान हो। यह मूलतः सभी स्तरों के कर्मचारियों के विचार जानने पर लक्षित है, ताकि उत्पादकता, गुणता बढ़ाने और लागत में कमी लाने के लिए मानकीकृत प्रक्रिया विधियों में सुधार लाया जा सके। तथापि इन योजनाओं की सफलता शीर्ष प्रबंध की वचनबद्धता पर निर्भर करती है।

एस पी 21 भवन सामग्रियों के लिए भारतीय मानकों का सारांश (*पहला पुनरीक्षण*) – यह हैंड बुक भवन सामग्रियों पर भारतीय मानकों की विषयवस्तु का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करती है जिसमें गुणता आवश्यकताएँ, आयाम, गुणों की परास, उपयोग की सीमाएँ

equipments can adopt testing parameters for the safety of patients and operators while manufacturing.

IS 15687 (Part 1) : 2006 Single Capped Fluorescent Lamps – The lamps covered under this standard are single capped fluorescent lamps for general lighting purposes having a single cap, for operation on external circuits with either an internal or an external means of starting. This standard covers safety requirements. It also specifies the method - a manufacturer should use to show compliance with the requirements of this standard on the basis of whole production appraisal in association with the test records on finished products. Besides conserving energy, the standard would give a boost to Indian manufacturers to upgrade their product compatible with those manufactured in developed countries thereby creating an opportunity to compete in the global market.

IS 15707 : 2006 Testing, Evaluation, Installation and Maintenance of ac Electricity Meters – Code of Practice – The Code of practice would provide guidance to various service providers in metering industry responsible for maintaining metrological and functional performance of ac energy meters throughout the life of the meters covering testing, calibration, installation and maintenance. Its aim is also to establish a performance based good meter asset management plan. It covers type approval, life certification, verification, sealing and seal management, acceptance, transportation, storage, installation and commissioning, maintaining in-service with emphasis on in-service compliance and meter test station practices. Accuracy of meters on site conditions has also been covered.

IS 14581 : 2006 Guidelines for Formulation and Operation of a Suggestion Scheme in an Organization – A Suggestion Scheme is a management encouraged scheme through which the employees can offer their ideas voluntarily for rectification of deficiency, improvements leading to better method of work and/or financial savings, better work culture and environment. This standard provides guidelines for the formulation and implementation of a Suggestion Scheme in an organization. The main emphasis of the Suggestion Scheme is how to motivate employees and contribute to the management of change. It basically aims to generate ideas from employees at all levels in order to improve standardized procedures for enhancing productivity, quality and cost reduction. However, the success of such schemes depends on the commitment of the top management.

SP 21 Summary of Indian Standards for Building Materials (*first revision*) – This handbook gives a brief summary of the contents of the Indian Standards on building materials indicating such aspects as quality requirements, dimensions, range of properties, limitations

आदि जैसे पक्ष लिए गए हैं; इन्हें इस प्रकार विकसित किया गया है कि ये व्यावसायिकों, अभियंताओं, वास्तुकारों तथा भवन निर्माण गतिविधि में संलग्न अन्य व्यक्तियों को अभिकल्पन और आकलन के प्रयोजन हेतु सही सामग्रियाँ चुनने में सहायक हों। इस हैंड बुक के पुनरीक्षित संस्करण में प्रयोक्ता अनुकूल तरीके से संरचित भवन सामग्रियों पर उपलब्ध नवीनतम भारतीय मानकों के सारांश प्रत्येक अध्याय के अंदर मानकों की उपयुक्त पुनर्व्यवस्था के साथ दिए गए हैं, जो विभिन्न स्थूल श्रेणियों में सामग्रियों को अभिज्ञात करती है।

आईएस 15729 : 2007 प्राकृतिक गैस दाब विनियमन और मीटरिंग टर्मिनल – रीति संहिता – प्राकृतिक गैस का परिवहन और वितरण वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य में एक प्रमुख आवश्यकता है। एक ऐसे दबाव पर आपूर्ति की विश्वसनीयता तथा निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निहित सिफारिशों के एक प्रलेख की आवश्यकता थी, जो स्वीकार्य हैं और अधोगामी पाइप लाइनों के लिए अथवा वितरण पद्धतियों के लिए सुरक्षित हैं। इस संहिता में प्राकृतिक गैस दाब विनियमन और मीटरिंग टर्मिनल की कमीशनिंग, सुरक्षा पहलू, प्रचालन और अनुरक्षण शामिल हैं।

आई एस 15750 : 2006 घरेलू फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रीजरेटिंग उपकरण – आंतरिक प्रबलित वायु संरचरण द्वारा ठण्डे किए गए रेफ्रीजरेटर – विशेषताएँ और परीक्षण विधियाँ – विशिष्टि – फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रीजरेटर का रिवाज़ है और इसलिए उपभोक्ता के हित की सुरक्षा के लिए इसका मानक होने की आवश्यकता महसूस की गई। इस मानक में घरेलू रेफ्रीजरेटर और फ्रॉस्ट-फ्री पद्धति द्वारा ठण्डे किए गए रेफ्रीजरेटर फ्रीज़र की अनिवार्य विशेषताएँ एवं इन विशेषताओं की जाँच के लिए परीक्षण विधियाँ निर्दिष्ट की गई हैं। इस मानक में निर्धारित आवश्यकताएँ आईएसओ 15502 : 2005 के अनुसार हैं। उपकरणों को ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए यह ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानकों को निर्दिष्ट करता है।

आई एस 15757 : 2007 फालो-अप फार्मूला पूरक आहार – फालो–अप फार्मूला पूरक आहार को छः माह से 2 वर्ष की आयु के बीच शिशुओं को स्तनपान छुड़ाने के लिए भोजन के तरल भाग के रूप में उपयोग किया जाता है। फालो-अप फार्मूला पूरक आहार एक ऐसा उत्पाद है जिसे गाय और भैंस के दूध को स्प्रे विधि द्वारा शुष्कित दूध से अथवा इनके मिश्रण से बनाया जाता है। इस मानक में फालो अप फार्मूला पूरक आहार के विनिर्माण में प्रयुक्त घटकों की गुणता के विषय में विस्तार से बताया गया है और रासायनिक आवश्यकताएं भी बताई गई हैं, जिनमें शिशुओं के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न विटामिनों तथा खनिजों की न्यूनतम आवश्यकताएं शामिल हैं। विस्तृत सूक्ष्म जीवी विशिष्टियाँ भी इस मानक का भाग हैं, जिनमें कोली फॉर्म जीवाणु तथा रोगकारी जीवाणु जैसे *स्टेफिलोकोकस औरियस, सालमोनेला* और *शिगेला* की अनुपस्थिति शामिल है।

आई एस 11313 : 2006 हाइड्रोलिक पावर स्प्रेयर – विशिष्टि (***पहला पुनरीक्षण***) – हाथ से चलाए जाने वाले स्प्रेयर, जिनके लिए भारतीय मानकों की एक श्रृंखला का संकलन किया गया है, अब क्रमशः

on use, etc; developed in order to assist professionals, engineers, architects and others involved in building construction activity in choosing the correct materials for the purpose of design and estimation. The revised version of this handbook provides the summaries of the latest available Indian standards on building materials structured in user friendly manner with suitable rearrangement of the standards within each of the chapters that identify the materials into various broad categories.

IS 15729 : 2007 Natural Gas Pressure Regulating and Metering Terminal – Code of Practice – The transportation and distribution of natural gas is a major requirement in the current energy scenario. There was a need for having a document embodying recommendation to ensure reliability and continuity of supply at pressures that are acceptable to and safe for the downstream pipeline or distribution system. This Code covers the commissioning, safety aspects, operation and maintenance of natural gas pressure regulating and metering terminal.

IS 15750 : 2006 Household Frost-Free Refrigerating Appliances – Refrigerators Cooled by Internal Forced Air Circulation – Characteristics and Test Methods – Specification – Frost-free refrigerators are in vogue and therefore a need was felt to have a standard in order to protect the consumer interest. This standard specifies the essential characteristics for household refrigerator and refrigerator-freezer cooled by frost-free system and lays down the methods of test for the checking of these characteristics. The standard prescribes requirements which are in line with ISO 15502 : 2005. In order to make the appliances energy efficient, it specifies Minimum Energy Performance Standards specified by Bureau of Energy Efficiency.

IS 15757 : 2007 Follow-up Formula Complementary Foods – Follow-up formula complementary foods is used as a liquid part of the weaning diet for infants after the age of six months up to the age of two years. Follow-up formula complementary food is the product prepared by spray dried milk of cows and buffaloes or a mixture thereof. The standard prescribes in detail the quality of the ingredients to be used for the manufacture of follow-up formula complementary foods and also chemical requirements which include minimum requirements for various vitamins and minerals which are required for the development of infants. The detailed microbiological specifications are also a part of this standard which includes absence of coliform bacteria and pathogens bacterial like *staphylococcus aureus*, *Salmonella* and *Shigella*.

IS 11313 : 2006 Hydraulic Power Sprayers – Specification (***first revision***) – Manually-operated sprayers for which a series of Indian Standards have been compiled,

उनका स्थान विद्युत से चलने वाले स्प्रेयर ले रहे हैं, चूंकि ये तेजी से काम करते हैं और इनके प्रचालन की लागत कम है। इस मानक में पिस्टन प्रकार और रोलर वैन प्रकार के पम्प सहित स्प्रेयर की आवश्यकताएँ दी गई हैं। इस पुनरीक्षण में सामग्री, संरचनात्मक और निष्पादन आवश्यकताएँ तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति को ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षण विधियाँ एवं इस मानक को व्यापक और प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए आईएस 8548 में शामिल परीक्षण विधियाँ भी ली गई हैं।

आई एस 15741 : 2006 वस्त्रादि – ज्वलनरोधी पर्दे और ड्रेप – विशिष्टि और आईएस 15768 : 2007 वस्त्रादि – गैर घरेलू फर्नीचर के लिए प्रयुक्त अपहोलस्टर्ड सम्मिश्रों का ज्वलन से बचाव – सार्वजनिक भवनों, मनोरंजन स्थलों जैसे मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, शादियों के पंडाल, अस्पताल, थियेटर आदि में और ऊंचे भवनों में आग लगने के बढ़ते जोखिम को देखते हुए आवश्यक है कि इन सार्वजनिक स्थलों/भवनों में अग्निरोधी वस्त्र (पर्दे, ड्रेप तथा अपहोलस्टर्ड सम्मिश्र) का उपयोग किया जाए, ताकि मूल्यवान मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। इस मानक में पर्दों/ड्रेप और अप होल्स्टर्ड सम्मिश्रों हेतु सुलगती सिगरेट, परीक्षण माचिस की ज्वाला समतुल्य परीक्षण और क्रिब परीक्षण के संदर्भ में, ज्वाला प्रतिरोधक अपेक्षाएँ, निर्दिष्ट की गई हैं ये अपेक्षाएँ भवनों में जोखिमों की किस्म यथा अल्प, मध्यम और अत्याधिक जोखिमों के आधार पर निर्दिष्ट की गई है। इस मानक में सार्वजनिक भवनों हेतु अल्प, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों की सूची भी शामिल की गई है।

आई एस 15651 : 2006 वस्त्रादि – पर्यावरण लेबलिंग के लिए आवश्यकताएँ – विशिष्टि – डब्ल्यूटीओ के पश्चात् की कार्रवाई में वस्त्रादि के पर्यावरण संबंधी लेबलिंग का महत्व काफी बढ़ गया है और विभिन्न देश वस्त्रादि उत्पादों पर विभिन्न जोखिमपूर्ण रसायनों और रंगों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए इसे अनिवार्य बना रहे हैं। अतः यह अनिवार्य है कि भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ते आयात के प्रभाव से सुरक्षित रखा जाए और उद्योग को भी निर्यातों की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त मानक निर्धारित किया गया, जिसमें जूट तथा कॉयर वस्त्रादि के अलावा तैयार परिधानों सहित सभी प्रकार के वस्त्रों की पर्यावरण संबंधी लेबलिंग आवश्यकताएँ शामिल हैं। इस मानक में वस्त्रों पर जोखिमपूर्ण रंगों और रसायनों की उपस्थिति के लिए सीमाएँ शामिल की गई है जैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, प्रतिबंधित एरिल एमिन, प्लास्टिसाइज़र, पेन्टाक्लोरोफिनॉल, ट्रेटाक्लोरोफिनॉल, डाइब्यूटाइल और ट्राइब्यूटाइल टिन यौगिक, पीड़कनाशी, कार्बनिक होलोजन यौगिक आदि को अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई इको मार्क योजना के तहत शामिल व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

आई एस 15754 : 2006/आईएसओ 21214 : 2006 इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियाँ – निरंतर वायु अंतरापृष्ट, लंबी और मध्यम परास (सीएएलएम) – इन्फ्रा रेड पद्धतियाँ – यह आईटीएस क्षेत्र में

are gradually being replaced by the power operated sprayers, since, they perform the job quickly and the cost of operation is low. This standard covers the requirements of sprayer fitted with piston type and roller vane type pump. This revision incorporates modifications in material, constructional and performance requirements and their method of tests in view of advancement in technology and also includes the method of tests covered in IS 8548 to make the standard comprehensive and user friendly.

IS 15741 : 2006 Textiles – Resistance to Ignition of Curtains and Drapes – Specification and IS 15768 : 2007 Textiles – Resistance to Ignition of Upholstered Composites Used for Non-Domestic Furniture – In view of increasing fire hazards in public buildings, entertainment places such as multiplexes, shopping complexes, marriage pandals, hospitals, theaters, etc and high rise buildings, it is essential to use fire retardant textiles (curtains, drapes and upholstered composites) in such public places/ buildings in order to save valuable human life and damage to property. The above standards specify flame resistance requirements for curtains/drapes and upholstered composites in terms of smouldering cigarette test, match flame equivalent test and the crib test depending upon the type of hazards present in buildings, that is low, moderate and high hazard categories of buildings. The standard also incorporates the list of low, moderate and high hazard categories of public buildings.

IS 15651 : 2006 Textiles – Requirements for Environmental Labelling – Specification – In the post WTO regime, the importance of environmental labelling of textiles has increased considerably and various countries are making it mandatory in order to safeguard the health and safety of the consumers against various hazardous chemicals and dyes present on textile products. It is, therefore, essential to prevent Indian consumers against dumping of cheap imports and also to gear our industry to meet the challenges of exports. Keeping this in view, the above standard has been formulated which includes environmental labelling requirements for all types of textiles including ready made garments except jute and coir textiles. The standard covers limits for presence of hazardous dyes and chemicals on textiles such as urea formaldehyde, banned aryl amines, plasticizers, penta chloro phenol, tetra chloro phenol, dibutyl and tri butyl tin compounds, pesticides, organic halogen compounds etc keeping in view the requirements of international buyers and those covered under the ECO Mark scheme launched by The Ministry of Environment and Forests, Government of India.

IS 15754 : 2006/ISO 21214 : 2006 Intelligent Transport Systems – Continuous Air Interface, Long and Medium Range (CALM) – Infra-red Systems – It provides protocols and parameters for medium-range, medium to

इंफ्रा रेड पद्धतियों का उपयोग करते हुए मध्यम परास, मध्यम से कुछ गति बेतार संचारों के लिए प्रोटोकॉल तथा प्राचल प्रदान करता है। इस मानक में इन क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग ज्ञात किए गए हैं जैसे : इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, सड़क सुरक्षा, यात्री सूचना पद्धति, बेड़ा प्रबंध और वाहन ट्रेकिंग तथा उन्नत यातायात प्रबंध पद्धति। भारत में राजमार्ग नेटवर्क की वृद्धि तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राजमार्गों को आधुनिक बनाने के प्रयास को देखते हुए यह अनिवार्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हुए विकास का पालन किया जाए। इस मानक का उपयोग एनएचएआई की स्वर्ण चतुर्भुज जैसी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर किया जाएगा।

आई एस 15713 : 2006 सड़क के वाहन – संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) ईंधन प्रणाली घटक – दाब विनियामक – इस मानक में आईएस 14272 (भाग 1), दोपहिया और निर्माण उपकरण वाहनों (सीईवी) में परिभाषित मोटर वाहनों में उपयोग के लिए आशयित सीएनजी ऑनबोर्ड ईंधन प्रणाली घटक के दाब विनियामक की परिभाषाएं, परीक्षण विधियाँ और आवश्यकताएँ निर्दिष्ट की गई हैं। यह मानक आईएस 15320 (एकल ईंधन या दो ईंधन अनुप्रयोग) के अनुरूप संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हुए वाहनों पर उपयोग के लिए आशयित सीएनजी ईंधन पद्धति घटकों पर लागू होता है। यह मानक आईएसओ 15500-9 : 2001 सड़क के वाहन – संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) ईंधन पद्धति घटक – भाग 9 : दाब विनियामक और एआईएस मानक एआईएस 024 (संस्करण 3 में संशोधन 4) में शामिल विनियामक आवश्यकताएँ – सुरक्षा और प्रक्रियागत आवश्यकताएँ सीएनजी प्रचालित वाहनों के प्रकार अनुमोदन हेतु आवश्यकताएँ तथा एआईएस – 028 (संस्करण 3) – आंतरिक दहन इंजन वाहनों में सीएनजी ईंधन के उपयोग हेतु प्रथा की संहिता पर आधारित है। इस मानक में दाब विनियामक के विभिन्न परीक्षण निर्दिष्ट किए गए हैं जैसे हाइड्रोस्टेटिक शक्ति, रिसाव, अतिरिक्त टॉर्क प्रतिरोध, मुड़ने का क्षण, निरंतर प्रचालन, क्षरण प्रतिरोध, ऑक्सीजन एजिंग, बिजली के ओवर वॉल्टेज, गैर–धात्विक संश्लेषित निमज्जन, कंपन प्रतिरोध, पीतल की सामग्री की अनुकूलता, इंसुलेशन प्रतिरोध, न्यूनतम आरंभिक वोल्टेज, दाब आवेश और पानी के जैकिट का हिमीकरण। इसमें दाब विनियामक पर दिए जाने वाले विभिन्न मार्किंग विवरण, स्वीकार्यता के विवरण तथा प्रकार के परीक्षण तथा परीक्षण के लिए जमा किए जाने वाले नमूने के साथ जमा की जाने वाली तकनीकी जानकारी भी बताई गई हैं।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएच एंड एस) प्रबंध पद्धतियों पर भारतीय मानक – उपयोग के लिए मार्गदर्शन सहित आवश्यकताएँ (आईएस 18001 का *पहला पुनरीक्षण*) – इस मानक में ओएच एंड एस के प्रबंध के एक व्यवस्थित मार्ग का विकास करने के लिए संगठनों को सहायता प्रदान की गई है ताकि ये अपने कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा दे सकें, जिनके स्वास्थ्य और सुरक्षा संगठन की गतिविधियों से प्रभावित हो सकते हैं। इस मानक में उपयोग के लिए आवश्यकता और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए संगठन के ओएच एंड एस निष्पादन में सुधार का आशय भी निहित है। ओएच एंड एस प्रबंध पद्धतियों को व्यावसायिक निष्पादन के अन्य

high-speed wireless communications in the ITS sector using infra-red systems. This standard finds its applications in areas such as: Electronic Toll Collection; Road Safety; Passenger Information System; Fleet Management and Vehicle Tracking and Advanced Traffic Management System. Considering the growth of the highway network in India and the endeavor of the Ministry of Road Transport & Highways along with the National Highway Authority of India (NHAI) to modernize the highways; it is essential that the development takes place in accordance with International Standards. Projects such as Golden Quadrilateral of NHAI will utilize this standard in a big way.

IS 15713 : 2006 Road Vehicles – Compressed Natural Gas (CNG) Fuel System Components – Pressure Regulator – This Indian Standard specifies definitions, test methods and requirements of Pressure Regulator of CNG onboard fuel system component intended for use on motor vehicles defined in IS 14272 (Part 1), two wheelers and construction equipment vehicles (CEV). This standard is applicable to CNG fuel system components intended to use on vehicles using compressed natural gas in accordance with IS 15320 (mono-fuel or bi-fuel applications). This standard is based on ISO 15500-9 : 2001 Road vehicles –Compressed Natural Gas (CNG) fuel system components – Part 9 : Pressure regulator and also regulatory requirements covered in AIS standard AIS 024 (Amd 4 to version 3) – Safety and procedural requirements for type approval of CNG operated vehicles and AIS-028 (version 3) – Code of Practice for use of CNG fuel in internal combustion engine vehicles. This standard specifies various tests of pressure regulator like Hydrostatic strength, Leakage, Excess torque resistance, Bending moment, Continued operation, Corrosion resistance, Oxygen ageing, Electrical over-voltages, Non-metallic synthetic immersion, Vibration resistance, Brass material compatibility, Insulation resistance, Minimum opening voltage, Pressure impulse and Water jacket freezing. It also specifies various marking details to be provided on pressure regulator, details of Acceptance and Type tests and Technical information required to be submitted along with the samples for testing.

Indian Standard on Occupational Health and Safety (OH&S) Management Systems – Requirements with Guidance for Use (*first revision* of IS 18001) – This standard intends to assist the organizations to develop a systematic approach to management of OH&S in such a way as to protect their employees and others whose health and safety may be affected by the organizations' activities. This standard also intends to improve OH&S performance of organizations by providing the requirements and guidance for use. The OH&S management systems may be integrated with the management of other aspects of business

पहलुओं के प्रबंध के साथ समेकित किया जा सकता है, ताकि कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों का जोखिम कम किया जाए, व्यापार के निष्पादन में सुधार लाया जाए तथा बाज़ार स्थल पर एक जिम्मेदार छवि बनाने के लिए संगठनों को सहायता दी जा सके।

उच्च दृष्टव्यता सहित चेतावनी देने वाले कपड़ों पर भारतीय मानक – विशिष्टि – उच्च दृष्टव्यता सहित चेतावनी देने वाले कपड़े एक व्यक्ति का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जिसे पहनने वाले की उपस्थिति का दृष्टि संकेत प्रदान करने के एक माध्यम के रूप में पहना जाता है और यह पहनने वाले के उपस्थिति किसी भी प्रकाश परिस्थिति और अंधेरे में वाहन की हैडलाइट द्वारा कम प्रकाशित स्थिति में बनाने पर आशयित है। इसकी उपस्थिति को कपड़ों तथा आस–पास की पृष्ठभूमि या परिवेश के बीच विषमता बढ़ाकर उन्नत बनाया जाता है। दृष्टि संबंधी जोखिमों को अभिज्ञात किया जाता है और कपड़ों के लिए उपयुक्त मार्किंग कार्यकर्ता के जोखिम कारकों जैसे जटिल पृष्ठभूमि, वाहन के यातायात का घनत्व तथा गतियों के आधार पर सुझाई जाती है।

आई एस 8062 (भाग 2) : 2006 इस्पात संरचना की कैथोडिक सुरक्षा हेतु रीति संहिता : भाग 2 प्राकृतिक गैस, तेल तथा तरल के परिवहन के लिए भूमिगत पाइप लाइन / संरचना (*पहला पुनरीक्षण*) – इस मानक में धात्विक उच्च दाब हाइड्रो कार्बन उत्पादन पाइप लाइन, संरचना की बाहरी भूमिगत सतह के क्षरण के विरुद्ध रोकथाम के लिए कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकताएँ और सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। यह मानक पाइप लाइन / संरचना पद्धति पर बाहरी क्षरण के नियंत्रण के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ स्थापित करने की मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करने पर आशयित है। क्षरण का नियंत्रण एक लेपन के साथ कैथोडिक सुरक्षा से पूरित किया जाता है, जो अभिकल्पन में प्रदान किया जाना चाहिए और पाइप लाइन / संरचना पद्धति के सेवाकाल के दौरान इसका अनुरक्षण किया जाना चाहिए।

आई एस 15647 : 2006 वेल्ड की गई ट्यूबों और पाइपों के लिए तप्त वेल्लित इस्पात की सकरी चौड़ाई वाली पट्टियाँ – भारत में तप्त वेल्लित सक्रिय चौड़ाई वाली इस्पात पट्टियों को कुछ विशिष्ट लघु स्तरीय पुनः वेल्लित करने वाली मिलों में तैयार किया जाता है, जिन्हें पतरा कहते हैं। इन इस्पात मिलों के हितों को ध्यान में रखते हुए तप्त वेल्लित इस्पात की सकरी चौड़ाई वाली पट्टियों की गुणता के विनिर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक भारतीय मानक निर्धारित करने की आवश्यकता अनुभव की गई जिसे वेल्ड की गई ट्यूबों तथा गैर महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों वाले पाइपों के विनिर्माण में उपयोग किया जाएगा। इस मानक में इस्पात पाइपों के निर्माण हेतु 600 मि.मी. तक चौड़ी वेल्ड करने योग्य गुणता वाली तप्त वेल्लित सकरी चौड़ाई वाली इस्पात पट्टियों और गैर महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों जैसे अल्प दाब जल और फर्नीचर प्रयोजनों के लिए ट्यूबों की आवश्यकताएँ शामिल की गई हैं। इस मानक के अनुसार तप्त वेल्लित सकरी चौड़ाई वाली इस्पात पट्टियों का विनिर्माण दाब अनुप्रयोगों वाले इस्पात पाइपों के विनिर्माण में लागू नहीं होगा, जैसे उच्च दाब जल, भाप और तेल तथा गैसें।

आई एस 15677 : 2006 प्राकृतिक गैस का मापन – रीति संहिता – इस रीति संहिता का उपयोग प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा देशों के पार पाइपों लाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन और वितरण में किया जाएगा। यह गैसीय अवस्था में प्राकृतिक गैस के मापन और विनियमन की

performance in order to minimize risk to employees and others, improve business performance and assist organizations to establish a responsible image at the market place.

Indian Standard on High Visibility Warning Clothes – Specification – High Visibility Warning Cloth is one of the personnel protective equipment worn as a means to provide visual signal of the wearer's presence and intended to provide conspicuity of the wearer under any light conditions by day and under illumination by vehicle headlights in the dark. Conspicuity is enhanced by increasing the contrast between the clothing and its ambient background or surroundings. Classes of visibility hazards are identified and appropriate markings for the clothing are suggested based on worker risk hazards, such as complex backgrounds, vehicular traffic density and speeds.

IS 8062 (Part 2) : 2006 Code of Practice for Cathodic Protection of Steel Structure : Part 2 Burried Pipeline/ Structures for Transportation of Natural Gas, Oil and Liquids *(first revision)* – This standard deals with the general principles and requirements of cathodic protection system for prevention against corrosion of external underground buried surface of metallic high pressure hydrocarbon product pipeline/structure. This standard is intended to serve as a guide for establishing minimum requirements for control of external corrosion on pipeline/ structure system. Corrosion control by a coating supplemented with cathodic protection should be provided in the design and maintained during service life of pipeline/ structure system.

IS 15647 : 2006 Hot Rolled Steel Narrow Width Strip for Welded Tubes and Pipes – In India, certain small scale re-rolling mills are producing hot rolled narrow width steel strips, popularly known as *Patra*. Keeping the interest of these steel mills in view, a need was felt to formulate an Indian Standard to facilitate manufacture of quality hot rolled steel narrow width strip which will be used for manufacturing of welded tubes and pipes for non-critical applications. This standard covers the requirements for weldable quality hot rolled narrow width steel strip up to 600 mm for manufacture of steel pipes and tubes for non-critical applications such as low pressure water and furniture purposes. The hot rolled narrow width steel strip manufactured as per this standard shall not be applicable for manufacture of steel pipes for pressure applications such as high pressure water, steam, oil and gases.

IS 15677 : 2006 Metering of Natural Gas – Code of Practice – This Code of practice is to be used for the transportation and distribution of natural gas through cross-country pipelines by the major oil companies. It deals with

शुद्धता बताता है, जहाँ विभिन्न आपूर्ति बिन्दुओं पर गैस का तापमान मीटर पर – 10 डिग्री सेलसियस से + 55 डिग्री सेलसियस के बीच है, जो उपभोक्ता संतुष्टि के लिए अनिवार्य हैं। उपरोक्त मानक में 5 प्रकार के मीटर शामिल है, नामतः ओरिफाइस, टर्बाइन, अल्ट्रासोनिक, रोटरी और कोरियोलिस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक मंडल क्षेत्र में उपयोग के लिए प्रयुक्त अपनी हैंड बुक में इन सभी मानकों का संदर्भ देंगे। इसमें मीटरों की संस्थापना, गैस के संरक्षा अंतरण मीटरिंग के साथ पुनर्विनियोजन तथा लेखाकरण प्रयोजन शामिल होंगे।

आई एस 8310 : 2006/आईएसओ 2108 : 2005 सूचना तथा प्रलेखन – अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) (*दूसरा पुनरीक्षण*) – अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योग तथा पुस्तक व्यापार प्रकाशन के लिए अभिचिन्हांकन पद्धति के रूप में मान्यता दी गई है। वर्ष 1970 से आईएसबीएन वैश्विक पुस्तक व्यापार की एक अनिवार्य विशेषता और पुस्तकालय कैटलॉग अभिलेखों का एक अनिवार्य घटक बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 2108 का पुनरीक्षण अनिवार्य था, क्योंकि यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय रूप से काफी स्वीकार्य है और यह 10 अंकों पर आधारित थी तथा इसकी क्षमता समाप्त हो रही थी। आईएस 8310 के संशोधित संस्करण, जो आईएसओ 2108 : 2005 सूचना तथा प्रलेखन – अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) को अंगीकार करके बनाया गया था, में आईएसबीएन 13 अंकों के अभिचिन्हक के रूप में बदला गया है ताकि वैश्विक आईएसबीएन पद्धति की अंकन क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सके और आईएसबीएन के फार्मेट को ईएएन–यूसीसी उत्पाद संहिता पद्धति के साथ सुमेलित किया जा सके।

आई एस 15681 : 2006 भू-भौतिक विधि द्वारा भू-वैज्ञानिक अन्वेषण (भूकंपीय अपवर्तन) – रीति संहिता – यह मानक भूकंपीय अपवर्तन के विभिन्न पहलुओं और इसके अभियांत्रिक स्थलों के उथले उपसतही अन्वेषण अनुप्रयोगों के विषय में बताता है। इस मानक का प्राथमिक प्रयोजन विधि का कार्यकारी ज्ञान प्रदान करना है जिसके साथ संगत संदर्भ और विभिन्न अभियांत्रिक भू-वैज्ञानिक समस्याओं की विधि की अनुप्रयोज्यता का आधार हो। विशेष रूप से इसमें सर्वक्षणों की उपयुक्त आयोजना की समझ प्रदान करने का प्रयास किया गया है ताकि पर्याप्त और तत्संबंधी कवरेज पाया जा सके और भूकंपीय आंकड़ों की व्याख्या के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर प्रकाश डाला जा सके।

आई एस 15736 : 2006 भू-भौतिक विधि द्वारा भू-वैज्ञानिक अन्वेषण (विद्युत प्रतिरोधता) – रीति संहिता – उप सतही भू-वैज्ञानिक अन्वेषण पूर्ण आयोजना और किसी जल संसाधन परियोजना के अभिकल्पन चरण का अविभाज्य भाग हैं। भू-वैज्ञानिक अन्वेषण की विधियों के अलावा, जिन्हें पिछले समय में उपयोग किया गया है, इस क्षेत्र में भू-वैज्ञानिक अन्वेषण की महत्वपूर्ण विधियों और क्षेत्र में विकास हुए हैं जो आगे आ रहे हैं। भू-वैज्ञानिक अन्वेषण में लगातार उपयोगी पाई गई एक विधि है विद्युत प्रतिरोधकता विधि। इस मानक में विद्युत प्रतिरोधकता विधि के अनुप्रयोग की रीति संहिता तथा इसमें उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ क्षेत्र प्रक्रिया विधियों और आंकड़ों के प्रलेखन पर मार्गदर्शन प्रदान करने पर आशयित है।

the accuracy of metering and regulating of natural gas in the gaseous phase only where the gas temperatures at the meter are within the range of -10ºC to + 55 ºC at different delivery points which are necessary for consumer satisfaction. The above standard covers five types of meters, namely, orifice, turbine, ultrasonic, rotary and coriolis. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board will take up all the standards for giving reference in their Hand Book in the field use. It also covers installations of meters, custody-transfer metering of gas including reconciliation and accounting purposes.

IS 8310 : 2006/ISO 2108 : 2005 Information and Documentation – International Standard Book Number (ISBN) (*second revision*) – The International Standard Book Number (ISBN) has been internationally recognized as the identification system for the publishing industry and book trade. Since 1970, the ISBN has become an essential feature of the global Book Trade and a vital component in Library Catalogues records. The revision of the International Standard ISO 2108 was necessary as the system which is quite acceptable internationally and was based on 10 digits and was running out of capacity. The revised version of IS 8310 which is an adoption of ISO 2108 : 2005 Information and Documentation – International Standard Book Number (ISBN) changes the ISBN to a 13 digit identifier to increase substantially the numbering capacity of the global ISBN system and to harmonize the format of the ISBN with the EAN-UCC product code system.

IS 15681 : 2006 Geological Exploration by Geophysical Method (Seismic Refraction) – Code of Practice – This standard deals with various aspects of seismic refraction technique and its applications to shallow subsurface exploration of engineering sites. The primary purpose of the standard is to provide working knowledge of the method, with relevant references, and with a basis to weigh the applicability of the method to various engineering geological problems. In particular, it seeks to provide an understanding of the proper planning of surveys, so as to obtain adequate and relevant coverage and highlight the most important area of interpretation of seismic data.

IS 15736 : 2006 Geological Exploration by Geophysical Method (Electrical Resistivity) – Code of Practice – Subsurface geological exploration are an integral part of pre-planning as well as design stage of any water resource project. Apart from the methods of geological exploration that have been used in the past, there have been developments in this field and instrumental methods of geological exploration are coming to the fore. One of the methods being increasingly used in geological exploration is the electrical resistivity method. This standard is intended to provide a Code of practice for application of electrical resistivity method and to provide guidance on the various equipment used in the same as well as for providing guidance prescribing field procedures and documentation of data.

प्राकृतिक गैस पाइप लाइन पद्धति के क्षेत्र में मानकीकरण – भा मा ब्यूरो में 14 क्षेत्रों को शामिल करते हुए नामतः लाइन पाइप लेपन आंतरिक/बाह्य, पाइप लाइन डालना, विषम पाइप लाइन डालना, पाइप लाइन की कैथोडिक सुरक्षा, गैस मीटरिंग पद्धति और गैस मापन उपकरण, पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा आंकड़ा अधिग्रहण (स्काडा) पद्धति (दूरमिति और दूर संचार सहित), परिवहन और प्राकृतिक गैस के लिए लाइन पाइप (पाइप लाइन पद्धति के लिए फिटिंग तथा वॉल्व सहित) गैस पारेषण के लिए अपकेन्द्री संपीड़क, प्राइम मूवर सहित एलपीजी के परिवहन के लिए पम्प, गैस टर्बाइन, गैस डिस्पेच टर्मिनल का निर्माण और कमीशनिंग, स्वैबिंग/ईजीपी सहित पाइप लाइन की कमीशनिंग, पाइप लाइन की इंटेलिजेंट पिगिंग और पाइप लाइन की हॉट टेपिंग सहित 29 मानकों का निर्धारण किया है। यह 29 मानकों का समूह श्री तसलीमुद्दीन, माननीय राज्यमंत्री, कृषि, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2007 को आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्र को समर्पित किया गया। गेल के मुख्य प्रबंध निदेशक, डॉ. यू. डी. चौबे ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और श्री तसलीमुद्दीन, माननीय राज्यमंत्री, कृषि, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण से मानकों का समूह ग्रहण किया। इन मानकों के आने से गैस आपूर्ति व्यवसाय विनियमन और एक विषम देशीय राष्ट्रीय ग्रिड की आवश्यकता के संदर्भ में विशेष रूप से संगत बनेगा जहाँ पारेषण व्यापार में अनेक कंपनियाँ हैं। इन भारतीय मानकों के निर्धारण में गैस के पारेषण से संबंधित होने के कारण इनमें सुरक्षा तथा पर्यावरण के प्राचलों को अत्यंत महत्व दिया गया है और इसलिए ये सुरक्षा प्राचलों के निर्णय में अत्यंत सहायक होंगे तथा हमारे परिवेश में और अधिक सुधार लाएंगे।

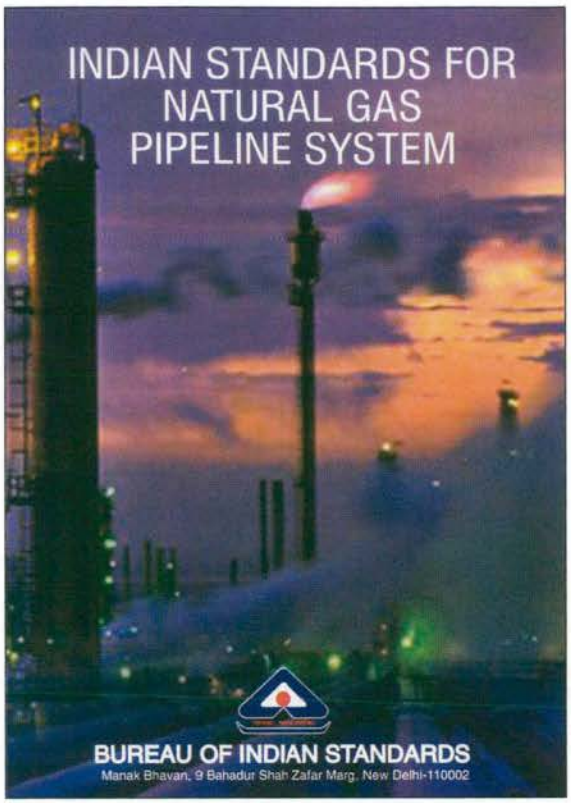

Standardization in the field of Natural Gas Pipeline System – BIS formulated 29 standards on Natural Gas Pipeline System for transmission of gas covering 14 areas, namely, Line pipe coating internal/external, Pipeline laying, Laying of pipeline in crossing, Cathodic protection of pipeline, Gas metering system and gas measuring equipment, Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System (including Telemetry and Telecommunication), Lines Pipes for Transportation and Natural Gas (including Fitting and Valves for Pipe Line System), Centrifugal compressors for gas transmission, Pumps for transportation of LPG including prime mover, Gas turbines, Construction and commissioning of gas dispatch terminal, Commissioning of pipelines including swabbing/EGP, Intelligent pigging of pipelines and Hot tapping of pipelines. This set of 29 standards was dedicated to the nation in a function by Shri Taslimuddin, Hon'ble Union Minister of State for Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution on 15 February 2007. In this function Dr. U. D. Choubey, CMD, GAIL who also graced the occasion received the set of standards from Shri Taslimuddin, Hon'ble Union Minister of State for Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution. The introduction of these standards would become especially relevant in the context of de-regulation of gas supply business with multiple players in the transmission business and need for a cross-country National Gas Grid. Safety and environment parameters have been given paramount importance while formulating these Indian Standards for transmission of gas and therefore would be extremely helpful in deciding safety parameters and further improve our environment.

मानकों की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण

जब भी जरूरी हो मानकों की समीक्षा की जाती है परंतु यह समीक्षा पांच वर्षों में कम से एक बार अवश्य की जाती है। वर्ष के दौरान 3 848 मानकों की समीक्षा की गई, 3 691 मानकों की पुनः पुष्टि की गई, 211 का पुनरीक्षण शुरू किया गया और 102 मानकों को वापिस लिया गया। इसके साथ, मानकों में 254 संशोधन प्रकाशित किए गए।

Review and Updating of Standards

Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years. During the year 3 848 standards were reviewed, 3 691standards were reaffirmed, 211 were taken up for revision and 102 were withdrawn. In addition, 254 amendments to standards were published.

सुमेलीकरण

खुले बाज़ार के परिदृश्य में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा की चुनौती का सामना कर रहा है। वैश्विक बाज़ार में बने रहने का एकमात्र तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित आईएसओ/आईईसी मानकों को जहाँ तक

Harmonization

In the market scenario, India is facing challenge of global competition. The only way to sustain in the global markets is to harmonize Indian Standards, as

संभव हो भारतीय मानकों के साथ सुमेलित किया जाए। भारत व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर डब्ल्यूटीओ करारनामे का हस्ताक्षरी है। इस करारनामे के अनुसार, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सरेखित करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि, देशों की विशिष्ट चिन्ता जैसे सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करते समय विचार में लिया/शामिल किया जा सकता है। भा मा ब्यूरो में मानक निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया जाता है, जहाँ ये एक आधार के रूप में मौजूद हैं। अब तक भा मा ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ 4 449 भारतीय मानकों को सुमेलित किया है। उन मानकों की संख्या पर विचार करते हुए, जहाँ संगत आईएसओ/आईईसी मानक मौजूद है, लगभग 74 प्रतिशत मानकों का सुमेलन किया गया है।

मानकों के कार्यान्वयन के लिए संगोष्ठियाँ

भा मा ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में संगोष्ठियों के माध्यम से भारतीय मानकों के कार्यान्वयन को सघन बनाने का अभियान आरंभ किया है। सभी तकनीकी विभागों ने अभिज्ञात क्षेत्रों में गोष्ठियों का आयोजन किया जहाँ पणधारी जैसे विनिर्माता, प्रयोक्ता, अनुसंधान और विकास संगठन, सरकारी संस्थान तथा अन्य लोगों ने भाग लिया। इन सभी 32 संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में उन्नत कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में उपलब्ध मानकों पर जानकारी का प्रसार किया गया। ये संगोष्ठियाँ औद्योगिक एस्टेट, समूहों में आयोजित की गई जहाँ विशिष्ट विनिर्माताओं की अधिक संख्या है, जिन्हें यह जानकारी दी जानी थी। इन संगोष्ठियों के दौरान मौजूदा मानकों में सुधार के लिए पणधारियों के विचार और सुझाव लिए गए और नए मानकों के विषय चुने गए। निम्नलिखित विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया:

- हस्त औजार उद्योग में मानकों का महत्व
- मानकीकरण – पैंच, बोल्ट तथा फास्टनर सहायक वस्तु उद्योगों के लिए बड़े लाभ
- पायरो टेक्नीक के क्षेत्र में बदलते रुझान
- घरेलू रसोई के बर्तनों का मानकीकरण
- मनोरंजक सवारियों और जल उद्यानों में सुरक्षा
- विद्युत मोटर
- बिजली के मीटर
- आईएस/आईएसओ 22000 के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगोष्ठी
- नारियल उद्योग के लिए आईएस/आईएसओ 22000
- आईएस/आईएसओ 22000 के माध्यम खाद्य सुरक्षा
- पेय जल की गुणता
- हेलॉन की फेज़–आउट परियोजना

far as possible, with ISO/IEC Standards formulated at International level. India is a signatory to WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, country specific concerns such as safety, environmental issues can be considered/incorporated, while formulating National Standards. BIS uses International Standards wherever they exist as a basis for the standards development. So far BIS has harmonized 4 449 Indian Standards with International Standards. Considering number of standards where corresponding ISO/IEC Standards exist, about 74 percent standards are harmonized.

Seminars for Implementation of Standards

BIS has taken up a drive to intensify the implementation of Indian Standards through Seminars in different fields. All technical divisions organized Seminars in identified sectors where stakeholders such as manufacturers, users, R&D organizations, Government institutions and others participated. In all 32 Seminars/Workshops were conducted to disseminate information on standards available in the specific fields for increased implementation. These Seminars were conducted in industrial estates, clusters where there is concentration of specific manufacturers about which the information was to be disseminated. During these Seminars opinion and suggestion of stakeholders were also taken for improvement in the existing standards and for identification of subjects for new standards. Seminars on the following subjects were conducted:

- Significance of Standardization in Hand Tool Industries
- Standardization – Big benefit for Nuts, Bolts and Fastener Accessories Industries
- Changing trend in the field of Pyrotechnics
- Standardization in Domestic Kitchenware
- Safety in Amusement Rides and Water Parks
- Electric Motors
- Energy Meters
- South Asian regional seminar on Food Safety through IS/ISO 22000
- IS/ISO 22000 for coconut industry
- Food Safety through IS/ISO 22000
- Drinking Water Quality
- Halon phase-out project

- राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 (देश में विभिन्न स्थानों पर आठ कार्यशालाएं) पर कार्यशाला
- एक्स–रे
- सार्वजनिक स्थलों/भवनों में अग्नि से सुरक्षा – अग्निरोधक वस्त्रादि का महत्व
- सूती वस्त्र उद्योग में गुणता प्रबंध का मानकीकरण
- जल परियोजनाओं के लिए भू–तकनीकी जांच पड़ताल में उभरते क्षेत्र और चुनौतियाँ
- राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार पर अंतः क्रियात्मक कार्यक्रम
- "इस्पात उद्योगों में प्रयुक्त लौह अयस्क, स्पंजी लौह, फैरो मिश्रधातु और रिफ्रेक्टरीज़ पर मानकीकरण" पर शोध पत्र प्रस्तुत
- बाइसाइकिल और इसके पुर्जों का मानकीकरण
- परिवहन पैकेज और पैकेजिंग पर राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से सुरक्षा और अनुकूलतमीकरण
- सूचना प्रौद्योगिकी मानकीकरण – चुनौतियाँ तथा संकेन्द्रित विश्व में आगे का मार्ग
- सूचना प्रौद्योगिकी मानकीकरण पर कार्यशाला
- सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में खुले मानकों पर कार्यशाला
- तेल तथा गैस क्षेत्र में मानकीकरण।

- Workshop on National Building Code 2005 (8 Workshops at various locations in the country)
- X-ray
- Fire safety in public places/ buildings – Importance of Fire Retardant Textiles
- Standardization of Quality management in Cotton textile industry
- Emerging areas and challenges in geotechnical investigations for Hydro projects
- Interactive programme on Rajiv Gandhi National Quality Award
- Presenting a paper on 'Standardization on Iron Ore, Sponge Iron, Ferro Alloys and Refractories used in Steel Industries'
- Standardization of Bicycles and its components
- Safety and optimization through National Standards on Transport Packages and Packaging
- Information Technology Standardization – Challenges and way forward in the converged world
- Workshop on IT Standardization
- Workshop on open standards in the IT Sector
- Standardization in Oil and Gas Sector

मानक संवर्द्धन

मानक कार्यक्रमों का शैक्षिक उपयोग (ईयूएस)

मानकीकरण के क्षेत्र तथा गुणता पद्धतियों में व्यावसायिक संस्थानों के विद्यार्थियों तथा प्राध्यापक वर्ग को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे कि वे उनके द्वारा दिए जाने वाले माल और सेवाओं में गुणता लाने में सक्षम हो सकें। इस बात को समझते हुए मानकीकरण के संदेश के प्रचार और देश भर के विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों तथा विश्वविद्यालय क्षेत्रों में अद्यतन भारतीय मानकों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के विशिष्ट उद्देश्य से मानकों के शैक्षिक उपयोग पर भा मा ब्यूरो नियमित रूप से कार्यक्रम चलाता रहा है। उक्त कार्यक्रमों के प्रतिभागियों के बीच वितरण हेतु विशेषज्ञ क्षेत्रों में संदर्भ सामग्री के विशेष किट तैयार किए गए हैं।

वर्ष के दौरान सीआईपीईटी, गुवाहाटी; निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद; कालावाड़ कॉलेज, ज़िला जामनगर; जयप्रकाश मुकुंद लाल पोलीटेक्नीक, गाजियाबाद; इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मेनेजमेंट, ग्वालियर; लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली; आरवीएस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंस, कोयम्बतूर;

STANDARDS PROMOTION

Educational Utilization of Standards Programmes (EUS)

The students and faculty of professional institutions need to be trained in the field of standardization and management systems, so that they are well equipped to introduce quality in goods and services to be delivered by them. Recognizing this BIS has been regularly conducting programmes on Educational Utilization of Standards with the specific aim to propagate the message of standardization and to create awareness about latest Indian Standards in various professional institutes and universities through out the country. Special kit of Reference Material pertaining to specialized fields has also been prepared for distribution amongst the participants in such programmes.

During the year, 26 programmes were organized at CIPET, Guwahati; Nirma University, Ahmedabad; Kalavad College, District Jamnagar, Jaiprakash Mukundh Lal Polytechnic, Ghaziabad; Institute of Hotel Management, Gwalior, Laxmi Bai College, Delhi; RVS College of Arts and Science,

राम देव बाबा कमला नेहरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट इंस्टिट्यूट, नागपुर जैसे कुछ संस्थानों में 26 कार्यक्रमों का आयोजन किया।

उद्योग जागरूकता कार्यक्रम

उद्योग जागरूकता कार्यक्रम का मूल उद्देश्य लघु उद्योगों में मानकीकरण तथा गुणता पद्धति की अवधारणा का प्रचार करना है। ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को मानकीकरण, प्रबंध पद्धति प्रमाणन, उत्पाद प्रमाणन तथा भा मा ब्यूरो के अन्य कार्यक्रमों से अवगत कराया जाता हैं। ऐसे कार्यक्रमों में व्याख्यान, विचार विमर्श तथा वीडियो फिल्म के शो होते हैं। उक्त कार्यक्रमों में उस क्षेत्र के उद्योगों की संख्या पर निर्भर करते हुए विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित मानकों पर भी प्रकाश डाला जाता है। भा मा ब्यूरो द्वारा उक्त कार्यक्रम स्थानीय उद्योग संघों तथा लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान भारत भर में जैसे काजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन, सौराष्ट्र; पाइप मन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन, राजकोट; द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट को ऑप. मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन, ऊटी; एसआईएसआई, नई दिल्ली; टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोयम्बटूर तथा एसोसिएशन ऑफ गोल्ड मर्चेन्ट, कोचीन हेतु कोच्चि आदि स्थानों पर आयोजित किए गए।

राज्य स्तरीय समितियाँ (एसएलसी)

मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा देश भर में मानकीकरण तथा प्रबंध पद्धति का संदेश प्रचारित करने के लिए राज्य स्तर पर एक स्थायी पद्धति स्थापित करने के लिए मानकीकरण तथा गुणता पद्धतियों के लिए लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समितियाँ (एसएलसी) स्थापित की गई हैं। वर्ष के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा, रायपुर और राजस्थान की राज्य स्तरीय समितियों की बैठकें की गईं। इन बैठकों में राज्य सरकारों द्वारा भा मा ब्यूरो प्रमाणित सामान की खरीद, कार्मिकों के प्रशिक्षण, गुणता नियंत्रण आदेशों के प्रवर्त्तन, उपभोक्ता शिक्षा तथा राज्य सरकारों द्वारा उन इकाइयों को अधिक प्रोत्साहन दिए जाने पर जोर दिया गया, जिनके पास उत्पाद तथा गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंस हैं।

विश्व मानक दिवस

भा मा ब्यूरो द्वारा अपने मुख्यालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय, शाखा कार्यालयों और निरीक्षण कार्यालयों में विश्व मानक दिवस मनाया गया। **"मानक : लघु उद्योगों हेतु बड़े लाभ"** विषय पर मुख्य

Coimbatore; Ram Dev Baba Kamla Nehru College of Engineering and Management Institute, Nagpur to name a few.

Industry Awareness Programmes

The basic aim of the Industry Awareness Programme is to propagate the concept of standardization and management systems amongst small scale industries. Such programme organized by BIS consist of lectures, discussions and video films shows, where the participants are exposed to the concept of standardization, Management Systems Certification, product certification and other BIS activities. Standards relating to specific industrial sector, depending upon the concentration of industries in the area, are also highlighted in such programmes. These programmes are organized by BIS in collaboration with Local Industry Associations and Small Industries Service Institute.

During the year 42 such programmes were organized all over India such as Kajkot Engineering Association, Saurashtra Pipe Manufacturing Association, Rajkot; The Nilgiris District Coop. Milk Producers Union, Ooty; SISI, New Delhi; Textile Industry, Coimbatore and Association of Gold Merchant in Kochin and Kochi.

State Level Committees (SLCs)

In order to have a permanent mechanism at the State Level to ensure effective implementation of standards and to propagate the message of Standardization and Quality Systems all over the country, State Level Committees (SLCs) for Standardization and Management Systems have been set up in almost all States/Union Territories. During the year meetings of SLCs in Haryana, Gujarat, Maharashtra, Goa, Raipur and Rajasthan were held. During these meetings emphasis was made on the purchase of BIS certified material by the State Government, Training of Personnel, Enforcement of Quality Control Orders, Consumer education and granting more incentives by State Governments to units holding products as well as Quality Systems Certification Licences.

World Standards Day

The World Standards Day was celebrated by BIS at its headquarters at New Delhi and also at Regional, Branch Offices and Inspection Offices. The main function and

समारोह तथा तकनीकी सम्मेलन 13 अक्तूबर 2006 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें उद्योग, वाणिज्य, उपभोक्ताओं से जुड़े लोगों ने तथा प्रौद्योगिकीविदों, सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थाओं आदि ने भाग लिया।

सूचना तथा लघु उद्योग सुविधा प्रदानकर्ता प्रकोष्ठ

भारतीय मानक ब्यूरो में वर्ष 1997 से कार्यरत सूचना तथा लघु उद्योग सरलीकरण प्रकोष्ठ लघु तथा मध्यम उद्यमियों की विभिन्न पूछताछों का समाधान करता रहा है। यह सुविधा प्रकोष्ठ एकल खिड़की के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषकर लघु उद्योगों को अद्यतन सूचना/सहायता प्रदान करता रहा है।

- मानक (राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय)
- उत्पाद प्रमाणन चिन्ह योजना
- गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (आईएसओ 9001)
- पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (आईएसओ 14001)
- खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियंत्रण बिंदु (एचएसीसीपी) (आईएस 15000)
- ईको चिन्ह के माध्यम से खाद्य स्वच्छता हेतु प्रमाणन योजना
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) (आईएस 18001)
- स्वर्ण और रजत आभूषणों और वस्तुओं पर हॉलमार्किंग योजना
- विदेशी निर्माताओं तथा आयातित उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना
- पुस्तकालय सेवाएँ
- जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रयोगशाला तथा अंशशोधन सेवाएँ
- विविध सूचना

इसके अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों में सूचना जैसे कि आईईसीक्यू, आईईसीईई–सीबी योजना, एगमार्क, डीसीएसएसआई, सिडबी, पेटेंट रजिस्ट्रार, भार एवं मापन, एसईआई आदि भी सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वर्ष के दौरान इस प्रकोष्ठ में 1 052 दूरभाषिक पूछताछ और 510 आगंतुकों को उत्तर दिए गए।

technical seminar on the theme "STANDARDS: BIG BENEFITS FOR SMALL BUSINESS" was organized at New Delhi on 13 October 2006 which was attended by a large number of delegates representing various organizations from industry, commerce, consumers, technologists, Government departments, educational institutions, etc.

Information and SSI Facilitation Cell

Information and SSI Facilitation Cell operating at BIS Headquarters since 1997 continued to serve small and medium scale entrepreneurs for their various queries. This Facilitation Cell, as a single window, provided variety of updated information / assistance particularly to small scale sectors in the following areas of BIS.

- Standards (National and International)
- Product Certification Marks Scheme
- Quality Management System Certification Scheme (ISO 9001)
- Environmental Management System Certification Scheme (ISO 14001)
- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) (IS 15000)
- Certification Scheme for Food Hygiene through ECO Mark
- Occupational Health & Safety Management System (OHSMS)(IS 18001)
- Hallmarking on Gold & Silver Jewellery & Artifacts
- Certification Scheme for Foreign Manufacturers and Imported Products
- Library Services
- Awareness and Training Programmes
- Laboratory and Calibration Services
- Miscellaneous Information

In addition, information in other areas like IECQ, IECEE - CB scheme, Agmark, DCSSI, SIDBI, Registrar of patents, Weights & Measure, SEI etc also provided by facilitation cell. This cell attended to 1 052 Telephonic queries and 510 Visitors during the year.

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार (आरजीएनक्यूए)

सर्वश्रेष्ठ उद्योगों को विशेष मान्यता देने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार शुरू किया था। इस पुरस्कार का उद्देश्य गुणता कार्यक्रमों के प्रति उद्योगों में रुचि उत्पन्न करना और उनका सहयोग प्राप्त करना, भारतीय उत्पादों की गुणता के स्तर में सुधार करना और स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय संगठनों को अधिक सक्षम बनाना है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। यह अमेरिका के माल्कोम बालड्रिज़ गुणता पुरस्कार, जापान के डेमिंग पुरस्कार तथा यूरोपीय गुणता पुरस्कार की भांति तैयार किया गया है। इन पुरस्कारों के मूल्याँकन का मानदण्ड सम्पूर्ण गुणता प्रबंध (टीक्यूएम) पर आधारित है और विदेशों के इसी प्रकार के अन्य पुरस्कारों के मानदण्ड के समरूप है।

वर्ष 2006 के पुरस्कार श्री तस्लीमुद्दीन, माननीय राज्य कृषि मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2007 को नई दिल्ली स्थित कन्वेंशन सेंटर, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रदान किए गए।

Rajiv Gandhi National Quality Award (RGNQA)

Rajiv Gandhi National Quality Award was instituted by the Bureau of Indian Standards in 1991 with a view to give special recognition to the best industries. This award is intended to generate interest and involvement of Indian Industry in quality programmes, drive Indian products to higher levels of quality and better equip Indian organizations to meet the challenges of domestic and International markets. This award is an annual feature. It has been designed in line with similar awards in other developed countries like Malcolm Baldrige Quality Award of USA, Deming Prize of Japan and European Quality Award. The assessment criteria for these awards are based on Total Quality Management (TQM) and are at par with the criteria for other similar overseas awards.

The awards for the year 2006 were given by Shri Taslimuddin, Hon'ble Union Minister of State for Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution in the awards presentation ceremony organized at Convention Centre, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi on 15 February 2007.

प्रचार

भा मा ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में आम उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने तथा गुणता के प्रति सशक्त चेतना का सृजन करने के लिए विभिन्न मीडिया के माध्यम से विविध प्रचार गतिविधियाँ की गईं। भा मा ब्यूरो के अधिकारियों ने भा मा ब्यूरो से जुड़े विषयों पर लगभग 30 वार्ताओं और साक्षात्कारों में भाग लिया, जो दूरदर्शन तथा लोकप्रिय केबल नेटवर्क पर प्रसारित किए गए। प्रमुख विकास तथा घटनाएँ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तथा समाचार पत्रों द्वारा कवर की गई।

भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों पर कॉर्पोरेट प्रस्तुतीकरण तैयार किए गए और इसकी प्रतियाँ सभी शाखा कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में उनकी प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों आदि में उपयोग के लिए तथा उपभोक्ता जागरूकता के लिए भी एवं भा मा ब्यूरो की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए भेजी गई हैं।

अखिल भारतीय आधार पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग तथा अन्य गतिविधियों के लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रचार अभियान चलाया गया।

Publicity

To spread awareness of the activities of BIS among common consumers and create a strong consciousness for quality, it undertook various publicity activities through various media. BIS officials had participated in approx 30 talks and interviews on BIS related subjects which were telecast over Doordarshan and other popular cable networks. Significant developments and events were covered by the electronic media and newspapers.

Corporate Presentation on various activities of BIS was got produced and copies of the same were sent to ROs/ BOs for their use during exhibitions, seminars etc for promotion of activities of BIS and also for consummer awareness.

Publicity Campaign was undertaken on all-India basis through print media for consumer awareness regarding the benefits of Hallmarking of Gold Jewellery and also other activities.

भा मा ब्यूरो के हॉलमार्क तथा आईएसआई मुहर पर अनेक डिज़ाइन बनाए गए, जिन्हें अखिल भारतीय आधार पर जागो ग्राहक जागो अभियान के अंतर्गत प्रिंट मीडिया के माध्यम से उपयोग किया गया था।

हॉलमार्क तथा आईएसआई मुहर पर 20 सेकेण्ड की अवधि वाले दो रेडियो स्पॉट श्रेणी 1 के कार्यक्रम, विविध भारती के 40 रेडियो स्टेशनों, नौ एफएम –1 चैनलों तथा एआईआर के चार एफएम–2 चैनलों से 4 माह तक हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए गए।

वर्ष के दौरान रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग के माध्यम से हॉलमार्क तथा आईएसआई मुहर पर बाहरी प्रचार अभियान भी किए गए।

भा मा ब्यूरो ने अनेक मेलों में भाग लिया, जिसमें शामिल हैं : प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, एमएमटीसी स्वर्ण उत्सव, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण सम्मेलन के लिए एसोचैम की ओर से प्रायोजन, उपभोक्ता जागरूकता विषय वस्तु पर महा विद्यालय के छात्रों का युवा मेला (दिल्ली हाट), लक्ष्मीबाई कॉलेज में उपभोक्ता अधिकार जागरूकता मेला, क्यूसीआई गुणता सम्मेलन, कृषि एक्सपो आदि। भा मा ब्यूरो के विभिन्न कार्यकलापों पर ब्लोअप प्रदर्शित किए गए, भा मा ब्यूरो की गतिविधियाँ प्रस्तुत की गई, भा मा ब्यूरो के गतिविधियों की जानकारी अतिथियों को दी गई, बड़ी संख्या में प्रचार सामग्री का वितरण प्रदर्शनियों के दौरान किया गया। आईएसआई मार्क एवं अन्य गतिविधियों के प्रचार पर फिल्म भी दर्शायी गई।

मानकों तथा अन्य प्रकाशनों का विक्रय

ब्यूरो, मुख्यालय, क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में 17 विक्रय केन्द्रों के माध्यम से भारतीय मानकों तथा विशिष्टि प्रकाशनों का विक्रय कर रहा है। पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं, जिनकी संख्या 202 है, के माध्यम से भी बिक्री की जाती है। देश भर में 2006–07 के दौरान पिछले वर्ष के 41.85 मिलियन रुपए की तुलना में इस वर्ष 46.97 मिलियन रुपए के प्रकाशन बेचे गये। विदेशी मानकों की बिक्री पर पिछले वर्ष के 10.50 मिलियन रुपए की तुलना में 5.16 मिलियन रुपये (चौथी तिमाही के लिए विदेशी मानक निकाय से प्राप्त रॉयल्टी के अलावा) कमीशन के रूप में प्राप्त हुए।

भारतीय मानक सीडी-रोम पर भी एक पूरे सैट अथवा विभागीय परिषदानुसार सैट के रूप में लीज़ के लिए उपलब्ध है। सीडी-रोम पर भारतीय मानकों की लीजिंग से पिछले वर्ष की 14.11 मिलियन रुपए की रॉयल्टी राशि की तुलना में इस वर्ष 27.85 मिलियन रुपए की राशि प्राप्त हुई।

A number of designs were got made on BIS Hallmark and ISI Mark which were used in print media under Jago Grahak Jago campaign on all-India basis.

Two radio spots of 20 seconds duration on ISI Mark and Hallmarking of Gold Jewellery were broadcast in Hindi and regional languages for four months from 40 stations of Vividh Bharti in category I programme, 9 FM-I channels and 4 FM-II channels of AIR.

Outdoor publicity campaign on ISI Mark and Hallmarking of Gold Jewellery was also undertaken during the year through Hoardings at Railway stations.

BIS participated in a number of fairs which included: India International Trade Fair at Pragati Maidan, MMTC Festival of Gold, Sponsorship to ASSOCHAM for Second International Gold Summit, Youth Festival of College Students on Consumer Awareness Theme (Delhi Hat), Consumer Rights Awareness Festival at Lakshmi Bai College, QCI Quality Conclave, Krishi Expo, etc. Blow-ups on various activities of BIS were displayed, activities of BIS were displayed, activities of BIS were explained to the visitors, a large number of publicity literature was distributed during the exhibitions. The film to promote ISI Mark and other activities were also screened during the exhibitions.

Sale of Standards and Other Publications

The Bureau is selling Indian Standards and Special Publications through 17 sales outlets at Headquarter, Regional and Branch Offices. Sales are also done through registered booksellers numbering 202. The all-India sales during 2006-07 were Rs 46.97 million as against Rs. 41.85 million last year. The commission earned on sale of overseas standards was Rs 5.16 million (excluding royalty from overseas Standards Body for fourth quarter) as against Rs.10.50 million last year.

The Indian Standards are also available on CD-ROM, as a complete set or Division-Council-wise sets, for leasing. The royalty received on leasing of Indian Standards on CD-ROM was Rs 27.85 million up from the last year figure of Rs 14.11 million.

हिंदी गतिविधियाँ

राजभाषा संसदीय समिति ने भोपाल, हैदराबाद और अहमदाबाद शाखा कार्यालय का दौरा किया। नोडल अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एनआईटीएस, नोएडा में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 70 कर्मचारियों ने भाग लिया। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों बैठकें (बैठकों के बीच 90 दिन के अंतराल के साथ) का आयोजन मुख्यालय में किया गया। विभिन्न शाखा कार्यालयों में 8 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गई थी। मुख्यालय के 5 विभागों का निरीक्षण भी किया गया। हिन्दी में मूलभूत पुस्तक लेखन का एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया था। विभाग ने मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति बैठक में भाग लिया। हिन्दी पुस्तक चयन समिति की बैठक भी आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान 360 मानकों के शीर्षकों का अनुवाद किया गया। इसके अलावा अनुवाद पैनल ने 40 मानकों को अनुवाद हेतु विचार में लिया। पांच मानक हिन्दी में प्रकाशित किए गए। 15 अंतिम रूप दिए गए मानक मसौदा मुद्रणाधीन हैं। लगभग 281 पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया गया जैसे वार्षिक रिपोर्ट, विश्व मानक दिवस प्रलेख, विभिन्न विनियम, आंतरिक दूरभाष निर्देशिका, राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार प्रलेख, समझौता ज्ञापन संबंधी प्रलेख। हॉल मार्किंग विभाग की 19 स्लाइडों का अनुवाद हिन्दी में किया गया। लगभग 500 पृष्ठों की प्रैस नोट, विज्ञापन, निविदाएं, पत्र, टिप्पण आदि का अनुवाद, पुनरीक्षण, टंकण, मिलान तथा सुधार कार्य तत्काल आधार पर किया गया।

विदेशी भाषाएँ और प्रकाशन

विभाग में दो मासिक पत्रिकाओं – स्टेंडर्ड्स इंडिया पूर्व आईएसआई बुलेटिन, जो 1949 से जारी है और स्टेंडर्ड्स मंथली एडिशन, जो 1958 में आरंभ हुआ, के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यवसाय वृत्तों में मानकीकरण अभियान के प्रक्षेपण और प्रवर्तन का कार्य किया जाता है। स्टेंड्र्डस इंडिया में देश और विदेश में मानकीकरण प्रयास का एक रोचक विवरण तथा समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्षेत्र की नवीनतम प्रगति पर प्रकाश डाला जाता है, विचारोत्तेजक महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, यह अब इस क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित पत्रिका बन गई है। स्टेंडर्ड मंथली एडिशन एक छोटा परन्तु सुगठित प्रकाशन है, जिसमें माह के दौरान आंतरिक स्तर पर नए, विद्यमान या मसौदा के तौर पर जारी अथवा विदेश से प्राप्त मानकों के विषय में सभी संशोधन, रूपान्तर और सूचनाएँ प्रकाशित किए जाते हैं।

एक कैटलॉग में ये शीर्षक शामिल हैं (क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानकों को 31 दिसम्बर तक अद्यतन किया जाता है, (ख) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में अपनाए जाने के लिए भारतीय मानक, (ग) हिन्दी में भारतीय मानक (अनुवाद), (घ) विशेष प्रकाशन, संदर्भ और गणना सहायक, तथा (ड.) कैटलॉग में सूचीबद्ध सभी प्रकाशनों के संगत सूचकांक का प्रकाशन विभाग द्वारा वार्षिक रूप से किया जाता है।

भा मा ब्यूरो के पास सभी प्रकाशनों के कॉपीराइट (सर्वाधिकार) सुरक्षित हैं और भारतीय मानकों से सार–संक्षेप पुनरूत्पादित करने के अनुरोध विभाग को अग्रेषित किए जाते हैं। आईएसओ/जन. 19 : 1999 'पुस्तकों में आईएसओ मानकों के लिए तीसरे पक्षकारों को कॉपीराइट के दोहन अधिकार सौंपने

Hindi Activities

The Parliamentary Committee on Official Language visited Bhopal, Hyderabad and Ahmedabad Branch Offices. Hindi workshop was organized for Nodal Officers/ staff at NITS, NOIDA where 70 officials participated. During the year, all the four meetings (with a gap of 90 days between meetings) of Official Language Implementation Committee were organized at Headquarters. Eight Hindi workshops were organized in different branch offices. Five departments of Headquarters were also inspected. A programme for Basic book writing in Hindi was also prepared. The department participated in the Ministry's Meeting of the Hindi Advisory Committee. Meeting of Hindi Books Selection Committee was also held.

During the year, 360 standards titles were translated. Besides, the translation panel considered 40 standards for translation. Five standards were published in Hindi. 15 Finalized draft standards are under print. About 281 pages of translation work like Annual report, World Standards Day documents, different regulations, internal telephone directory, RGNQ awards documents, MOU related documents. 19 slides from Hall marking department were translated in Hindi. 500 pages of Press Notes, Advertisements, Tenders, Letters, notes were translated, vetted, typed, compared and correction work was done on urgent basis.

Foreign Languages and Publications

The department handles the projection and promotion of the standardization movement in scientific, technical, industrial and business circles through two monthly journals – Standards India, the erstwhile ISI Bulletin which dates back to 1949, and Standards Monthly Additions, which was started in 1958. Standards India presents a stimulating commentary and review of the standardization effort at home and abroad. Highlighting as it does the very latest progress in the field, spiced with thought provoking critical comments; it has established itself in the field as a magazine of repute. The Standards Monthly Additions is a small but sleek publication recording all amendments, alterations and information regarding standards, new, existing or in the draft stage issued at home or received from abroad during the month.

A catalogue containing titles of (a) Indian Standards published by BIS updated up to the 31st December, (b) International Standards adopted as Indian Standards, (c) Indian Standards in Hindi (translation), (d) Special publications, reference and calculation aids, and (e) Index corresponding to all publications listed in the catalogue is published annually by the department.

BIS has the copyright of all its publications and requests for reproducing extracts from Indian Standards are forwarded to the department. After technical verification and calculations based on the procedures adopted from

हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत' से अपनाई गई प्रक्रिया विधियों पर आधारित तकनीकी सत्यापन और गणनाओं के बाद विभाग की ओर से आवेदक द्वारा कॉपीराइट प्रभारों के भुगतान पर उसे अनुमति प्रदान की जाती है।

विभाग द्वारा विभिन्न विदेशी भाषाओं के तकनीकी प्रलेखों, मानकों और अन्य सामग्री के अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी से फ्रांसीसी तथा जर्मन भाषा में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विभिन्न तकनीकी समितियों और उद्योग से अनुरोध नियमित रूप से मिल रहे हैं। विभाग द्वारा उन देशों में भी अंतः क्रिया की सुविधा दी जाती है, जहाँ जर्मन या फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है।

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

भा मा ब्यूरो एक उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है, जिसका नियंत्रण *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,* 1986 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों द्वारा किया जाता है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएसआई मुहर के नाम से लोकप्रिय) की उपस्थिति संगत भारतीय मानक के साथ इसकी अनुरूपता इंगित करता है। किसी विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पहले भा मा ब्यूरो विनिर्माता के पास आवश्यक अवसंरचना तथा क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है और निरंतरता आधार पर संगत भारतीय मानक के अनुरूप उत्पाद की जांच करता है। उत्पादन स्थल और बाज़ार से नमूने लिए जाते हैं तथा संगत भारतीय मानक के साथ उनकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र प्रयोगशाला से उनकी जांच कराई जाती है।

प्रमाणन योजना मूलतः स्वैच्छिक प्रकार की है, परन्तु उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मदों की एक संख्या तथा बृहत उपभोग वाले मदों के लिए इसे सरकार द्वारा विभिन्न वैधानिक उपायों जैसे *खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, भारतीय गैस सिलिण्डर नियमों* के साथ *भा मा ब्यूरो अधिनियम* के माध्यम से अनिवार्य बनाया गया है। इनमें से कुछ मदों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के आधार पर अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत लाया गया है वे हैं एलपीजी सिलिण्डर, सीमेंट, इस्पात की नलियाँ, क्लिनिकल थर्मामीटर, प्लास्टिक की दूध पिलाने की बोतल, पैकेजबंद पेयजल, पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल जल आदि।

वर्ष 2006–2007 के दौरान भा मा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना में पर्याप्त प्रगति की गई। वर्ष के दौरान 2 468 नए लाइसेंस (हॉलमार्किंग के अतिरिक्त) प्रदान किए गए। जिसमें मध्य क्षेत्र में –664, पूर्वी क्षेत्र में –237, उत्तरी क्षेत्र में –497, दक्षिण क्षेत्र में –580, पश्चिमी क्षेत्र में –482, के. मो. वि. में –8 प्रदान किए गए। वर्ष 2006–2007 के दौरान पहली बार 24 उत्पादों को प्रमाणन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ये उत्पाद हैं पशुधन भोजन के घटक के रूप में सरसों और

ISO/GEN 19: 1999 'Guidelines for Granting Copyright Exploitation Rights to Third Parties for ISO Standards in Books', the department grants permission to the applicant on payment of the copyright charges.

Translation services are provided by the department for translation of technical documents, standards and other material from various foreign languages into English and from English into French and German. Regular requests are received from various technical committees as well as from the industry. The department also facilitates interaction with countries where German or French language is spoken.

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a Product Certification Scheme, which is governed by the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986 and Rules and Regulations framed thereunder. Presence of Standard Mark (Popularly known as ISI Mark) on product indicates conformity to the relevant Indian Standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian Standard on a continuous basis. Samples are also drawn from the production line as well as from market and got tested in independent laboratories to ensure their conformance to the relevant Indian Standard.

The Certification Scheme is basically voluntary in nature but for a number of items affecting health and safety of the consumer and those of mass consumption, it has been made mandatory by the Government through various statutory measures such as *Prevention of Food Adulteration Act, Indian Gas Cylinders Rules* besides *BIS Act.* Some of the items brought under mandatory certification on consideration of health and safety are LPG cylinders, cement, steel tubes, clinical thermometers, plastic feeding bottle, packaged drinking water, packaged natural mineral water, etc.

Considerable progress was made in BIS product certification scheme during 2006-07. During the year 2 468 new licences (excluding hallmarking) were granted. The number of licences granted by different regions are, CRO – 664, ERO – 237, NRO – 497, SRO – 580, WRO – 482, CMD – 8. During this period 24 new products were covered for the first time under the scheme. These products included Luminaries: Flood Lights; Horizontal

रेप्सीड तेल केक; क्षैतिज अकेंद्रिक स्वयं प्राइमिंग पम्प; विद्युत उपकरण के धूल रोधी ज्वाला रोधी आवेष्टन; एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट (एमिन प्रकार); षटकोणीय सॉकेट हैड कैप पैंच; दीवार घड़ी (बेटरी से चलने वाली); सामान्य प्रयोजन के लिए बांस की चटाई का बोर्ड; प्राकृतिक मिनरल जल और पैकेजबंद पेयजल को पैक करने के लिए पात्र; बुझते हाइड्रोकार्बन और ध्रुवीय विलायक तंतुओं के लिए बहु प्रयोजन जलीय पर्त बनाने वाला झागदार तरल सान्द्र; इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रतिशत एसएल; ठण्डे और गर्म पानी की आपूर्ति के लिए पोलीएथिलीन/एल्युमिनियम/पोलीएथिलीन सम्मिश्र दबाव पाइप; बत्ती उपकरण : फ्लड लाइट; दोहरे सिरे वाले रिंग रैंच (पाने); क्रैंकित; टेबल वाइन; फॉस्फेट विलायक जीवाणु संरोपण; सिरामिक टाइलों और मोजैक के साथ उपयोग के लिए आसंजक; खाद्य मूंगफली का आटा (कोल्हू से निकाला गया); स्वच्छ ठण्डे पानी के लिए उर्ध्व टर्बाइन मिश्रित और अक्षीय प्रवाह; इंसुलीकृत केबल के एल्युमिनियम संवाहकों के लिए संपीडन प्रकार के नालीदार कनेक्टर (संयोजक); काली चाय; स्वच्छ ठण्डे पानी के लिए क्षैतिज अपकेन्द्री पम्प; ग्लिसरोल मोनोस्टिएरेट, खाद्य ग्रेड; एजोस्पाइरिलियम संरोपण; घरेलू तिरछी सिलाई वाली मशीन।

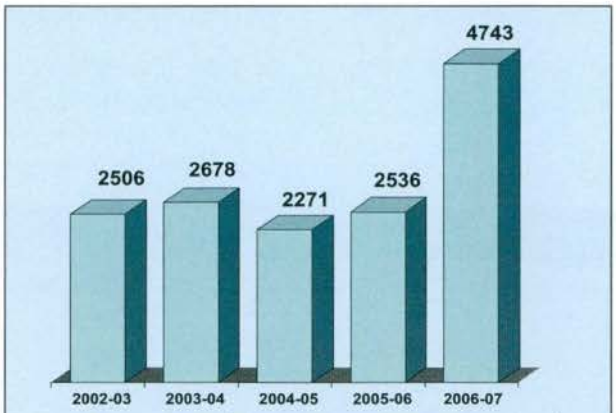

आकृति 2 भा मा ब्यूरो द्वारा स्वीकृत उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस

***Fig.* 2 BIS Product Certification Licences Granted**

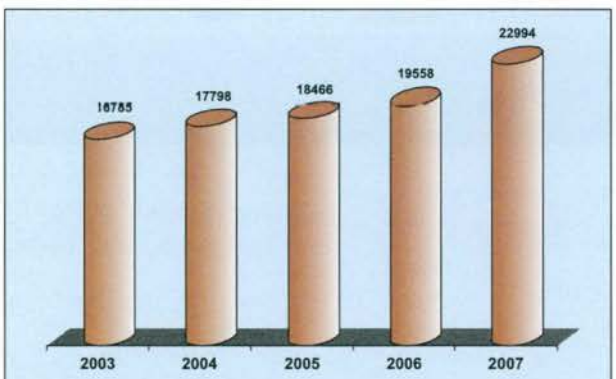

आकृति 3 लागू लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च के अनुसार)

***Fig.* 3 Number of Operative Licences (as on 31 March)**

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अंतर्गत इस प्रकार लिए गए कुल भारतीय मानकों की संख्या, जिसमें उत्पादों का प्रमाणन किया गया है, लगभग 1 000 है। वर्ष के दौरान 4 743 नये लाइसेंस प्रदान किये गये (हालमार्किंग लाइसेंसो के साथ) (*देखें* आकृति 2)। दिनांक 31 मार्च 2007 को प्रचालित लाइसेंसों की कुल संख्या 22 994 (हॉलमार्किंग के साथ) है (*देखें* आकृति 3)।

उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत प्रचालित लाइसेंस/आवेदकों का आकलन

लाइसेसों की अवधि की निगरानी के लिये वर्ष के दौरान 35 155 निरीक्षण दौरे किये गये और स्वतंत्र परीक्षण के लिए 29 056 नमूने लिए गए। जनशक्ति की बाधाओं के कारण, भा मा ब्यूरो ने निगरानी निरीक्षणों का कार्य बाहरी अभिकरण को आउटसोर्स किया है। वर्ष के दौरान 11 812 निरीक्षण आउटसोर्स अभिकरणों द्वारा किया गया है। भा मा ब्यूरो ने आउटसोर्स किए गए अभिकरणों को बाजार के नमूने प्राप्त करने के कार्य का एक भाग भी आउटसोर्स किया। वर्ष के दौरान आउटसोर्स किए गए अभिकरणों द्वारा 390 बाजार नमूने लिए गए।

Centrifugal Pumps for Clear Cold Water; Bamboo Mat Board for General Purpose; Glyceryl Monostreate, Food Grade; Antistripping Agents (Amine type); Mustard and Rape Seed Oil Cake as Livestock Feed Ingredient; Containers for Packaging of Natural Mineral Water and Packaged Drinking Water; Imidacloprid 17.8% SL; Double Ended Ring Wrenches (Spanners): Cranked; Adhesive for Use with Ceramic Tiles and Mosaics; Horizontal Centrifugal Self-Priming Pumps; Haxagon Socket Head Cap Screw; Phosphate Solubilizing Bacterial Inoculants; Edible Groundnut Flour (expeller pressed); Black Tea; Azospirillum Inoculants; Dust Tight Ignition Proof Enclosures of Electrical Equipment; Wall Clocks (Battery Operated); Multipurpose Aqueous Film Forming Foam Liquid Concentrate for Extinguishing Hydro Carbon and Polar Solvent Fires; Polyethylene/Aluminium/Polyethylene Composite Pressure Pipes for Hot and Cold Water Supplies; Table Wine; Vertical Turbine Mixed and Axial Flow for Clear Cold Water; Compression Type Tubular in Line Connectors for Aluminum Conductors of Insulated Cables; Household Zig-zag Sewing Machine.

The total number of Indian Standards covered under BIS Certification Marks Scheme is around 1 000. During the year 4 743 new licences (including Hallmarking licences) were granted (*see* Fig. 2). The total number of operative licences as on 31 March 2007 were 22 994 (including Hallmarking) (*see* Fig. 3).

Assessment of Operative Licences/Applicants under Product Certification Scheme

In order to monitor the operation of licences, a total number of 35 155 inspection visits were organized during the year and 29 056 samples were drawn for independent testing. Due to constraint of man power, BIS is outsourcing part of the surveillance inspections to the outside agencies. During the year 11 812 inspections were carried out by the outsourced agencies. BIS has also outsourced part of the procurement of market samples to the outsourced agents. During the year 390 market samples were drawn by the outsourced agencies.

प्रमाणन प्रचालन की समीक्षा

भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह योजना के प्रचालन के बारे में पुनर्निवेशन के लिए प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाइसेंसधारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष 2006–07 में प्राकृतिक रबर, एज्बेस्टस सीमेंट उत्पादों, बिजली के मीटरों, पैकेजबंद पेयजल, सौर चपटी प्लेट वाले संग्राहक, ऑप्टिकल उपकरण (विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन आईपीस) जिंक सल्फेट, वस्त्रादि और वस्त्रोद्योग उत्पाद (जूट के अलावा) पीड़कनाशी, जूट, सीमेंट, एचडीपीई पाइप, यूपीवीसी पाइप तथा फिटिंग इस्पात के उत्पाद, मोटर साइकिल चालकों के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट, इलैक्ट्रिक पानी के हीटर, पीवीसी इंसुलेटिड केबल, भवन हार्डवेयर, ज्वाला रोधी आवेष्टन, डीज़ल इंजन और पम्प के क्षेत्रों को शामिल करते हुए लाइसेंसधारियों के साथ 25 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो विदेशी विनिर्माताओं के लिए उत्पाद प्रमाणन योजना चला रहा है। इस योजना में उत्पाद की विशिष्टताओं वाले ऐसे भारतीय मानक हेतु किसी भी उत्पाद के लिए लाइसेंस प्रदान किया जा सकता हैं जिसमें प्रमाणन निहित हो। यह योजना स्व–प्रमाणन के आधार पर चलाई जाती है जिसमें विनिर्माता उस भारतीय मानक से अनुरूपता सुनिश्चित करने के बाद उत्पाद पर मानक मुहर लगा सकता है जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है। अपने सतर्कता अभियानों के माध्यम से ब्यूरो उत्पाद की गुणता पर सख्त निगरानी रखता है। भा मा ब्यूरो ने चीन, भूटान, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इंडोनेशिया, इटली, नेपाल, पौलेंड, स्पेन, स्विटज़रलैंड, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों को सीमेंट, लकड़ी के उत्पाद, प्लग और सॉकेट आउटलेट, आरसीसीबी, सामान्य प्रयोजनों के ब्लास्टिड लैम्प, प्लास्टिक की फीडिंग बोतलें, क्लिनीकल थर्मामीटर, पैकेजबंद पेयजल, पैकेजबंद मिनरल जल, इस्पात के उत्पाद, पीवीसी ऊष्मारोधित केबल, एसी स्थैतिक वॉटआर मीटर जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए लाइसेंस प्रदान किए हैं। वर्ष के दौरान केबल, स्विच,प्लास्टिक की फीडिंग बोतलें, एसी स्थैतिक वॉटआर मीटर और अवशिष्ट करंट चालित परिपथ वियोजक जैसे उत्पादों के लिए चीन, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन और थाइलैंड जैसे देशों को 8 लाइसेंस दिए गए जिससे विदेशी विनिर्माता योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाइसेंसों की कुल संख्या 65 हो गई है।

भा मा ब्यूरो भारतीय आयातकों के लिए भी उत्पाद प्रमाणन योजना चला रहा है। आयातक इकाई को भारतीय विनिर्माता की तरह ही लिया जाता है और उन्हें अन्य भारतीय विनिर्माताओं की भांति ही

Review of Certification Operation

In order to acquire feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees representing significant fields of operations are organized on a regular basis. In 2006-07, 25 review meetings with licensees were organized covering the areas of Natural Rubber, Asbestos Cement Products, Energy Meters, Packaged Drinking Water, Solar Flat Plate Collector, Optical Instruments (Various types of microscopes and binocular eyepieces), Zinc Sulphate, Textile and Textile Products (Other than Jute), Pesticides, Jute, Cement, HDPE Pipes, UPVC Pipes and Fittings, Steel Products, Protective helmet for motorcycle riders, Electric Water Heaters, PVC Insulated Cables, Building Hardware, Flameproof Enclosures, Diesel Engine and Pumps.

Foreign Manufacturer Certification Scheme

BIS is operating a product certification scheme for foreign manufacturers. In this scheme, a licence can be granted for any product against an Indian Standard specifying product characteristics, which is amenable to certification. The scheme operates on self-certification basis, whereby the manufacturer is permitted to apply the Standard Mark on the product after ascertaining its conformity to the Indian Standard licenced for. Through its surveillance operations, the Bureau maintains a close vigil on the quality of goods certified. BIS has granted licences for various products such as Cement, Wood products, Plugs and socket outlets, RCCBs, Self-ballasted lamps for general purposes, Plastic Feeding Bottle, Clinical Thermometers, Packaged Drinking water, Packaged Natural Mineral water, Steel Products, PVC insulated cables, Wood products, ac static watthour meter in different countries such as China, Bhutan, Bangladesh, France, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Italy, Nepal, Poland, Spain, Switzerland, UAE. During the year 8 licences were granted for products such as Cables, Switches, Plastic Feeding Bottles, ac watthour meters and Residual Current Operated Circuit Breakers in countries like Italy, China, Greece, France, Spain and Thailand taking the number of total licences in operation under Foreign Manufacturers Scheme to 65.

BIS is also operating a product certification Scheme for Indian Importers. An importing unit is treated as an Indian manufacturer and licence granted and

लाइसेंस दिया और संचालित किया जाता है। आयातक इकाई के पास भारतीय मानकों से अपने उत्पाद की अनुरूपता के परीक्षण के लिए पूरी सज्जित प्रयोगशाला होनी चाहिए। भा मा ब्यूरो इस योजना के अंतर्गत 2 लाइसेंस संचालित कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय योजनाएँ

आईईसी की अनुरुपता आकलन योजनाएँ

आईईसी द्वारा विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों नामतः आईईसीईई – सीबी, आईईसीक्यू तथा आईईसीईएक्स योजनाओं के लिए तीन विश्व व्यापी अनुरुपता आकलन योजनाओं का प्रचालन किया जाता है।

i) आईईसीईई–सीबी योजना

भा मा ब्यूरो में ऐसे उत्पादों की श्रेणियाँ चुनने के लिए जारी करने और मान्यता देने के लिए एनसीबी को अनुमोदन दिया है, जिनके लिए भारतीय विनिर्माताओं को सीबी प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं, यह अनुमोदन 2008 तक वैध है।

ii) इलैक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए आईईसी गुणता आकलन पद्धति (आईईसीक्यू)

इस पद्धति के अंतर्गत भारत में प्रचालित निम्नलिखित संगठन शामिल हैं :

क) **भा मा ब्यूरो** – यह राष्ट्रीय अधिकृत संस्थान (एनएआई) के रूप में और मानकों के निर्धारण के लिए यह राष्ट्रीय मानक संगठन (एनएसओ) के रूप में कार्य करता है जिस पर देश में पद्धति के प्रबंधन का पूरा दायित्व है।

ख) **एसटीक्यूसी निदेशालय** – यह मूल्य निरुपण और निगरानी के दायित्व के साथ राष्ट्रीय पर्यवेक्षण निरीक्षणालय (एनएसआई) के रूप में कार्य करता है।

ग) **एनपीएल तथा एसटीक्यूसी की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ** – यह राष्ट्रीय अंशशोधन सेवा (एनसीएस) प्रदान करता है, जो पद्धति को अंशशोधन समर्थन देता है।

इस पद्धति के अंतर्गत एनएआई द्वारा विनिर्माताओं, वितरकों तथा प्रयोगशालाओं को एनएसआई द्वारा किए गए मूल्य निरुपण के आधार पर अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। अनुमोदन प्रदान करने के बाद एनएसआई द्वारा इन इकाइयों के निरीक्षण दौरे भी किए जाते हैं। प्रचालन की समग्र पद्धति का नियंत्रण भारतीय राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था विवरण द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक शामिल संगठन के कार्यों का विवरण देने के साथ भारत में अपनाई जाने वाली अनुमोदन की पद्धति भी प्रदान करता है।

iii) विस्फोटक वातावरण के लिए विद्युत उपकरणों हेतु मानकों के प्रमाणन की आईईसी ईएक्स योजना (आईईसी ईएक्स)

भारत में आईईसी ईएक्स योजना के प्राचलन से प्रोद्भुत संभावित लाभों को देखते हुए भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में भा मा ब्यूरो ने राष्ट्रीय सदस्य निकाय के रूप में स्वीकार करने के लिए आवेदन जमा किया है। आईईसी ईएक्स नियमों के अनुसार आईईसी ईएक्स योजना में सदस्यता के लिए भारत का आवेदन अनुमोदित हो गया है।

operated in manner similar to other Indian manufacturers. The importing unit should setup a fully equipped laboratory for testing the product for its conformity to Indian Standard. BIS is operating 2 licences under this scheme.

INTERNATIONAL SCHEMES

Conformity Assessment Schemes of IEC

IEC operates mainly 3 world wide conformity assessment schemes for electrical and electronic products, namely IECEE-CB, IECQ and IECEx Schemes.

i) IECEE-CB Scheme

BIS has been approved as Issuing and Recognizing NCB for select categories of products for which it can issue CB certificates to Indian manufacturers and the approval is valid up to 2008.

ii) IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ)

Under the system presently operated in India, following organizations are involved:

a) **BIS** – Acts as National Authorized Institution (NAI) having overall responsibility of managing the system in the country and National Standards Organization (NSO) for formulation of standards.

b) **STQC Directorate** – Acts as National Supervising Inspectorate (NSI) having responsibility of appraisal and surveillance.

c) **NPL and Regional Laboratories of STQC** – Act to provide National Calibration Services (NCS) which provides calibration support to the system.

Under this system, approvals are granted by NAI to manufacturers, distributors and laboratories on the basis of appraisal done by NSI. After the approval is granted, surveillance visits are also paid to these units by NSI. Overall system of operation is governed by Indian National Statement of Surveillance Arrangements which provides details of functions of each organization involved and also the system of the approval followed in India.

iii) IEC EX Scheme for Certification to Standards for Electrical Equipments for Explosive Atmospheres (IEC EX)

In view of the benefits likely to accrue from the operation of the IEC Ex Scheme in India, BIS as the National Standards Body of India submitted the application for being accepted as National Member Body. In accordance with the IEC Ex Rules, India's Application for membership in the IEC Ex Scheme has been approved.

नई पहलें

लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रियाविधि का सरलीकरण – लाइसेंस प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के उपाय किए गए हैं। लाइसेंस प्रदान करने में अधिक समय लगने में योगदान देने वाली एक प्रमुख बाधा नमूनों के परीक्षण में लगने वाला समय है। नई सरल प्रक्रियाविधि के अंतर्गत इसे बताया गया है और भा मा ब्यूरो की अनुमोदित प्रयोगशालाओं से आवेदकों द्वारा नमूनों के परीक्षण कराने के आधार पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इससे लगने वाला कुल समय 4 माह से घट कर 1 माह रह गया है। आवेदकों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिकारी के दौरे के स्थान पर एक चार्टर्ड अभियंता द्वारा सत्यापित लाइसेंस प्रदान करने की पूर्व शर्त पाने का एक वैकल्पिक मार्ग भी दिया गया है तथापि, फलस्वरूप भा मा ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा विनिर्माण और परीक्षण अवसंरचना की निरंतरता और अनुरक्षण सुनिश्चित करना जारी रहेगा। पुनः आवेदनों में या तो लाइसेंस प्रदान करने के लिए सामान्य प्रक्रियाविधि अथवा लाइसेंस प्रदान करने की सरलीकृत प्रक्रियाविधि के अनुसार आवेदन करने का विकल्प दिया जाता है।

स्वर्ण/रजत के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना

वर्ष 2006–07 के दौरान यौक्तिकीकरण एवं सरलीकरण के कार्यान्वयन से इस योजना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिनांक 1 अप्रैल 2006 को स्वर्ण आभूषणों के हॉलमार्किंग हेतु लाइसेंसों की संख्या 1 410 से बढ़ कर 31 मार्च, 2007 तक 3 466 हो गई है। इसी प्रकार रजत आभूषणों/वस्तुओं के लिए रजत लाइसेंसों की संख्या 1 अप्रैल, 2006 को 23 से बढ़ कर 31 मार्च, 2007 को 242 हो गई है।

यौक्तिकीकरण एवं सरलीकरण के बाद प्रदान किए जाने वाले प्रतिमाह औसतन लाइसेंसों की संख्या 16 थी, जो 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च, 2007 की अवधि में उल्लेखनीय रूप से बढ़ कर 189 प्रति माह हो गई है।

वर्ष 2006–07 के दौरान हॉलमार्क किए गए स्वर्ण आभूषण/वस्तुएँ 94.73 लाख रही। प्रति माह हॉलमार्क की गई औसत वस्तुओं की संख्या 2005–06 में 4.33 लाख प्रतिमाह से बढ़ कर इस वर्ष 7.89 लाख प्रति माह हो गई है।

पणधारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस योजना में आवेदन प्रपत्र में उपयुक्त परिवर्तन करते हुए पुनः संशोधन किए गए हैं और विभिन्न शाखा कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले बहु श्रृंखला आउटलेटों वाले आभूषण निर्माताओं के साथ एक शाखा कार्यालय द्वारा केन्द्रीय अंतःक्रिया के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। पुनः बहु श्रृंखला आउटलेट वाले आभूषण निर्माताओं को प्रथम लाइसेंस के बाद अगले आउटलेट के लिए 25 प्रतिशत की रियायत की अनुमति दी गई है।

स्वर्ण के लिए भा मा ब्यूरो हॉलमार्किंग योजना एक तृतीय पक्ष प्रमाणन योजना है जिसमें लाइसेंसधारी को भा मा ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन और हॉलमार्किंग केन्द्रों द्वारा हॉलमार्क किए गए आभूषण/वस्तुएँ मिल सकती हैं। केन्द्रों को आकलन और हॉलमार्किंग केन्द्रों की मान्यता के लिए भा मा ब्यूरो मानदण्ड के पालन के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 'परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं की सक्षमता हेतु सामान्य आवश्यकताओं' पर

NEW INITIATIVES TAKEN

Simplification of Procedure for Grant of Licence – Initiative has been taken to reduce the time taken for grant of licence. One of the major factors which contributed towards delay in grant of licence was the time taken in testing of sample. Under the new simplified procedure, this has been addressed and licence is being granted based on samples got tested by applicants from BIS approved labs. This has significantly reduced the time period from 4 months to 1 month. An alternate option has also been provided to the applicants to get the pre-requisite for grant of licence verified by a Chartered Engineer in place of visit by a BIS officer. However, subsequently, visits by BIS officers would continue to ensure continuance and maintenance of manufacturing and testing infrastructure. Further, applicants are given an option to apply either as per Normal Procedure for grant of licence or as per Simplified Procedure grant of licence.

Hallmarking Scheme of Gold/Silver Jewellery

With the implementation of the simplified and rationalized scheme for Hallmarking, the Scheme has significantly grown during the year 2006-07. The number of licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 1 410 on 1 April 2006 to 3 466 as on 31 March 2007. Similarly the number of silver licences for Hallmarking of silver jewellery / artifacts has grown from 23 on 1 April 2006 to 242 as on 31 March 2007.

The average number of licences granted per month before simplification and rationalization were 16 per month, which has significantly grown to 189 per month during the period 1April 2006 to 31 March 2007.

94.73 lakh articles of gold jewellery/artifacts have been hallmarked during the year 2006-07. Average quantity hallmarked per month has grown to 7.89 lakh/month in this year from 4.33 lakh/month in the year 2005-06.

Based on the feedback received from stakeholders, the Scheme has been further modified by making appropriate changes in the application form and formulating guidelines for centralized interaction by one Branch Office with the jewellers having multi chain outlets falling under different Branch Offices. Further, Jewellers having multi chain outlets have been permitted 25 percent discount for every subsequent outlet after the first licence.

The BIS Hallmarking Scheme for gold is a third party certification scheme in which the licensees can get their jewellery/artifacts hallmarked by the BIS recognized Assaying & Hallmarking (A&H) Centres. Recognition is granted to Centres, on the basis of compliance to BIS criteria for recognition of A&H centres which is based on IS/ISO/IEC 17025 'General requirements for the competence of testing and

आधारित है। वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो मान्यता प्राप्त आकलन और हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 36 से बढ़ कर 45 हो गई है।

केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण आकलन/आभूषणों की हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की योजना का कार्यान्वयन

हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देने तथा इसे देश भर में फैलाने में सहायता देने के लिए नवम्बर 2005 में दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता से प्रायोगिक आधार पर चुने गए 35 ज़िलों में स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग और आकलन केन्द्रों को स्थापित करने की योजना अनुमोदित की गई थी। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना तक विस्तारित की गई है।

इस योजना के अंतर्गत चुने गए आवेदकों को सभी राज्यों के लिए 15 लाख रु. प्रति केन्द्र की अधिकतम सीमा तक मशीनरी तथा उपकरणों की लागत तक 15 प्रतिशत की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसे पूर्वोत्तर के स्थानों और विशेष श्रेणी के राज्यों, नामतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल को प्रति केन्द्र मशीनरी तथा उपकरणों की लागत के 30 प्रतिशत की दर पर अधिकतम 30 लाख रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता तक बढ़ाया गया था।

इस अवधि के दौरान जारी किए गए विज्ञापनों के उत्तर में भा मा ब्यूरो द्वारा विशाखापटनम और जयपुर में एक – एक केन्द्र को मान्यता दी गई थी। प्राप्त फीडबैक के आधार पर मेरठ, लुधियाना, मदुरै, सिलीगुड़ी, सेलम, मैसूर और मैंगलोर में स्थित केन्द्रों की जल्दी ही बनने की संभावना है।

शिल्पकारों के प्रशिक्षण : आभूषण निर्माताओं के साथ शिल्पकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन इस दृष्टि से आयोजित किया जा रहा है कि उन्हें हॉलमार्किंग योजना की आवश्यकताएँ समझाई जा सकें। वर्ष 2006–07 के दौरान शिल्पकारों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जनवरी 2007 में मणिपाल तथा मार्च 2007 में मुम्बई में किया गया है। इनका आयोजन भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान, मुम्बई और मणिपाल आभूषण प्रबंध संस्थान, मणिपाल के साथ समन्वय से किया गया है।

हॉलमार्किंग के विषय में प्रचार

देश में स्वर्ण आभूषण व्यापार में प्रभावी उपभोक्ता सुरक्षा के लिए हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 2006–07 के दौरान 136 जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा देश में किया गया। इनमें से कुछ कार्यक्रमों की अध्यक्षता, पणधारियों से प्रत्यक्ष बातचीत और फीडबैक लेने के लिए, भा मा ब्यूरो के उच्च प्रबंध द्वारा की गई।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त देशभर के विभिन्न समाचार पत्रों में हॉलमार्किंग योजना के लाभों के विषय में उपभोक्ताओं/आभूषण निर्माताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 290 विज्ञापन जारी किए गए।

calibration laboratories'. During the year, the number of BIS recognized assaying and hallmarking centres has grown to 45 from 36.

Implementation of the Scheme for Setting Up of Gold Assaying / Hallmarking Centres in India with Central Assistance

For promoting Hallmarking and help it to spread across the country, a scheme of setting up of Assaying and Hallmarking centres for gold jewellery in 35 select districts on a pilot basis with central assistance was approved by Government under the 10th Five Year plan in November 2005. The scheme has been extended to the 11th Five year Plan.

Under the scheme selected applicants would be given one time financial assistance @ 15 percent of cost of machinery and equipment subject to maximum of Rs. 15 lakhs per centre for all states, which was further revised for locations of north-east and special category states, namely Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttaranchal to one time financial assistance @ 30 percent of cost of machinery and equipment subject to maximum of Rs. 30 lakhs per centre.

In response to the advertisements issued during the period, two centres one each at Visakhapatnam and Jaipur were recognized by BIS. Based on feedback received centres at Meerut, Ludhiana, Madurai, Siliguri, Salem, Mysore, and Mangalore are likely to come up shortly.

Training for Artisans: The training programmes for artisans with jewellers are being organized with a view to make them understand the requirements of hallmarking scheme. During 2006-07, two training programmes for artisans have been organized, one at Manipal in January 2007 and the other at Mumbai in March 2007. These have been organized in coordination with Indian Institute of Gems & Jewellery, Mumbai and Manipal Institute of Jewellery Management, Manipal respectively.

Publicity about Hallmarking

To promote hallmarking in the country for effective consumer protection in gold jewellery trade, 136 awareness programmes were organized during the year 2006-07 by various Regional and Branch offices across the country. Some of these programmes were chaired by the top management of BIS for direct interaction and taking feedback from the stakeholders.

In addition to the above programmes 290 advertisements were released in various newspapers across the country for spreading awareness among the consumers/jewellers about the benefits of Hallmarking Scheme.

गैर हॉलमार्क किए गए आभूषणों का बाजार सर्वेक्षण – उपभोक्ता मामले मंत्रालय की सलाह पर 2006 के दौरान 16 शहरों में एक बाज़ार सर्वेक्षण का आयोजन किया गया। लिए गए तथा शुद्धता की जांच हेतु 162 नमूनों में से 146 नमूने (90 प्रतिशत) औसतन 13.5 प्रतिशत की कमी और 44.66 प्रतिशत की अधिकतम कमी के साथ शुद्धता में कम पाए गए।

भारतीय मानक ब्यूरो (मूल्यवान धातुओं की हॉलमार्किंग) विनियम, 2007 का मसौदा– हॉलमार्किंग योजना को कानूनी समर्थन देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (मूल्यवान धातुओं की हॉलमार्किंग) विनियम, 2007 का मसौदा निर्धारित किया गया और कार्यकारणी समिति के अनुमोदन के बाद इसे भारत सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया।

मूल्यवान धातुओं के नियंत्रण तथा मुहरांकन पर वियेना समझौते पर आरोहण – वियेना समझौते के पालन हेतु जारी प्रयासों के एक भाग के रूप में सितम्बर 2006 में प्राग में तथा मार्च 2007 में जिनेवा में भारतीय शिष्टमंडल ने समझौते की स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया। वियेना समझौते के पालन से आभूषण के निर्यात में सुविधा मिलेगी।

यूरोपियन एस्से आफिसेस (एएईएओ) की सदस्यता

मूल्यवान धातुओं के नियंत्रण और मुहरांकन पर समझौते की स्थायी समिति की 59वीं बैठक में भाग लेने के लिए गए भारतीय शिष्टमंडल के दौरे की रिपोर्ट और 18–19 सितम्बर 2006 को प्राग में आयोजित यूरोपीय आकलन कार्यालय संघ (एईएओ) की बैठक के आधार पर भारत (भा मा ब्यूरो) एईएओ के सदस्य बनने के मामले को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया गया और इसे भा मा ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के बाद भारत सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा जा रहा है।

एईएओ का सदस्य बनने से न केवल उपयोगी तकनीकी जानकारी मिलेगी, बल्कि भारतीय आकलन और हॉलमार्किंग केन्द्रों द्वारा राउंड रोबिन परीक्षणों में भाग लेने से इन केन्द्रों की साख स्थापित करने में सहायता मिलेगी और तकनीकी संदर्भों में भारत द्वारा वियेना समझौते के अधिग्रहण में सुविधा मिलेगी।

Market Survey of Non-Hallmarked Jewellery– On the advice of the Ministry of Consumer Affairs, a market survey was got conducted during the year 2006 in 16 cities. Out of 162 samples taken and tested for purity, 146 samples (90%) were found short in purity with average shortfall of 13.5 percent and maximum shortfall of 44.66 percent.

Draft Bureau of Indian Standards (Hallmarking of Precious Metals) Regulations, 2007 – To provide a legal back up to Hallmarking scheme, Draft Bureau of Indian Standards (Hallmarking of Precious Metals) Regulations were formulated and after the approval of Executive Committee(EC), were sent to Government of India for approval.

Accession to Vienna Convention on Control and Marking of Precious Metals – As a part of ongoing efforts for accession to Vienna Convention the meeting of the Standing Committee of the convention was attended by an Indian delegation in September 2006 at Prague and March 2007 in Geneva. Accession to the convention will facilitate export of jewellery.

Membership of Association of European Assay Offices (AEAO)

Based on the report of visit of Indian Delegation to attend 59th Meeting of the Standing Committee of the Convention on Control and Marking of Precious Metals and meeting of Association of European Assay Offices (AEAO) held on 18-19 September 2006 at Prague, the matter of India (BIS) becoming a member of AEAO has been approved in principle and is being sent for Government approval after the approval of EC, BIS is obtained.

Becoming member of AEAO will not only provide useful technical information but participation in Round Robin tests by Indian Assaying and Hallmarking centres will help establish the credibility of the centres and will facilitate accession to the Vienna convention by India in technical terms.

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

भा मा ब्यूरो ने प्रबंध पद्धतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा :

क) आईएस/आईएसओ 9001 : 2000 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना।

ख) आईएस/आईएसओ 14001 : 2000 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना।

ग) आईएस 15000 : 1998 के अनुसार खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु प्रमाणन योजना।

घ) आईएस 18001 : 2000 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना।

विभिन्न प्रबंध पद्धति प्रमाणन (एमएससी) योजनाओं के प्रोत्साहन हेतु अनेक प्रशंसा कार्यक्रमों के आयोजन किए गए और विभिन्न संगठनों में प्रस्तुतीकरण भी किए गए थे।

विभिन्न प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं से वर्ष के दौरान हुई आय 25 मिलियन रु. थी।

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना सितम्बर 1991 में *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम*, 1986 के तहत शुरू की गई थी। योजना आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शिका 62 के अनुसार चलाई जा रही है – गुणता पद्धतियों के मूल्याँकन तथा प्रमाणन/पंजीकरण करने वाले निकायों के लिये सामान्य अपेक्षाएँ हैं।

इस योजना में वृद्धि जारी रही और वर्ष 2006–07 के दौरान 74 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। वर्ष के दौरान क्यूएमएससीएस के अंतर्गत प्रतिष्ठित संगठन जैसे विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), एनटीपीसी, भारतीय नाभिकी विद्युत कॉर्पोरेशन लि., भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय, एचएएल, भाखड़ा ब्यास प्रबंध मंडल, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई), क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, आयुध फैक्टरी, अस्पताल, आर्मी बेस वर्कशॉप, केनरा बैंक और आंध्रा बैंक को

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Certification services as per International/National standards for management systems:

a) Quality Management Systems Certification Scheme as per IS/ISO 9001 : 2000

b) Environmental Management Systems Certification Scheme as per IS/ISO 14001 : 2000

c) Hazards Analysis and Critical Control Point (HACCP) Scheme as per IS 15000 : 1998

d) Occupational Health and Safety Management Systems Certification Scheme as per IS 18001 : 2000

For the promotion of various Management Systems Certification (MSC) schemes, a number of appreciation programmes were conducted and presentations were also made in various organizations.

The income generated during the year from various MSC Schemes was Rs. 25 million.

Quality Management Systems Certification Scheme

BIS Quality Management Systems Certification Scheme (QMSCS) as per IS/ISO 9001 was launched in September 1991 under the provisions of the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986. The Scheme is being operated in accordance with ISO/IEC Guide 62 – General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of quality systems.

The Scheme continued to grow and during 2006-07, 74 Quality Management Systems Certification licences have been granted. During the year, under QMSCS, prestigious organizations like Directorate General Foreign Trade (DGFT), NTPC, Nuclear Power Corporation of India Ltd. Food Corporation of India, National Railway Museum, HAL, Bhakra Beas Management Board, Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) of India, Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL), Calcutta Medical Research Institute, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Regional Passport Office, Ordnance Factories, Hospitals, Army Base workshops, Canara Bank and Andhra Bank

भा मा ब्यूरो द्वारा आईएसओ 9001 : 2000 द्वारा प्रमाणित किया गया। दिनांक 31 मार्च 2007 को कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 1 274 है (*देखें* आकृति 4)।

भा मा ब्यूरो क्यूएमएससी के पास विदेशों के लाइसेंस हैं नामतः भूटान और काबुल। काबुल के लिए लाइसेंस को हाल ही में अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट सर्विसेज़ को प्रदान किया गया है, जो अफगानिस्तान में किसी संगठन को दिया जाने वाला ऐसा पहला प्रमाणन है।

आकृति 4 गुणता पद्धति प्रमाणन लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च को प्रचालन में)

Fig. **4 Number of Quality System Certification Licences (Operative as on 31 March)**

have been certified by BIS for ISO 9001 : 2000. The total number of operative licences as on 31 March 2007 is 1 274 (*see* Fig. 4).

BIS QMSC has licences from overseas as well namely, Bhutan and Kabul. The licence at Kabul has been recently granted to the Afghanistan Reconstruction & Development Services which is the first ever such certificate granted to any organization in Afghanistan.

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं का प्रत्यायन

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन को 23 प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए राड वूर एक्रेडिटेटी (आरवीए), नीदरलैंड द्वारा प्रत्यायित किया गया है। बताई गई आवश्यकताओं के पालन की पुष्टि के लिए आरवीए द्वारा इस योजना का नियमित लेखा परीक्षण किया जाता है। आरवीए द्वारा 1–5 मई 2006 के दौरान भा मा ब्यूरो क्यूएमएस के लिए निगरानी लेखा परीक्षण किए गए।

आरवीए प्रत्यायन के अलावा, भा मा ब्यूरो क्यूएमएससीएस का प्रत्यायन भी 9 आर्थिक क्षेत्रों के लिए भारतीय गुणता परिषद (क्यूसीआई) के राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन मंडल (एनएबीसीबी) द्वारा किया गया है। यह प्रत्यायन 22 दिसम्बर 2005 से प्रभावी हुआ है और 21 दिसम्बर 2008 तक वैध है। भा मा ब्यूरो द्वारा भारतीय गुणता परिषद से अपने प्रत्यायन प्रमाणपत्रों में और अधिक विषय क्षेत्र शामिल करने के लिए कहा गया है। एनएबीसीबी, क्यूसीआई ने 2006–07 के दौरान भा मा ब्यूरो क्यूएमएस के लिए प्रथम निगरानी लेखा परीक्षण किया।

खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा क्रांतिक नियन्त्रण बिन्दु (एचएसीसीपी)

खाद्यजनित हानि विश्लेषण तथा नियन्त्रण बिन्दु (एचएसीसीपी) खाद्यान्न उत्पादन में सूक्ष्मजीवी तथा अन्य जोखिमों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिये तैयार की गई एक प्रक्रिया नियन्त्रण पद्धति है। एचएसीसीपी का उपयोग पूरी खाद्यान्न श्रृंखला– उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक किया जा सकता है और यह योजना आई एस 15000 : 1998 – 'खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान – एचएसीसीपी पद्धतियाँ तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों' पर आधारित है जो तकनीकी रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टेंडर्ड एलीनार्म – 97/13ए के समकक्ष है। 31 मार्च 2007 के अनुसार एचएसीसीपी एकीकृत गुणता पद्धति प्रमाणन योजना के तहत 67 कम्पनियाँ प्रचालित थीं। प्रमाणन के लिये अपनाई गई प्रक्रिया गुणता पद्धति प्रमाणन योजना की प्रक्रिया जैसी है। यह योजना निर्यातकों को खाद्य तथा खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में विशेष कर अमेरिका तथा यूरोप जैसे देशों को निर्यात के मामलों में मदद करेगी। भा मा ब्यूरो द्वारा आईएस 15000 के अनुसार एक स्टैण्ड अलोन एचएसीसीपी प्रमाणन योजना का भी प्रस्ताव दिया जाता है।

Accreditation of BIS Quality Management Systems Certification Schemes

BIS Quality Management Systems Certification has been accredited by Raad voor Accreditatie (RvA), Netherlands for 23 major economic activities. The scheme is regularly audited by RvA to confirm compliance to the laid down requirements. RvA had undertaken the surveillance audit for BIS QMS during the period 1-5 May 2006.

Besides RvA accreditation, BIS QMSCS has also been accredited by National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) of Quality Council of India (QCI) for 9 economic sectors. The accreditation has been effective from 22 December 2005 and is valid upto 21 December 2008. BIS is further taking up with QCI to include additional scope sectors in their accreditation certificate. NABCB, QCI had undertaken first surveillance audit for BIS QMS during 2006-07.

Hazard Analysis and Critical Control Point Certification (HACCP)

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) is a process control system designed to identify and prevent microbial and other hazards in food production. HACCP can be applied throughout the food chain from primary producer to final consumer. This scheme is based on IS 15000 : 1998 'Food Hygiene – HACCP Systems and Guidelines' which is technically equivalent to the Codex Alimentarious Commission Standard ALINORM – 97/13A, the International Standard on the subject. Under the HACCP Integrated Quality Management Systems Certification Scheme 67 certified companies were in operation as on 31 March 2007. The process followed for certification is similar to the process of QMSCS. This scheme will help the exporters in the field of food and food products especially for export to the countries like USA and Europe. BIS also offers a standalone HACCP Certification Scheme as per IS 15000.

पर्यावरण प्रबन्ध पद्धति प्रमाणन योजना

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार शुरू की गई पर्यावरण प्रबंध पद्धति (ईएमएस) की लोकप्रियता जारी है। वर्ष के दौरान 20 ईएमएस लाइसेंस प्रदान किये गये, जिससे 31 मार्च 2007 को प्रचालित लाइसेसों की संख्या बढ़ कर 124 हो गई। इन लाइसेसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, थर्मल पावर संयंत्र, ऐरोनॉटिक उद्योग, परमाणु ऊर्जा स्टेशन, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, वैद्युत बिजली तथा दूर–संचार केबल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक तथा औद्योगिक तथा विस्फोटक रसायन, रेलवे वैगन वर्कशॉप, खनन जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।

ईएमएस प्रमाणन योजना का प्रचालन आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शिका 66 में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। भा मा ब्यूरो ने अपनी ईएमएस प्रमाणन योजनाओं के प्रत्यायन के लिए भारतीय गुणता परिषद के एनएबीसीबी में आवेदन किया है। प्रलेख लेखापरीक्षण का कार्य एनएबीसीबी के साथ पूरा किया गया है तथा कार्यालय आकलन/गवाही लेखा परीक्षण की योजना अप्रैल 2007 से करने की है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो ने जनवरी 2003 में आई एस 18001 : 2000 के अनुसार ओएचएंडएसएमएस प्रमाणन शुरू किया जिससे संगठन किसी की कानूनी आवश्यकताओं और खतरों और जोखिमों के बारे में सूचना को ध्यान रखते हुये जिन्हें संगठन नियन्त्रित कर सकता है और अपने कर्मचारियों तथा अन्य लोगों, जिनका स्वास्थ्य तथा सुरक्षा इसके कार्यकलापों से प्रभावित है, के लिये नीति तथा लक्ष्य परिभाषित कर सकता है, योजना बना सकता है, और प्रबंध कर सकता है। वर्ष के दौरान 31 मार्च 2007 तक 9 ओएचएंडएसएमएस लाइसेंस प्रदान करते हुए कुल प्रचालित लाइसेंसों की संख्या 33 हो गई। इन लाइसेंसों में थर्मल पावर संयंत्र, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस पावर स्टेशन, स्वास्थ्य सेवा और कर्मचारी विकास केंद्र जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं।

यह उल्लेख किया जाता है कि इस विषय पर आईएस 18001 ऐसा प्रथम राष्ट्रीय मानक है जो विश्वव्यापी है, यह प्रमाणन के अधीन है।

नई प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाएँ

क) खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धतियों (एफएसएमएस) पर आईएसओ 22000 के प्रकाशन से भा मा ब्यूरो ने इस अंतर्राष्ट्रीय मानक को आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के रूप में

Environmental Management Systems Certification Scheme

The Environmental Management Systems (EMS) Certification Scheme launched by BIS as per IS/ISO 14001, continues to be popular. During the year, 20 EMS licences have been granted making a total of operative licences to 124 as on 31 March 2007. These licences cover technology areas like integrated steel plants, thermal power plants, aeronautical industries, atomic power stations, textiles, plastic, cement, construction, electrical and telecommunication cables, petroleum refinery, insecticides, industrial and explosive chemicals, railway wagon workshops, mining etc.

The EMS Certification Scheme is operated as per International criteria laid down in ISO/IEC Guide 66. BIS has applied to NABCB of QCI for accreditation of its EMS Certification Scheme. Document audit has already been completed with NABCB and office assessment/witness audit is being planned for April 2007.

Occupational Health and Safety Management Systems Certification Scheme

BIS launched Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) certification as per IS 18001 : 2000, in January 2003, which essentially enables an organization to define, plan and manage a policy and objectives, taking into account legislative requirements and information about significant hazards and risks, which the organization can control and over which it can be expected to have an influence, to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. During the year, 9 OH&SMS licences have been granted making a total of operative licences to 33 as on 31 March 2007. The licences cover technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power station, health services and employee development centre.

It may be mentioned that IS 18001 is the first National standard world wide on the subject which is amenable to certification.

New Management Systems Certification Schemes

a) With the publication of ISO 22000 on Food Safety Management Systems (FSMS), BIS has adopted this International Standard as IS/ISO 22000 : 2005.

अपनाया है। यह पद्धति खाद्य श्रृंखला के अंदर आने वाले सभी संगठनों को खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति कार्यान्वयन की अनुमति देती है और यह एचएसीसीपी पद्धति की तुलना में थोड़ी अधिक व्यापक है। भा मा ब्यूरो ने एफएसएमएस के लिए भी प्रमाणन योजनाएँ आरंभ की हैं और एफएसएमएस प्रमाणन हेतु अन्य दस्तावेजों के साथ आवेदकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

ख) भा मा ब्यूरो ने लोक सेवा संगठनों के लिए सेवा गुणता पर आईएस 15700 : 2005 निर्धारित किया है। भारत सरकार ने भा मा ब्यूरो से 15700 : 2005 के लिए प्रमाणन हेतु 10 विभागों को चुना है। यह मानक अंततः सरकार और नागरिक अंतरापृष्ठ पर ध्यान केन्द्रित करने एवं लोक सेवा प्रदाय की गुणता में सुधार लाने के उद्देश्य से लोक सेवा संगठनों के साथ विशिष्ट रूप से अभिकल्पित किया गया है। इस विषय में भा मा ब्यूरो ने मार्गदर्शी सिद्धांतों, जांच सूचियों और अन्य सभी प्रलेखों का विकास किया है और अब यह प्रमाणन के लिए तैयार है।

ग) सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धति (आईएसएमएस), आईएस/आईएसओ 27001 : 2005 के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धति की स्थापना, कार्यान्वयन, निगरानी, रख–रखाव और सुधार के लिए एक मॉडल प्रदान करता है, जो इसके प्रयोक्ताओं को एक संगठन की सूचना सुरक्षा आवश्यकताओं और सूचना सुरक्षा के लिए नीति तथा उद्देश्यों की स्थापना की आवश्यकता को समझने के महत्व पर बल देता है।

प्रवर्तन गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर (आईएसआई मुहर) की गुणतापूर्ण उत्पादों के प्रति झुकाव रखने वाले उपभोक्ताओं के बीच एक अच्छी छवि है। अतः उपभोक्ता और साथ ही संगठित क्रेता गैर–आईएस उत्पादों की तुलना में आईएस मुहर वाले उत्पादों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। आईएसआई मुहर की बढ़ती मांग के साथ आईएसआई मुहर के दुरुपयोग की घटनाएँ भी बढ़ रही है, क्योंकि धोखेबाज विनिर्माता भा मा ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना घटिया स्तर के उत्पादों पर आईएसआई मुहर लगाकर उपभोक्ताओं को धोखा देने का प्रयास करते हैं।

भा मा ब्यूरो मानक मुहर के दुरुपयोग की घटना भा मा ब्यूरो के लिए प्रमुख चिंता के विषयों में से एक है और इस समस्या से निपटने के लिए भा मा ब्यूरो के प्रवर्तन गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए है। वर्ष 2006–07 में 8 स्थानों पर 2 आउटसोर्स की गई एजेंसियों को नियुक्त किया गया, जिनके नाम हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), मुम्बई, चेन्नई, कोलकता, हैदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलोर और जयपुर में पहली बार भा मा ब्यूरो द्वारा प्रायोगिक परियोजना आरंभ की गई ताकि उन विनिर्माताओं के बारे में जानकारी दी जा सके जो भा मा ब्यूरो से लाइसेंस लिए बिना अपने उत्पादों पर आईएसआई मुहर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो ने पूरे भारत में भा मा ब्यूरो की मानक मुहर का दुरुपयोग करने वाली फर्मों पर 212 प्रवर्तन छापे डाले। इन छापों

This system is designed to allow all types of organizations within the food chain to implement a food safety management system and is a little more comprehensive compared to HACCP system. BIS has also launched certification schemes for FSMS and has formulated guidelines for applicants and other documents for FSMS certification.

b) BIS has formulated IS 15700 : 2005 on Service Quality for Public Service Organizations. Government of India has identified 10 departments for certification against IS 15700 : 2005 from BIS. The standard has been specifically designed for public service organizations with the ultimate objective of focusing on Government – citizen interface and improves quality of public service delivery. In this regard BIS, has developed guidelines, checklist and all other documents and is ready for certification.

c) The Information Security Management Systems (ISMS) as per IS/ISO 27001:2005 provides a model for establishing, implementing, monitoring, maintaining and improving an Information Security Management System which encourages its users to emphasize the importance of understanding an organizations information security requirements and need to establish policy and objectives for information security.

ENFORCEMENT ACTIVITIES

The BIS Standard Mark (ISI Mark) has a good brand image as the consumer is inclined towards quality products. Therefore, the consumer as well as the organized purchaser is giving preference to the ISI marked products over non-ISI products. With the growing demand of ISI marked the instance of misuse of ISI Mark is also on the rise as the unscrupulous manufacturers are trying to cheat the consumers by producing sub-standard products with ISI Mark without obtaining then licence from BIS.

The menace of misuse of the BIS Standard Mark is an area of prime concern for BIS and several steps have been initiated to strengthen the enforcement activity of BIS to curb this menace. In the year 2006-07, two outsourced agencies were appointed for 8 locations, namely, National Capital Region (NCR), Mumbai, Chennai, Kolkata, Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore and Jaipur as a pilot project for the first time in BIS to provide the information about the manufacturers who are misusing the ISI Mark on the product without having the licence from BIS.

During the year BIS has carried out 212 enforcement raids all over India on firms misusing the BIS Standard Mark.

के दौरान विभिन्न नकली उत्पाद, जिनमें अनेक घरेलू उत्पाद शामिल है, जब्त किए गए जैसे पैकेज बंद पेयजल, सीमेंट, पीवीसी इंसुलेटिड केबल, प्लाइवुड और ब्लॉकबोर्ड, पशु आहार, पीवीसी पाइप, एलपीजी स्टोव, फुट मिक्सर, स्विच/सॉकिट, बल्ब, पम्प और अन्य विद्युत उपकरण आदि। प्रवर्तन मामलों के शीघ्र प्रसंसाधन के भी प्रयास किए गए हैं तथा इसके फलस्वरूप अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालयों में अभियोजन आरंभ किए गए हैं। वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो के पक्ष में 36 प्रवर्तन मामलों का निर्णय दिया गया है।

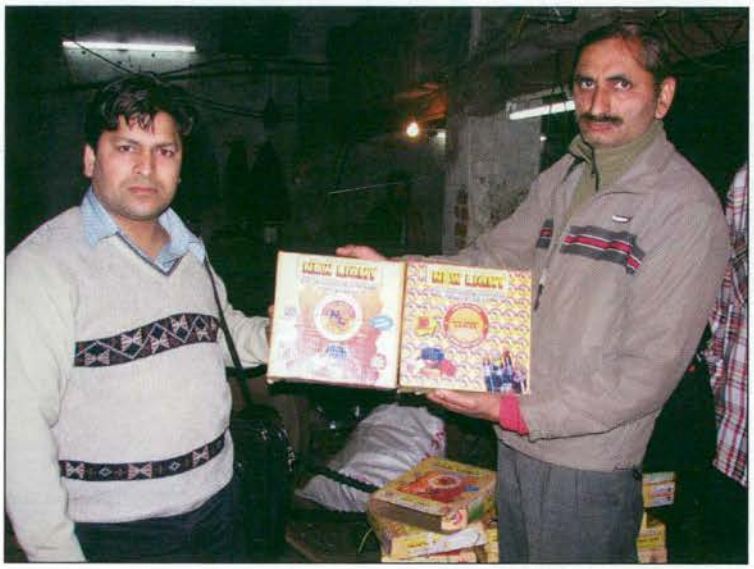

During these raids, various spurious products including many household products were seized such as Packaged Drinking Water, Cement, PVC Insulated Cables, Plywood and block board, Cattle Feed, PVC Pipes, LPG Stoves, food mixers, switches/ sockets,bulbs,pumps and other Electrical Appliances, etc. Efforts are also being made for timely processing of the enforcement cases and consequent launching of the prosecutions against the offenders in the Courts. During the year, 36 enforcement cases have been decided in favour of BIS.

भा मा ब्यूरो ने मुख्यालय और अपने कार्यालयों से देश भर में प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से धोखेबाज विनिर्माताओं के विरुद्ध उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से व्यापक कवरेज देते हुए प्रवर्तन छापों के विषय में अनेक प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की हैं, जो आईएसआई मुहर का दुरुपयोग करते हैं। इन विनिर्माताओं के नाम के साथ उनके ब्रांड नाम, जिनका उपयोग ये विनिर्माता नकली उत्पादों पर कर रहे हैं, का भी उल्लेख प्रेस विज्ञप्तियों में किया गया है। उपभोक्ता संगठनों और तत्कालीन विनिर्माता संघों के साथ इस उद्देश्य से बैठकों का आयोजन किया गया है कि उन्हें आईएसआई मुहर के दुरुपयोग के बारे में शिक्षित करने के साथ उन विनिर्माताओं के बारे में जानकारी भी दी जाए जो आईएसआई मुहर का दुरुपयोग करते हैं।

BIS has also issued a number of press releases about the enforcement raids from Headquarters and its Offices all over the country for giving wide coverage by both the print and electronic media with the intention to create awareness among the consumers about the unscrupulous manufacturers who are misusing ISI Mark . The names of such manufacturers alongwith brand names which are being used buy them on the spurious products are also being mentioned in the press releases. Meetings are also organized with the consumer organizations and then manufacturers associations with an objective not only to educate them about the misuse of the ISI Mark but also with an intention to get information about the manufacturers who are misusing the ISI Mark.

प्रयोगशाला सेवाएँ

भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाएँ मूल रूप से गैर–वाणिज्यिक प्रयोगशालाएँ है और इन्हें नमूनों के स्वतंत्र परीक्षण के लिए स्थापित किया गया है, जिन्हें भा मा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन योजना के अंतर्गत फैक्टरी और बाज़ार से लिया जाता है। नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट परीक्षण के बाद शाखाओं द्वारा दिए गए निर्देशानुसार संबंधित शाखा कार्यालयों को प्रदान की जाती है। परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान नमूने की प्राप्ति की तिथि से उसकी गोपनीयता परीक्षण रिपोर्ट जारी होने तक बनाई रखी जाती है।

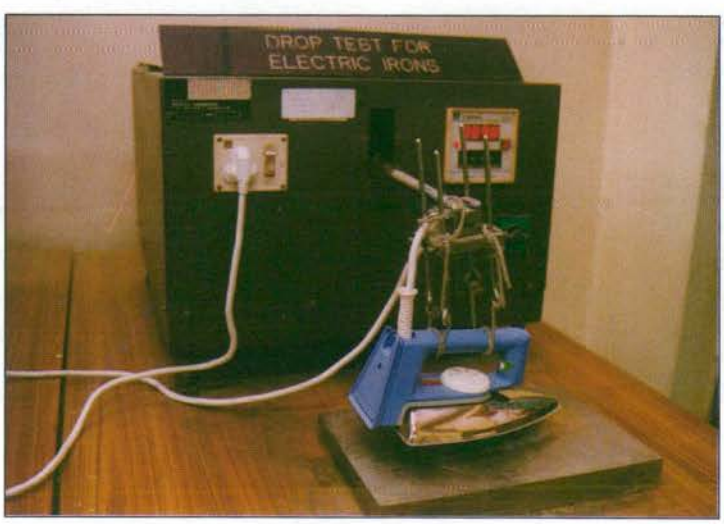

LABORATORY SERVICES

BIS laboratories are basically non commercial laboratories and have been set up for independent testing of samples which are drawn both from factory and market under BIS product certification scheme. The test reports of the samples so drawn are provided to tho concerned branch offices of Bureau after testing in accordance with the corresponding Indian Standards and as directed by the branches. During the process of testing, confidentiality of samples is maintained right from their receipt in sample cell till the issuance of test reports.

पहली भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला की स्थापना 1963 में मानक भवन स्थित मुख्यालय में की गई थी। किस्म और मात्रा के संदर्भ में कार्यभार के साथ गति बनाए रखते हुए प्रयोगशाला की सक्रियता आने वाले वर्षों में बढ़ती रही है तथा भा मा ब्यूरो ने साहिबाबाद, मुम्बई, चेन्नई, कोलकता, बैंगलोर, मोहाली, पटना और गुवाहाटी में प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।

वर्तमान में भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाएँ रसायन, यांत्रिक और विद्युत विषयों के क्षेत्र में परीक्षण सेवाएँ प्रदान करती है। रासायनिक प्रयोगशालाओं में खाद्य परीक्षण एक अविभाज्य भाग के रूप में किया जाता है। साहिबाबाद में स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में आंतरिक अंशशोधन सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक विद्युत अंशशोधन अनुभाग भी है।

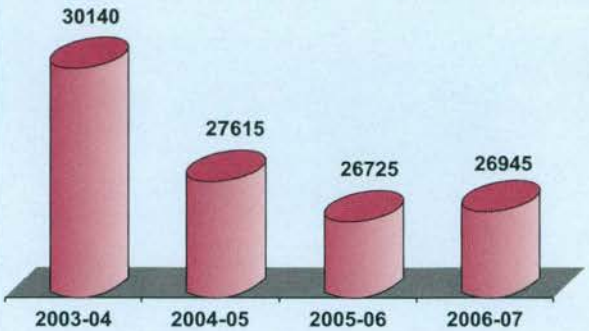

आकृति 5 भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या

Fig. **5 Number of Test Reports Issued by BIS Laboratories**

The first BIS laboratory was set up at BIS Headquarters at Manak Bhavan in 1963. In order to keep pace with the work load in terms of variety and quantity, the laboratory activity continued to expand over the years and BIS established in phases, its own laboratories at Sahibabad, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore, Mohali, Patna and Guwahati.

At present, BIS laboratories are providing testing facilities in the field of chemical, mechanical and electrical disciplines. Food testing is an integral part of the chemical laboratories. Central Laboratory at Sahibabad has also an electrical calibration section to provide in-house calibration services.

उत्पादकता

वर्ष 2006–2007 के दौरान, भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने लगातार घटती जनशक्ति के बावजूद उत्पादों की व्यापक परास पर 30 750 के लक्ष्य की तुलना में 26 945 परीक्षण रिपोर्टें जारी कीं। परीक्षण में संलग्न परीक्षण कार्मिकों की संख्या 180 की स्वीकृत संख्या के तुलना में अब 136 है। आकृति 5 में पिछले 4 वर्षों के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं के परिणाम दर्शाए गए हैं।

गुणता आश्वासन गतिविधियाँ

गुणता आश्वासन भा मा ब्यूरो की सभी प्रयोगशालाओं के परीक्षण परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। भा मा ब्यूरो की आठ प्रयोगशालाओं में से छः प्रयोगशालाएँ एनएबीएल प्रत्यायित हैं। सभी प्रयोगशालाओं को आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 17025 : 2005 की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी गुणता प्रबंध पद्धतियों के अनुसार बनाया गया है। वर्ष के दौरान गुणता आश्वासन विभागों द्वारा निष्पादित अन्य विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं :

i) गुणता आश्वासन परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्रतिशत नमूनों का गुणता आश्वासन परीक्षण किया गया।

ii) भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं ने इस्पात ट्यूब, प्रेशर कुकर, प्लग एवं सॉकेट, एचएसडी बार, पैकेजबंद पेयजल, यूपीवीसी पाइप, जीएलएस लैम्प, और कॉन्क्रीट क्यूब आदि जैसे उत्पादों के विभिन्न प्राचलों के लिए प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया गया।

iii) अधिकारियों और तकनीकी कार्मिकों ने आयोजित निम्नलिखित परीक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया:

- आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 के अनुसार लेखा–परीक्षा तकनीकें और अपेक्षाएँ
- अनिश्चिता के मापन का आकलन

Productivity

During the year 2006-2007, BIS laboratories issued 26 945 test reports against a target of 30 750 covering a vide range of products inspite of constant depletion of manpower. The strength of testing personnel involved in the testing is now 136 against the sanctioned strength of 180. The output in BIS Laboratories for the last four years is depicted in Fig. 5.

Quality Assurance Activities

Quality Assurance is an important activity in all BIS laboratories to ensure the credibility of test results. Out of eight laboratories, six laboratories of BIS are NABL accredited. All the laboratories have aligned their Quality Management System inline with the requirements of IS/ISO/IEC 17025 : 2005. The various other functions performed by the Quality Assurance Departments during the year are as under:

i) Approximately 5 percent samples were tested under Quality Assurance testing programme to verify the accuracy of the test results as reported.

ii) BIS laboratories participated in Proficiency testing programmes for products such as Steel tubes, Pressure Cooker, Plug & Socket, HSD Bars, Packaged Drinking Water, UPVC Pipes, GLS Lamps, and Concrete Cubes.

iii) Officers & technical personnel participated in the following training programmes :

- Auditing techniques and requirements as per IS/ISO/IEC 17025:2005
- Estimation of measurement of uncertainty

H164(misc)
9-6-2010

iv) शिकायत निपटान भी गुणता आश्वासन गतिविधियों के अंतर्गत निष्पादित महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जहाँ कहीं शिकायतें प्राप्त होती है तो शिकायत के वास्तविक कारण का विश्लेषण किया जाता है और उपयुक्त सुधारात्मक तथा निवारणात्मक कार्रवाइयाँ की जाती है और उनकी निगरानी की जाती है। इस गतिविधि का भी सुधारात्मक/निवारणात्मक कार्ययोजनाओं के सत्यापन हेतु आंतरिक लेखा परीक्षण कराया जाता है।

उत्पाद परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

परीक्षण विधियों में एकरुपता लाने के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोशालाओं द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान लाइसेंसधारियों/ आवेदकों के लिए एलपीजी स्टोव, केबल और कन्डक्टर, पैकेजबंद पेयजल, खाद्य रंग आदि के उत्पाद परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

परीक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और अद्यतन बनाना

आधुनिकीकरण कार्यक्रम में स्थायी समिति ने आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित पर केन्द्रित लगभग 175 मिलियन रु. के व्यय को अनुमोदन दिया :

- जहाँ आंशिक परीक्षण सुविधाएँ हैं वहाँ परीक्षण सुविधाओं को पूरा करना
- परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन
- नई परीक्षण सुविधाओं का विकास
- अवसंरचना सृजन/सुधार

इस प्रक्रिया में भा मा ब्यूरो की विभिन्न प्रयोगाशालाओं द्वारा 1 करोड़ रुपए की कीमत के उपकरणों के क्रयादेश दिए गए तथा उनकी संस्थापना के लिए अवसंरचना का विकास किया जा रहा है।

भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं की नेटवर्किंग

सक्षम सेवाएँ प्रदान करने के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में कम्प्यूटर और सहायक वस्तुएँ स्थापित की गई हैं। भा मा ब्यूरो की सभी प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने और आपस में जोड़ने के लिए एनआईसी द्वारा प्रयोगशाला सूचना प्रबंध पद्धति (एलआईएमएस) की स्थापना के लिए एनआईसी के साथ चर्चाएं जारी हैं। दिनांक 20 मई, 2006 को भा मा ब्यूरो की सभी प्रयोगशालाओं के प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक में भा मा ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जांचे गए सभी नमूनों की सभी परीक्षण रिपोर्टे स्केन की जाती हैं, तथा इनकी पीडीएफ फाइलें क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों द्वारा उपयोग के लिए भा मा ब्यूरो सर्वर पर डाली जाती हैं। इससे रिपोर्टों की हार्ड प्रतियों के दुरुपयोग, समय और पैसे की बचत होती है।

भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता योजना

फैक्टरियों और बाज़ारों से लिए गए नमूनों के परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा उत्पाद प्रमाणन योजना के प्रचालन को समर्थन देने के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता का प्रचालन किया जाता है। उक्त मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को परीक्षण का कार्यभार अधिक

iv) Complaint handling is also one of the important functions performed under quality assurance activities. Whenever complaints are received, the root cause analysis of the complaint is carried out and suitable corrective and preventive actions are taken and monitored. This activity is also subjected to internal audit for verification of corrective/preventive action plans.

Training Programmes on Product Testing

In order to bring uniformity in test methods, BIS laboratories organized several training programmes for the benefit of BIS licensees/applicants in the year 2006-07 in the fields of LPG stoves, Cables and conductors, packaged drinking water, Food colour etc.

Modernization and Upgradation of Test Facilities

In the modernization programme, the standing committee had approved approx. Rs 175 million for modernization, with focus on:

- Completion of test facilities where partial test facilities exist
- Upgradation of test facilities
- Development of new test facilities
- Creation/improvement of infrastructure

In this process, equipments to the tune of Rs. 1 Crore have already been ordered by various BIS Laboratories and infrastructure is being developed for their installation.

Networking of BIS Laboratories

A number of computers and accessories have been installed at BIS laboratories to provide efficient services. To strengthen and inter connect all the BIS laboratories, discussions are on with NIC to develop and install Laboratory Information Management Systems (LIMS). Based on the decision taken by Director General, BIS during the meeting of the Heads of all BIS Laboratories on 20 May 2006, all the test reports for samples being tested by BIS Laboratories are scanned and pdf files placed on the BIS server for use by the ROs/BOs. This has led to saving of time, money and misuse of hard copies of the reports.

BIS Lab Recognition Scheme

BIS Laboratory recognition scheme is operated by Central Laboratory to support the operation of product certification scheme for testing of samples drawn from factories and markets. Such recognized laboratories are utilized in the event of higher testing loads or

में कथित भ्रष्टाचार की समस्या का अध्ययन करने तथा उपचारी उपाय सुझाव एवं ईसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु की गई कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने के लिए ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति (ईसी) द्वारा संघटित उप–समूह द्वारा की गई सिफारिश के संबंध में कार्यान्वयन हेतु संबंधित गतिविधि प्रमुखों के साथ अनुवर्तन किया गया।

भारतीय मानक ब्यूरो में 6 से 10 नवम्बर 2006 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान भारतीय मानक ब्यूरो के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने तथा साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो को एक आदर्श भ्रष्टाचार मुक्त संगठन बनाने के लिए उनमें जागरूकता वर्धन करने के लिए ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सप्ताह के दौरान "सतर्कता के माध्यम से संगठनों में अधिक पारदर्शिता तथा सूचना का अधिकार अधिनियम" विषयवस्तु पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 7 नवम्बर 2006 को भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय में किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख संबोधन सीबीआई के पूर्व निदेशक श्री जोगिन्दर सिंह ने दिया जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। सूचना का अधिकार अधिनियम पर सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के संयुक्त निदेशक श्री एम. एस. कसाना ने एक प्रस्तुतीकरण प्रदर्शित किया। इस संगोष्ठी में 27 देशों के विदेशी अतिथियों ने भी भाग लिया, जो हैं जिम्बावे, तनजानिया, सूडान, श्रीलंका, फिल्लीपीन, नेपाल, म्यांमार, लिबिया, लेबनान, इराक, इरान, इंडोनेशिया, गुयाना, घाना, जोर्जिया, मिस्र, भूटान और अफगानिस्तान आदि हैं। " भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता" की विषयवस्तु पर एक निबंध उपयोगिता और सतर्कता मैनुअल (भा मा ब्यूरो), सीसीएस (आचार), नियम सीसीएस (सीसीए) नियम पर एक प्रश्नावली का आयोजन भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए 6 नवम्बर 2006 को किया गया। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ तथा अहमदाबाद शाखा कार्य में, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में अलग–अलग कार्यशालाएँ आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में विभिन्न सतर्कता लेखापरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं की घटनाओं पर भा मा ब्यूरो कर्मचारियों ने प्रस्तुतीकरण दिए।

वर्ष 2006–07 के दौरान शिकायतों के विषय में, यदि कोई हो, और भा मा ब्यूरो की प्रमाणन पद्धतियों को और अधिक विषय परक तथा पारदर्शी बनाने के लिए सुधार के सुझाव प्राप्त करने के लिए भा मा ब्यूरो ने लाइसेंस धारियों/आवेदकों, उपभोक्ता संगठनों तथा उद्योग संघों के साथ तीन बैठकें आयोजित की गई।

was done with the concerned Activity Heads for implementation on the recommendation made by the sub-group constituted by the Executive Committee of the Bureau to study the problem of alleged corruption in BIS and suggest remedial measures and Action Taken Report in this respect was presented to the EC.

Vigilance Awareness Week was observed in BIS from 6th to 10th November 2006 during which various programmes through out the country by all Regional/Branch Offices of the Bureau were organized for sensitizing the BIS employees against pitfall of corruption and increase awareness amongst them for turning BIS into a model and corruption-free organization. During the week, a National Seminar was organized by the department on the theme of "Greater Transparency in Organizations through Vigilance and the Right to Information Act" on 7th November 2006 at the BIS Headquarters. The Key-note address at the function was delivered by the Chief Guest, Shri Joginder Singh, Former Director, Central Bureau of Investigations. A presentation on the Right to Information Act was made by Shri M.S. Kasana, Joint Director, Institute of Secretariat Training & Management, Department of Personnel & Training, Government of India. The Seminar was also attended by foreign delegates from twenty seven countries representing Zimbabwe, Tanzania, Sudan, Sri Lanka, Philippines, Nepal, Myanmar, Libya, Lebanan, Iraq, Iran, Indonesia, Guyana, Ghana, Georgia, Egypt, Bhutan and Afghanistan to name a few. An 'essay competition' on the theme of "Need for Transparency to Curb Corruption" and a quiz on Vigilance Manual (BIS), the CCS (Conduct) Rules and the CCS (CCA) Rules" were also organized on 6th November 2006 for the BIS employees. Separate workshops were also organized at Northern Regional Office, Chandigarh and Ahmedabad Branch Office of BIS as part of the observance of Vigilance Awareness Week. In these workshops, presentations to BIS employees were made on the instances of irregularities observed during various vigilance audits.

Three meetings with BIS licensees/ applicants, consumer organizations and industry associations were also organized during 2006-07 to elicit direct feedback regarding grievances, if any, and suggestions for improvement in order to make the BIS systems more objective and transparent.

तकनीकी सूचना सेवाएं

डब्ल्यूटीओ / टीबीटी पूछताछ केन्द्र

भारतीय मानक ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट डब्ल्यूटीओ / टीबीटी पूछताछ केन्द्र के रूप में अपनी गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण किया। डब्ल्यूटीओ / टीबीटी करार के अंतर्गत राष्ट्रीय हित के विभिन्न मुद्दों पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ सन्निकट अंतःक्रिया का अनुरक्षण किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पूछताछ केन्द्र की सेवाएँ प्रदान करने की गतिविधि की नवम्बर 2006 तक आउटसोर्सिंग की गई। नवम्बर 2006 से डब्ल्यूटीओ / टीबीटी पूछताछ केन्द्र का निष्पादन भा मा ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से किया जा रहा है। विभिन्न देशों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में सूचना का डाउनलोड किया गया, उनका पूर्विकता निर्धारण किया गया तथा देश के भीतर अनेक पणधारकों में उनका प्रसार किया गया। पणधारक को उनकी अभ्युक्तियों के लिए अनुस्मारक भेजने की पद्धति भी स्थापित की गई। पणधारकों से प्राप्त अभ्युक्तियों का विश्लेषण किया गया तथा वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया।

व्यापार की तकनीकी बाधाओं के करारनामे की पारदर्शिता बाध्यताओं के अनुसार कुछ विशिष्ट उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत निहित करने संबंधी उपायों को डब्ल्यूटीओ द्वारा विधिवत अधिसूचित किया गया था। तदनुसार भारत द्वारा भा मा ब्यूरो के माध्यम से 10 टीबीटी अधिसूचनाएँ जारी की गई और इन्हें वर्ष 2006–07 के दौरान डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

भारतीय अधिसूचनाओं पर अन्य देशों से अभ्युक्तियाँ प्राप्त की गई, जिनके उपयुक्त उत्तर विभिन्न पणधारियों के साथ समन्वय में दिए गए। डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी टीबीटी के सार संक्षेप और संकेतक तैयार किए गए और इन्हें भा मा ब्यूरो की वेबसाइट पर डाला गया। भारत की अधिसूचनाओं का पूर्ण पाठ्य अनुरोध के अनुसार विभिन्न देशों के टीबीटी पूछताछ बिन्दुओं पर अग्रेषित किया गया।

भारत के साथ साथ विदेशों में संबंधित पक्षों से राष्ट्रीय तथा अन्य देशों, दोनों की मानक एवं समनुरूपता निर्धारण पद्धतियों से संबंधित सभी युक्तिसंगत पूछताछ का उत्तर दिया गया।

विभिन्न पणधारकों, विशेष रूप से विनियामकों को सुग्राही बनाने के

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

WTO/TBT Enquiry Point

BIS strengthened its activities as the WTO / TBT Enquiry Point, as designated by the Ministry of Commerce. Close interaction with Ministry of Commerce and Industry on various issues of national interest under WTO/TBT Agreement was maintained. The activity of providing services of the Enquiry Point was outsourced by BIS up to November 2006. Since November 2006, the activities of WTO-TBT Enquiry Point are being performed by BIS in-house. The information with regard to the Notifications issued by various countries were downloaded, prioritized, segregated and disseminated to a large number of stakeholders within the country. The comments received from the stakeholders were analyzed and sent to Ministry of Commerce.

In accordance with the transparency obligation of the Agreement of Technical Barriers to Trade, the measures relating to inclusion of certain products under mandatory certification were duly notified at WTO. Accordingly India through BIS issued ten TBT Notification and the same were uploaded in WTO website during the year 2006-07.

Comments from other countries on the Indian Notifications were received for which suitable replies were given in coordination with various stakeholders. Abstracts and indices of TBTs issued by WTO were generated and posted on BIS website. Full Texts on India's notifications were forwarded to different countries TBT Enquiry Points, as requested.

All reasonable queries pertaining to Standards and Conformity Assessment Systems, both national and of other countries, from concerned interests in India as well as overseas were replied.

In order to sensitize the various stake holders

उद्देश्य से "डब्ल्यूटीओ, टीबीटी करार, का कार्यान्वयन, डब्ल्यूटीओ, टीबीटी पूछताछ केन्द्र से प्रत्याशाएँ" विषय पर अनेक वरिष्ठ स्तर की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। संगोष्ठियों का संचालन संयुक्त रूप से सचिव, उपभोक्ता मामले एवं विशेष सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ने किया। डब्ल्यूटीओ की संरचना एवं कार्यकरण, टीबीटी करार, अधिसूचनाओं तथा वैश्विक व्यापार पर उनका महत्व एवं विनियामकों की भूमिका तथा दायित्व और टीबीटी पूछताछ केन्द्र के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो संबंधी सूचना प्रतिभागियों को इन संगोष्ठियों के दौरान उपलब्ध कराई गई। पूछताछ केन्द्र तथा पणधारियों के दायित्व की भूमिका पर विद्युत इंजीनियरी और वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में भा मा ब्यूरो तकनीकी विभागों द्वारा आयोजित गोष्ठियों में प्रस्तुतीकरण किए गए।

सीई मार्किंग सूचना केन्द्र

यूरोपीय देशों में उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए भा मा ब्यूरो में एक सूचना केन्द्र की स्थापना की गई। यूरोपीय देशों के विधानों, निर्देशों तथा प्रक्रिया विधियों पर सीई मार्किंग की इस सूचना के माध्यम से इसे भारतीय उद्योगों के बीच प्रसारित किया जा रहा है।

यूरोपीय संघ–भारत व्यापार और निवेश कार्यक्रम के कार्यान्वयन के भाग के रूप में इसका निधिकरण यूरोपीय आयोग द्वारा तथा समन्वय वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। भारत में सीई मार्किंग कार्यकलाप के लिए भा मा ब्यूरो को एक नोडल विभाग के रूप में अभिज्ञात किया गया है। सीई मार्किंग पर एक वेब पोर्टल का विकास किया गया और इसे निर्यात की सुविधा देने के लिए संभावित निर्यातकों को जानकारी प्रदान करने के लिए भा मा ब्यूरो के मुख्य होम पेज पर लिंक के साथ होस्ट किया गया है। भा मा ब्यूरो ने यह सूचना केन्द्र सीई मार्किंग पर अपेक्षित सूचना शीघ्रता पूर्वक पाने में उद्योग की सहायता करेगा।

तकनीकी सूचना सेवा केन्द्र

भा मा ब्यूरो द्वारा तकनीकी सूचना सेवाएँ उद्योग, आयातकों, निर्यातकों, व्यक्तियों तथा सरकारी अभिकरणों को जिज्ञासाओं के उत्तर में उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रयास में इस अवधि के दौरान 900 से अधिक जिज्ञासाओं का उत्तर दिया गया था।

पहचान संख्याओं का प्रायोजन

निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की गई थीं :

जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन)

आईएसओ/आईईसी 7812–1 का यह भाग अंतर्राष्ट्रीय विनियम में प्रयुक्त पहचान कार्डों के जारीकर्ताओं की पहचान–भाग 1: के लिए एक संख्यांकन पद्धति विनिर्दिष्ट करता है। यह संख्या प्रमुख उद्योग तथा कार्ड जारीकर्ता की पहचान करती है और पहचान संख्या का पहला भाग होती है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के आवेदनों का समर्थन अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन (एबीए) को कर के भा मा ब्यूरो आईएसओ 7812 –1 (ई) के अनुसार आई आई एन जारी करने में मदद करता है। वर्ष के दौरान पाँच आई आई एन संख्याएं जारी की गई हैं।

especially the regulators a senior level workshop was organized on the subject "Implementation of WTO TBT Agreement, Expectations from WTO TBT Enquiry Point". The workshop was chaired jointly by Secretary, Consumer Affairs and Special Secretary, Ministry of Commerce. Information with regard to the structure and functioning of WTO, TBT agreement, the Notifications and their significance on Global Trade and the Role and Responsibilities of Regulators and BIS as TBT Enquiry Point was provided to the participants during the workshop. Presentations were made on the Role of Enquiry Point and responsibility of stakeholders in the seminars organized by BIS technical departments in the fields of electrical engineering and textiles.

CE Marking Information Centre

To facilitate Export of products to EU countries, an information centre has been established at BIS. Through this information on CE Marking on EU legislation, directives and procedure is being disseminated to Indian industries.

As part of the implementation of EU-India Trade & Investment Development Programme (TIDP) funded by European Commission and coordinated by Ministry of Commerce, Government of India, BIS has been identified as the nodal department for CE marking activity in India. A web portal on CE marking has been developed and hosted with a link to the BIS main home page to provide information to potential exporter for facilitating export. The information centre at BIS would help the industry in getting required information on CE marking quickly.

Technical Information Service Centre

BIS provided Technical Information Services to Industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. In this endeavour, about 900 enquiries were responded during the period.

Sponsorship of Identification Numbers

The following services were provided:

Issuer Identification Number (IIN)

ISO/IEC 7812-1 Identification Cards – Identification of issuers – Part 1: Numbering system specifies a numbering system for the identification of issuers of the identification cards used in international and/ or inter-industry interchange. This is a number that identifies the major industry and the card issuer and that forms the first part of the primary account number. BIS facilitates the issue of IIN as per ISO 7812-1 by sponsoring applications of Banks/ Financial Organizations to the American Bankers Association (ABA). Five Issuer Identification numbers have been issued during the year so far.

संस्था पहचान कोड (आईआईसी)

आईआईसी एक अनन्य संख्या है जो आईएसओ 8583 के अनुसार आईएसओ के प्राधिकार के अंतर्गत अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा बनाए गए वित्तीय लेन–देन कार्ड संदेशों में भाग लेने वाले वित्तीय संस्थानों को सौंपा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक एक सांझा अंतःपृष्ठ विनिर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा वित्तीय लेन–देन–कार्ड से प्रोद्भूत संदेशों का कार्ड के प्राप्तकर्ताओं और जारीकर्ताओं के बीच आदान–प्रदान हो सके। इसमें संदेश संरचना, फार्मेट और विषयवस्तु, आंकड़े और आंकड़ों के मूल्य विनिर्दिष्ट किए जाते हैं।

पंजीकृत आवेदन प्रावधानकर्ता पहचानकर्ता (आरआईडी)

आर आई डी एक हार्डवेयर इन्डेक्स कोड है जिसका प्रयोग पहचान कार्डों – संपर्कों वाले समेकित परिपथ कार्डों – में किया जाता है। इसमें आवेदन, फ़ाइल की ओर पथ तथा अन्य संबंधित आंकड़े होते हैं, जिसकी तुलना स्वविवेकी आंकड़े और आवेदन टेम्पलेट के निष्पादन की तुलना के लिए की जाती है और यह आईएसओ के प्राधिकार के अंतर्गत पंजीयन प्राधिकरण, कोपेनहैगन, डेन्मार्क द्वारा आईएसओ/आईईसी 7816–5 के अनुसार आबंटित किया जाता है।

विश्व विनिर्माण पहचानकर्ता जारी करना (डब्ल्यूएमआई)

सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स (एसएई), यूएसए के साथ समन्वय में भा मा ब्यूरो भारत में आटोमोबाइल विनिर्माताओं और निर्यातकों को आईएसओ 3780 : 1983 सड़क के वाहन– विश्वविनिर्माता पहचानकर्ता (कोड) जारी करने का उत्तरदायित्व पूरा करता है। वर्ष के दौरान डब्ल्यूएमआई कोड आबंटन के लिए तीन आवेदनों का प्रसंसाधन किया गया।

डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 44 (आरई–2000) पर तकनीकी स्पष्टीकरण

डीजीएफ़टी ने अधिसूचना संख्या 44 (आरई–2000)/1997–2002, दिनांक 24 नवम्बर 2000 जारी करके विभिन्न उत्पादों के भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने से पहले भा मा ब्यूरो प्रमाणन अनिवार्य कर दिया। इसके बाद नीति परिपत्र संख्या 4 (आरई–2001)/1997–2002, दिनांक 19 जून 2001 में कहा कि कोई उत्पाद अधिसूचना 44 की परिधि में आता है या नहीं, इस बारे में स्पष्टीकरण, अब तक भा मा ब्यूरो मानकों पर लागू, भा मा ब्यूरो द्वारा ही जारी किया जाएगा, और भा मा ब्यूरो द्वारा जारी किया गया एक स्पष्टीकरण सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा। इस अधिसूचना के संशोधन को जारी करने के बाद वर्तमान में 109 उत्पाद इस अधिसूचना के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। भा मा ब्यूरो ने विभिन्न उत्पादों के 90 ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण जारी किए।

पुस्तकालय सेवाएँ

वर्ष 2006–07 के दौरान पुस्तकालय सेवा केंद्र (एलएससी) ने मुख्यालय में और मुंबई, कोलकता, चंडीगढ़ तथा चेन्नई के अपने चार क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अपने संग्रह में 2 000 पुस्तकों, विदेशी मानक निकायों द्वारा जारी मानक प्रकार के प्रलेखों और विभिन्न जानकार संस्थाओं तथा मानकीकरण के काम में लगी विदेशी संस्थाओं द्वारा जारी प्रकाशनों व मानकों की भी वृद्धि की है।

Institution Identification Codes (IIC)

IIC is a unique number assigned to financial institutions participating in financial transaction card originated messages by American Bankers' Association (ABA) under the authorization of ISO in accordance with ISO 8583. This International Standard specifies a common interface by which financial transaction card originated messages may be interchanged between acquirers and card issuers. It specifies message structure, format and content, data elements and values for data elements.

Registered Application Provider Identifier (RID)

RID is a hardware index code used in identification cards – integrated circuit cards with contacts. It is allotted in accordance with ISO/IEC 7816-5 Identification Cards– Integrated Circuit Cards– Part 5 : Numbering System and Registration Procedure for Application Identifiers, by the Registration Authority, Copenhagen, Denmark under the authorization of ISO.

World Manufacturer Identifier (WMI)

In coordination with the, Society of Automotive Engineers (SAE), USA, BIS fulfils the responsibility of issuing the WMI Codes as per ISO 3780: 1983 Road Vehicles– World Manufacturer Identifier (Code), to the automobile manufacturers and exporters in India. One application was processed for the allotment of WMI Code during the year.

Technical Clarifications on DGFT Notification No. 44 (RE-2000)

DGFT's Notification No. 44 (RE-2000)/1997-2002 dated 24 November 2000 made BIS certification mandatory for various products before they could enter into Indian market. Subsequently, a policy circular No. 4 (RE-2001)/1997-2002 dated 19 June 2001 was issued stating that clarification, whether a product is covered within the ambit of Notification 44 or not, so far applicable to BIS standards, would only be issued by BIS, and such a clarification issued by BIS shall be binding on all concerned. After issuance of amendments to these Notifications, at present, 109 products fall within the ambit of this Notification. BIS issued 90 clarifications during the year on different products.

Library Services

During the year 2006-2007, Library Services Centre (LSC), at the Headquarters and also at its four Regional Offices at Mumbai, Kolkata, Chandigarh and Chennai added to its collection, 2 000 books, standards type documents issued by overseas standard bodies as well as publications and standards issued by various learned societies and foreign Associations engaged in the work of standardization.

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशानुसार ज़िला मैजिस्ट्रेट के लिए उपभोक्ता सुरक्षा पर दो दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एनआईटीएस, नोएडा में 25–26 मई, 2006 को किया गया जिसमें 10 राज्यों के 16 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन न्याय मूर्ति एम. बी. शाह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने किया। श्रीमती अलका सिरोही, अपर सचिव (उपभोक्ता मामले) और श्री एस. पी. शर्मा, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो भी उद्घाटन सत्र और प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उपस्थित थे। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री एल. मानसिंह ने कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता की। समापन सत्र के दौरान श्रीमती अलका सिरोही, अपर सचिव (उपभोक्ता मामले), श्री एस. पी. शर्मा, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो, श्रीमती जयश्री गुप्ता, संयुक्त सचिव (उपभोक्ता मामले) और श्री पी. वेंकटेशन, निदेशक, उपभोक्ता कार्य विभाग भी उपस्थित थे।

- राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार – 2006 के लिए तैयारी पर उद्योग के प्रतिभागियों के लिए पहली बार एक कार्यशाला का आयोजन 15–16 जून, 2006 को बैंगलोर में किया गया।
- भा मा ब्यूरो, चेन्नई में 7–8 जून, 2006 के दौरान ग्राहक संतुष्टि मापन पर पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- तीन अलग–अलग क्षेत्रों अर्थात विद्युत, यांत्रिक और रसायन में अनिश्चितता पर तीन खुले कार्यक्रमों का आयोजन पहली बार किया गया।
- एनआईटीएस, नोएडा में दो दिवसीय अवधि के लिए 30–31 अक्तूबर, 2006 को विधि सत्यापन पर पहला मुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया।

हिन्दी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईटीएस, नोएडा में 20 जून, 2006 को भा मा ब्यूरो मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एमएस वर्ड में हिन्दी सॉफ्टवेयर के उपयोग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उपभोक्ता कल्याण कोष के अंतर्गत कार्यक्रम

उपभोक्ता कल्याण कोष से एनआईटीएस को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर निगरानी रखने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति की दूसरी बैठक का आयोजन एनआईटीएस, नोएडा में 22 जनवरी, 2007 को किया गया।

वर्ष 2007–08 के दौरान एनआईटीएस ने राज्य और ज़िला स्तर के अधिकारियों के लिए उपभोक्ता सुरक्षा पर 4 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 70 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक एनआईटीएस ने 20 कार्यक्रमों में 399 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।

Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the first training programme of 2 days duration on Consumer Protection for District Magistrates was organized on 25-26 May 2006 at NITS, Noida which was attended by 16 officers from 10 States. The programme was inaugurated by Justice M.B. Shah, President, National Consumer Disputes Redressal Commission. Smt. Alka Sirohi, Additional Secretary (Consumer Affairs) and Shri S.P. Sharma, DG, BIS were also present during the Inaugural Session and the training sessions. Shri L. Mansingh, Secretary, Department of Consumer Affairs, chaired the concluding session of the programme. During the concluding session Smt Alka Sirohi, Additional Secretary (Consumer Affairs), Shri S.P. Sharma, DG, BIS, Smt Jayashree Gupta, Joint Secretary (Consumer Affairs) and Shri P. Venkatesan, Director, Department of Consumer Affairs were also present.

- For the first time a Workshop was organized for the participants from industry on preparing for Rajiv Gandhi National Quality Awards – 2006 on 15-16 June 2006 at Bangalore.
- First Training programme on Measurement of Customer Satisfaction was organized during 7-8 June at BIS, Chennai.
- For the first time 3 open programmes on Measurement of Uncertainty were conducted separately in 3 different fields, that is, Electrical, Mechanical and Chemical.
- First Open Programme of two days duration on Method Validation was organized on 30-31 October 2006 at NITS, Noida.

Training Programme on Hindi

A Workshop on use of Hindi Software in MS Word was organized for officers and staff of BIS HQs on 20 June 2006 at NITS, Noida.

Programmes under Consumer Welfare Funds

The second meeting of the Executive Committee set up by Department of Consumer Affairs to monitor the financial assistance from Consumer Welfare Fund to NITS was held on 22 January 2007 at NITS, Noida.

During 2007-08 NITS has conducted 4 programmes on Consumer Protection for State and District Level Officers in which 70 officials have been trained. So far NITS has conducted 20 programmes training 399 officials.

आईएस 15700 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

अच्छे शासन के अधिकार को नागरिक के अधिकार के अनिवार्य हिस्से के रूप में देखा जाता है। नागरिकों को उनके अनुकूल सरकार प्रस्तुत करने के लिए पिछले दिनों विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनेक पहलें की गई हैं, जैसे नागरिक अधिकार पत्र की घोषणा, लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया की स्थापना आदि। सूचना का अधिकार अधिनियम इसी दिशा में अगला कदम है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार ने लोक सेवा में उकृष्टता पाने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया है। इस दिशा में एक कदम के रूप में सेवा गुणता पर एक मानक स्थापना करने का निर्णय लिया गया था, ताकि सरकार से संबंधित या इससे प्रभावित सभी क्षेत्रों में सेवा प्रदाय के न्यूनतम मानक सुनिश्चित किए जा सके। सरकार के इस निर्णय का पालन करते हुए भा मा ब्यूरो ने **आईएस 15700 : 2005 "गुणता प्रबंध पद्धतियां – लोक सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणता की आवश्यकताएं"** नामक एक भारतीय मानक का विकास किया है।

भा मा ब्यूरो के प्रशिक्षण संस्थान, एनआईटीएस ने अपने और साथ ही सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को जनवरी, 2006 से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम देना आरंभ किया है। अब तक हमने ऐसे 7 कार्यक्रमों का आयोजन किया है (आंतरिक और मुक्त दोनों)।

अन्य कार्यक्रम

एनआईटीएस द्वारा भा मा ब्यूरो के अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रबंध पद्धतियों, वित्त, प्रबंध संबंधी प्रभावशीलता आदि के क्षेत्र में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष एनआईटीएस द्वारा ऐसे 20 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

उपभोक्ता संबंधित गतिविधियाँ

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो अपने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके और उपभोक्ता संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेकर भा मा ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाता है। इन कार्यक्रमों के दौरान, भाग लेने वालों को विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों, भा मा ब्यूरो मानक चिह्न के दुरुपयोग के लिए दंडों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता शिकायत निवारण पद्धति आदि के बारे में जानकारी दी गई। वर्ष 2006–07 के दौरान ब्यूरो के मुख्यालय, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा कुल 238 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

Training Programmes on IS 15700

Right to good governance is seen as an essential part of citizen's rights. In order to present a citizen friendly government, several initiative had been taken in the past such as declaration of citizen's charter, setting-up of public grievance redress mechanisms, etc by various ministries and departments. Right to Information Act is another step in this direction.

Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Government of India has launched a programme for achieving excellence in public service. As a step towards this it was decided to establish a standard on service quality to ensure minimum standards of service delivery in all sectors pertaining to or influenced by government. In line with this decision of the Government, BIS has developed an Indian Standard, IS **15700 : 2005 'Quality Management Systems – Requirements for Service Quality by Public Service Organizations'.**

NITS, the Training Institute of BIS has started providing 3 days training programme to its own employees as well as from Government Sector since January 2006. So far we have conducted 7 such programmes (both In-house and Open).

Other Programmes

NITS is also organizing programmes for BIS officials also in the field of different Management Systems, Finance, Managerial Effectiveness etc. This year 20 such programmes were conducted by NITS.

CONSUMER RELATED ACTIVITIES

Consumer Awareness Programmes

BIS promoted consumer awareness regarding BIS activities by conducting consumer awareness programmes and by participation in seminars/conferences organized by consumer organizations through its network of regional and branch offices. During these programmes, participants were informed about various quality control orders, penalties for misuse of BIS Standard Mark, Consumer Protection Act, consumer grievance redressal mechanism etc. 238 consumer awareness programmes have been conducted during the year

इनमें से कुछ विशिष्ट कार्यक्रम स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग पर जागरूकता पैदा करने के लिए ही थे।

जनता की शिकायतें

भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के बारे में प्राप्त शिकायतों की हर माह समीक्षा व निगरानी की जाती है ताकि शिकायतकर्ताओं का समाधान जल्दी किया जा सके। 2006–07 के दौरान 73 नई शिकायतें रजिस्टर की गईं और कुल 109 शिकायतों को निबटाया गया।

2006-07 by BIS HQs/ROs/ BOs. Some of these programmes were exclusively for creating awareness for Hallmarking of gold jewellery.

Public Grievances

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month for redressal. 73 new complaints were registered and 109 complaints were redressed during the year 2006 -07.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

भा मा ब्यूरो द्वारा क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से मार्च 2006 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर ब्यूरो के मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं, उपभोक्ता संगठनों व शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया था।

उपभोक्ताओं के लाभ के लिए प्रकाशित विवरणिकाएँ

भा मा ब्यूरो ने उपभोक्ता हित के विषयों पर 14 विवरणिकाएँ प्रकाशित की हैं। इनमें से कुछ विवरणिकाएँ 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिन के नाम है असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी और पंजाबी।

सिटीजन चार्टर

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भा मा ब्यूरो का नागरिक चार्टर का कार्यान्वयन किया गया है। भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों के लिए चार्टर में विनिर्दिष्ट समय मानकों को मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय में एक बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिया गया है। चार्टर द्विभाषी रूप में भा मा ब्यूरो की वेबसाइट पर दिया गया है।

World Consumer Rights Day

World Consumer Rights Day was celebrated by BIS through its network of ROs/BOs in March 2006. On the occasion, consumer awareness programmes, seminars and exhibitions were organized at HQs, Regional and Branch Offices of the Bureau. The programmes were attended by consumers, delegates from consumer organizations, educational institutions and Government officials.

Brochures Published for the Benefit of Consumers

BIS has published 14 brochures on the subjects of consumers' interest. Some of these brochures have been printed in 10 regional languages, namely Assamese, Bengali, Oriya, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Gujarati, Marathi and Punjabi.

Citizen Charter

BIS Citizen Charter, approved by Department of Personnel & Training (DOPT), Ministry of Administrative Reforms & Public Grievances, has been implemented. Time norms specified for various activities of BIS in the Charter have been displayed at HQs/ROs/BOs have also been advised for display of time norms specified in the Charter at prominent place. The charter has been hosted on BIS website in bilingual format.

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अंतर्राष्ट्रीय वैद्युत–तकनीकी आयोग (आईईसी) के नीति–निर्धारक निकायों और तकनीकी समितियों की गतिविधियों में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण परिदृश्य में अपना प्रयास जारी रखा। अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मज़बूत करने की दिशा में भी ब्यूरो ने अपने प्रयास जारी रखे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ)

वर्ष के दौरान, भा मा ब्यूरो ने आईएसओ नीति बैठकों और विकासशील देश के मामलों पर आईएसओ समिति बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। आईएसओ समितियों/उप–समितियों की भागीदारी, जहाँ भारत एक "पी" सदस्य है, और जहाँ भारत के पास सचिवालय का उत्तरदायित्व है, जारी रखा गया।

भा मा ब्यूरो ने आईएसओ/टीसी/एससी कार्य में भाग लेने के संबंध में डाटाबेस प्रबंध हेतु वैश्विक निदेशिका का उपयोग सफलतापूर्वक किया है।

भा मा ब्यूरो द्वारा आईएसओ के साथ संयुक्त रूप से आईएसओ : 22000 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धतियों पर एक संगोष्ठी का आयोजन क्षेत्र के सदस्य देशों के लिए किया गया। इस संगोष्ठी में लगभग 200 अतिथियों ने भाग लिया।

भा मा ब्यूरो के महानिदेशक को क्षेत्र के देशों की जरूरतों और आवश्यकताओं को अभिज्ञात करने तथा उनके विश्लेषण तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य के साथ 2004–06 की अवधि के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए आईएसओ क्षेत्रीय समन्वय अधिकारी (आरएलओ) नियुक्त किया गया था। आरएलओ के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के महत्व को प्रोत्साहन देने के लिए भा मा ब्यूरो के महानिदेशक ने श्रीलंका का दौरा किया। इसी प्रकार भा मा ब्यूरो के अधिकारी ने मानकीकरण के क्षेत्र में सुविधाओं के उन्नयन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए भूटान का दौरा किया।

एनआईटीएस (भा मा ब्यूरो) और आईएसओ के बीच सितम्बर 2006 में आईएसओ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में भा मा ब्यूरो के प्रशिक्षण संस्थान का उपयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे क्षेत्र में मानकीकरण गतिविधियों को प्रोत्साहन देने में सहायता मिलेगी।

आईएसओ के अध्यक्ष प्रो. मासामी तनाका ने 6 नवम्बर, 2006 को भा मा ब्यूरो का दौरा किया और डब्ल्यूटीओ के बाद के परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के महत्व पर उद्योग तथा अन्य पणधारियों के साथ एक अंतःक्रियात्मक कार्यशाला में भाग लिया।

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau continued its activities in the field of International Standardization by way of active participation in the various activities of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electro Technical Commission (IEC). The Bureau also continued its activities in the field of regional and bilateral co-operation with other countries. The details of the some activities in the area of International Co-operation are highlighted below:

International Organization for Standardization (ISO)

During the year, BIS participated actively in ISO Policy meetings and the ISO Committee meetings on Developing Country matters. Participation in ISO Committees / Subcommittees where India is a 'P' member and where India holds secretariat responsibilities was continued.

BIS has been successfully utilizing the Global Directory for managing the database with regard to participation in ISO/TC/SC work.

A seminar on Food Safety Management Systems as per ISO: 22000 were organized by BIS jointly with ISO, for the member countries in the region. About 200 delegates participated in the seminar.

Director General, BIS was appointed the ISO Regional Liaison Officer (RLO) for South Asia Region for the period 2004 – 2006 with the objective to identify and analyse the needs and requirements of the countries in the Region and to strengthen their participation in International Standardization activities. To promote the significance of International Standardization as RLO, a visit was paid to Srl Lanka by DG, BIS. Similarly, a BIS official visited Bhutan to assess their needs for upgradation of facilities in the field of standardization.

An MoU between NITS (BIS) and ISO was signed in September 2006 to use the Training Institute of BIS as Regional Training Centre of ISO. This will help in promoting Standardization activities in the region.

Prof. Masami Tanaka, president of ISO visited BIS on 6th November 2006 and an interactive workshop was held with industry and other stakeholders on importance of International standardization post-WTO Scenario.

अंतर्राष्ट्रीय वैद्युत–तकनीकी आयोग (आईईसी)

आईईसी में राष्ट्रीय प्रतिभागिता को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए। भा मा ब्यूरो ने आईईसी की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और सितम्बर 2006 में बर्लिन में आयोजित आईईसीजीएम बैठकों में भाग लिया। भा मा ब्यूरो के शिष्ट मंडल ने कुछ तकनीकी समिति बैठकों सहित आईईसी की नीति स्तरीय अनेक सामान्य बैठकों में भाग लिया। इस अवधि के दौरान बर्लिन में आयोजित सामान्य बैठकों के साथ उद्योग के अनेक प्रतिनिधियों ने तकनीकी समितियों की बैठकों में भी भाग लिया।

भा मा ब्यूरो विद्युत तथा इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों/कम्पनियों के प्रमाणन से संबंधित आईईसीईई और आईईसीक्यू का भी सदस्य है। भा मा ब्यूरो के अधिकारी को तीन वर्ष की अवधि के लिए आईईसी परिषद मंडल का सदस्य निर्वाचित किया गया है। आईईसी समिति/उपसमितियों में सक्रिय भागीदारी जारी रही जहां भारत एक 'पी' सदस्य है।

International Electrotechnical Commission (IEC)

Efforts were made for strengthening the national participation in IEC. BIS participated actively in the various activities of IEC and participated in IECGM meetings at Berlin in September 2006. BIS delegation attended a number of policy level meetings in the IEC GM along with a few technical committee meetings. A number of representatives from the industry also attended technical committee meetings held along with the General meeting at Berlin during this period.

BIS is also member of IECEE & IECQ related to certification of electrical and electronic products/companies BIS officer has also been elected as the member of the IEC Council Board for the period of 3 years. Active participation in the IEC Committee/Subcommittees where India is P member was continued.

क्र. सं. **Sl No.**	**नाम और पद** **Name & Designation**	**दौरे का स्थल/तिथि** **Place of visit /Date**	**प्रयोजन** **Purpose**
1.	श्री एन. के. गोवर, वैज्ञानिक एफ (एफएडी) Shri N.K. Grover, Sc.F (FAD)	3–8 अप्रैल, 2006 फ्रोटालेज़ा, ब्राज़ील 3-8 April 2006 Fortaleza, Brazil	कीटनाशी अवशेषों पर कोडेक्स समिति का 38वां सत्र 38th Session of Codex Committee on Pesticide Residues
2.	श्री पी. के गंभीर, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख(एमएसडी) Shri P.K. Gambhir, Sc.F&H (MSD)	11–12 अप्रैल 2006 विएना, ऑस्ट्रिया 11-12 April 2006 Vienna, Austria	सामाजिक देयता पर एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के विकास पर आईएसओ कार्यशाला ISO workshop on the development of an International Standard on 'Social Responsibility'
3.	श्री राकेश वर्मा अपर महानिदेशक Shri Rakesh Verma, ADG	10–12 अप्रैल 2006 मेड्रिड, स्पेन 10-12 April 2006 Madrid, Spain	ग्राहक संतुष्टि मानक पर अंतर्राष्ट्रीय मानक के निर्धारण हेतु आईएसओ कार्यकारी समूह की बैठकें ISO Working Group meetings for formulation of International Standard on Measurement of Customer Satisfaction
4.	श्री एस. पी. शर्मा, महानिदेशक एवं श्री डी. गोस्वामी, वैज्ञानिक ई (निदेशक) Shri S.P. Sharma, DG & Shri D. Goswami, Sc.E (Director)	24–27 अप्रैल, 2006 जर्मनी, बर्लिन और हनोवर 24-27 April 2006 Germany, Berlin & Hannover	हनोवर मेले में भा मा ब्यूरो और डीआईएन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए बर्लिन, जर्मनी में डीआईएन मुख्यालय का दौरा बीएएम – सामग्री अनुसंधान और परीक्षण के लिए फेड्रल संस्थान में द्विपक्षीय चर्चा और तकनीकी दौरा For signing of MOU between BIS & DIN at Hannover Fair, visit to DIN HQ at Berlin, Germany for bilateral discussion and technical visit to BAM-Federal Institute for materials research and testing
5.	श्री एल. आर. सिंह, उप महानिदेशक (पीपी एवं सी) L.R. Singh, DDG (PP&C)	24–28 अप्रैल 2006 फ्रांस 24-28 April 2006 France	आईएसओ/टीसी 28 पेट्रोलियम उत्पादों और स्नेहकों की 24वीं तकनीकी समिति की बैठक 24th Technical committee meeting of ISO/TC 28 Petroleum products and lubricants
6.	डॉ. आर. के. बजाज, वैज्ञानिक ई (निदेशक) (आईआर एवं टीआईएसडी) Dr. R. K. Bajaj, Sc.E (Director)(IR&TISD)	26–28 अप्रैल 2006 सिंगापुर 26-28 April 2006 Singapore	भारत और सिंगापुर के बीच सीईसीए के अंतर्गत वस्तुओं में एमआरए के कार्यान्वयन हेतु संयुक्त समूह की बैठक Meeting of Joint Group for implementation of MRA in Goods under CECA between India and Singapore

	Mrs. Alka Sirohi Additional Secretary , Department of Consumer Affairs Shri Harmohan Jit Singh Pasricha, Sc. D (CMD IV)	18-19 September 2006 Prague, Republic of Czechoslovakia	59th Meeting of Standing Committee on Control & Marking of Precious Metals (Vienna Convention, 1972) & AEAO
25.	श्री अमरजीत सिंह वैज्ञानिक ई (निदेशक) पीसीडी Shri Amarjeet Singh Sc. E (Director) PCD	16–22 सितम्बर 2006 जापान से योकोहामा 16-22 September 2006. Yokohama Japan	आईएसओ/टीसी 61 की 55वीं तकनीकी समिति बैठक – प्लास्टिक्स 55th Technical Committee Meeting of ISO/TC 61-Plastics
26.	श्री अनिल कुमार वैज्ञानिक डी (संयुक्त निदेशक) टीएक्सडी Shri Anil Kumar Sc. D (Joint Director) TXD	19–20 सितम्बर 2006 जापान से योकोहामा 19-20 September 2006. Yokohama, Japan	आईएसओ/टीसी 221 तकनीकी समिति बैठक, जियो सिंथेटिक्स और इसके कार्यकारी समूह Technical Committee Meeting ISO/TC 221 Geo-Synthetics and its Working Groups
27.	श्री सुखबीर सिंह, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (एलआईटीडी) Shri Sukh Bir Singh Sc. F & Head (LITD)	25 सितम्बर से 29 सितम्बर 2006 बर्लिन, जर्मनी 25 September 29 September 2006, Berlin, Germany.	आईईसी परिषद बोर्ड, आईईसी परिषद और आईईसी/एससी 46एफ एवं आईईसी/टीसी 108 बैठकें IEC Council Board, IEC Council and Meetings of IEC/SC 46F, and microwave passive components and IEC/TC 108, Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology
28.	श्री एस. पी. शर्मा, महानिदेशक Shri S. P. Sharma DG	28–29 सितम्बर 2006 बर्लिन, जर्मनी 28-29 September 2006 Berlin, Germany	आईईसी महासभा IEC General Meetings
29.	श्री पी. के. मुखर्जी, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (ईटीडी) Shri P. K. Mukherjee Sc. F & Head (ETD)	25–30 सितम्बर 2006 बर्लिन, जर्मनी 25-30 September 2006 Berlin, Germany	आईईसी/टीसी 34, एससी 34ए, एससी 34बी, एससी 34सी, एससी 34डी और आईईसी/एससी 23बी की तकनीकी समिति बैठकें Technical Committee Meeting of IEC/ TC 34, Lamps & related equipments and its subcommittees SC 34 A , SC 34 B, SC 34 C, SC 34 D & IEC/SC 23 B , Electrical Accessories
30.	श्रीमती निशात एस हक वैज्ञानिक डी (निदेशक) (ईटीडी) Smt. Nishat S. Haque, Scientist D (Deputy Director) (ETD)	24–30 सितम्बर 2006 बर्लिन, जर्मनी 24-30 September 2006. Berlin, Germany	आईईसी 17बी, डब्ल्यूजी 2, आईईसी एससी 17बी, आईईसी एससी 17डी, की तकनीकी समिति बैठकें Technical Committee Meeting of Switchgear & control gears IEC/SC 17 B, WG 2, IEC SC 17 B, IEC SC 17 D
31.	श्री एन. के. कंसारा वैज्ञानिक ई (निदेशक) (एमएससीडी) Shri N. K. Kansara Sc. E (Director) (MSCD)	08–15 अक्तूबर 2006 यूएसए 8 -15 October 2006 USA	सरकारी संगठनों में सेवा गुणता प्रदाय में उत्कृष्टता के लिए सर्वोत्तम योजना के प्रचालन में शामिल करने के लिए मैलकॉम बाल ड्रीज गुणता पुरस्कार पद्धति के अनुभव का कार्यान्वयन करने के लिए अध्ययन दौरा Study Tour to share implementation experience of Malcolm Balridge Quality Award System to incorporate suitably in the operation of Sevottam Scheme for Excellence in Service Quality Delivery in Government Organizations
32.	डॉ. डी. के. चौधरी, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (पीसीडी) Dr D. K. Chaudhury Sc. F & Head (PCD)	जर्मनी में 16 से 20 अक्तूबर 2006 16–20 October 2006 at Bad Breisig, Germany.	आईएसओ टीसी 45, रबर और रबर उत्पादों की 54वीं तकनीकी समिति बैठक 54th Technical Committee Meeting of ISO TC 45, Rubber & Rubber Products
33.	श्री राकेश वर्मा, एडीजीटी श्री वाई. पी. सिंह, एडीजीएम श्री सी. के. महेश्वरी, वैज्ञानिक एफ एवं एच (आईआर एवं टीआईएसडी)	30 अक्तूबर – 7 नवम्बर, 2006 डेनमार्क, बेलजियम और जर्मनी	सीई मुहरांकन पर यूरोपीय संघ के देशों में अध्ययन दौरा

कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन

आज सूचना प्रौद्योगिकी प्रत्येक संगठन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए, भा मा ब्यूरो अपनी विभिन्न गतिविधियों में कम्प्यूटर आधारित पद्धतियों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में लगा है ताकि इसके संसाधनों की बिना किसी बाधा के प्रबंध–व्यवस्था की जा सके।

कम्प्यूटरीकरण परियोजना

एन आई सी द्वारा कार्यान्वित की जा रही कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अन्तर्गत, अपेक्षित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संस्थापित कर दिए गए हैं, सभी कार्यालयों को नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है और प्रमाणन चिह्न योजना चलाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा चुका है तथा सभी संबंधित कर्मचारियों को कम्प्यूटरीकृत पद्धति के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

चूंकि हार्डवेयर संबधी कार्य मोटे तौर पर पूरा हो चुका है, इसलिए शेष दो महत्वपूर्ण कार्यकलापों (मानक निर्धारण और प्रयोगशाला सेवाएँ) जिसमें से मानक निर्माण सॉफ्टवेयर पूर्णता के चरण पर है, के लिए कम्प्यूटरीकरण/अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है।

कागज़ के प्रयोग को समाप्त करने का मिशन

कागज़–रहित कार्यकरण को अपनाने के मुख्य निर्णय के अनुसरण में, अधिकतर दस्तावेज़ (गोपनीयता और वित्तीय अनुमोदनों की अपेक्षा वाले दस्तावेज़ों को छोड़कर) ई–मेल पर भेजे जा रहे हैं। ज्ञान समृद्ध बाँटे जाने योग्य संसाधन के रूप में शुरू की गई इन्ट्रानेट साइट (इन्ट्रा भा मा ब्यूरो) दैनिक आधार पर भा मा ब्यूरो के सभी कार्यालयों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है।

इन्ट्रानेट (इन्ट्रा भा मा ब्यूरो)

दैनिक आधार पर सूचना की वृद्धि करके इन्ट्रानेट आकार और जानकारी में निरंतर बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण संस्था के अंतर्गत सूचना जैसे कि कार्यालय परिपत्र, एस टी आई, संशोधन, मैनुअल/मार्गदर्शी सिद्धांत, फार्म, परीक्षण प्रभार, परीक्षण सुविधाएँ इत्यादि जिनमें ऑन–लाइन अद्यतन करने की विशेषताएँ हैं। जिन्हें शीघ्र प्रचार–प्रसार एवं नियमित संदर्भों के लिए इन्ट्रा भा मा ब्यूरो पर दिखाया गया है। भा मा ब्यूरो इन्ट्रानेट पर भा मा ब्यूरो परिचर्चा–मंच भी है ताकि कर्मचारियों को भा मा ब्यूरो में अधिक महत्व के विभिन्न विषयों पर अपने विचार तथा टिप्पणियाँ व्यक्त करने का अवसर मिल सके।

भा मा ब्यूरो वेबसाइट

वेबसाइट की विषय–सामग्री को मौजूदा सूचना में वृद्धि करके/उसे अद्यतन करके समृद्ध बनाया गया है। प्रमाणन–प्राप्त विदेशी विनिर्माताओं/लाइसेंसधारकों की सूची भा मा ब्यूरो वेबसाइट पर अब उपलब्ध है। स्वर्ण और चाँदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग की योजना को लोकप्रिय बनाने का एक अलग खण्ड शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वेबसाइट पर बहुत सी सूचना प्रस्तुत की गई है।

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION

Information technology has today taken the front seat in every organization. Keeping pace, BIS is in the process of implementing computerized based systems across its various activities to seamlessly manage its resources.

Computerization Project

Under the computerization project being implemented by NIC, the required hardware and software have been installed, all offices connected through network and software developed for operating Certification Marks Scheme, and all concerned employees trained on use of the computerized system.

Since the hardware part is largely in place, more and more impetus is being given to the computerization/ application software for remaining two core activities (standards formulation and laboratory services), out of which the standards formulation software is in final stages of completion.

Mission Paperless

In pursuance of a major decision to move towards paperless working, most of the documents (except those requiring confidentiality and financial approvals) are being transacted over e-mail. The intranet site (Intra-BIS) started as a knowledge rich sharable resource is being used on day-to-day basis by all offices of BIS.

Intranet (Intra–BIS)

The intranet is growing in size and knowledge by addition of information on day-to-day basis. Important in-house information such as office circulars, STIs, amendments, manuals/guidelines, forms, testing charges, testing facilities with online updation feature, etc are hosted on Intra–BIS for faster dissemination and regular reference. BIS discussion forum has been hosted on BIS Intranet to provide opportunity to employees to give their views and comments on various topics of wider importance in BIS.

BIS Website

The content of website has been made rich by addition/updation of existing information. List of certified foreign manufacturers/licensees are now available on BIS website. A separate section for popularizing the Scheme of Hallmarking Gold and Silver Jewellery has been incorporated. A lot of information has been published on the website under Right to Information Act 2005.

परियोजना प्रबंध

परियोजना प्रबंध तथा निर्माण विभाग निम्नलिखित विषयों पर कार्रवाई करता है :

i) भा मा ब्यूरो की नई इमारतों के निर्माण सहित सभी इंजीनियरी परियोजना संबंधी निर्माण कार्यों से जुड़े काम करना।

ii) कोई परियोजना/निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तथा वित्त समिति तथा कार्यनीति समिति की बैठकों में विचारार्थ कार्यसूची मुद्दों की तैयारी हेतु प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

iii) प्रस्तावित परियोजना/निर्माण कार्य करने के लिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य के लिए उपयुक्त परामर्शदाता/ठेकेदार को नियुक्त करना।

iv) सभी परियोजनाओं तथा सिविल, वैद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी स्वरूप के निर्माण कार्यों, जिनमें परामर्शदाताओं/ठेकेदारों को भुगतान करना, समन्वयन और अन्य संबंधित पहलू भी शामिल हैं, में निष्पादन की गतिविधियों की देख–रेख करना।

v) क्षेत्रीय कार्यालयों/केन्द्रीय प्रयोगशाला/प्रशिक्षण संस्थान/मुख्यालय से प्राप्त सिविल, वैद्युत और यांत्रिक तथा बागवानी कार्य के तिमाही विवरण का संकलन तथा उसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षण को आगे प्रस्तुत करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजना।

इस समय, परियोजना प्रबंध और निर्माण विभाग निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्य देख रहा है :

जयपुर कार्यालय की इमारत

जेवीवीएनएल, जयपुर से बिजली का कनेक्शन लेने के बाद एनबीसीसी से इमारत को ले लिया गया है और अब यह पूरी तरह से कार्य कर रही है।

भा मा ब्यूरो मुख्यालय, मानक भवन के लिए नए केन्द्रीय वातानुकूलन संयत्र का आधुनिकीकरण एवं संस्थापन

ईसी, वित्तीय समिति और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन लेने के पश्चात्, एनबीसीसी को पीएमसी के रूप में नियुक्त किया गया है। पुराने केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र को हटाने का काम (सभी मंज़िलों पर अनुप्रस्थ डक्ट–पद्धति को छोड़कर) पहले ही पूरा हो चुका है। नए केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र की संस्थापना का कार्य अक्तूबर 2004 में एनबीसीसी द्वारा सौंपा गया था और अभी कार्य विभिन्न प्रचालनात्मक समस्याओं के कारण रूक गया है। परियोजना को पुनः आरंभ करने के प्रयास किए गए हैं। मानक भवन के आधुनिकीकरण की प्रगति, जिसमें अग्नि शमन सुरक्षा, छदम छत, भवन और सबस्टेशन की पेंटिंग सहित अंदरुनी तारों को बदलना शामिल है, उपरोक्त कारण से रुक गया है, क्योंकि यह केन्द्रीय वातानुकूलन परियोजना से सीधे तौर पर संबंधित है। केन्द्रीय वातानुकूलन परियोजना के अनुसार इस परियोजना को आरंभ करने के प्रयास किए गए हैं।

PROJECT MANAGEMENT

The Project Management & Works department works with the following scope:

i) To deal with all engineering projects related works including construction of new buildings of BIS.

ii) To prepare a proposal for obtaining administrative approval and financial sanction to initiate a project/ work including preparation of agenda items for consideration in meetings of Finance Committee and Executive Committee.

iii) To appoint suitable consultant/contractor for the proposed project/work and any other task assigned by the competent authority.

iv) To supervise the execution activity in all the projects and works of civil, electrical and mechanical engineering nature including payments to consultants/contractors, coordination and other related aspects.

v) Compilation of quarterly statement of civil, electrical & mechanical and horticultural work received from Regional Offices/Central Laboratory/Training Institute/HQs. and sending the same to Chief Vigilance Officer for onwards submission to Chief Technical Examiner of Central Vigilance Commission.

At present, Project Management & Works Department is looking after the following projects:

Jaipur Office Building

The building has been taken over from NBCC after getting electrical connection from JVVNL, Jaipur and is fully functional.

Modernization and Installation of New Central AC Plant for Manak Bhavan at BIS Hqs

After taking necessary approval from EC, Financial Committee and competent authority, NBCC was appointed as PMC. The work of dismantling of old central AC Plant (except horizontal ducting of all floors) has already been completed. The installation of new central AC plant has been awarded by NBCC in October 2004 and progress is halted due to various operational problems. Efforts are being taken to revive the project. Progress of modernization of Manak Bhawan which includes replacement of internal wiring including fire protection, false ceiling, painting of building and substation has also been halted due to the above reason as this is directly connected with Centralized AC Project. Efforts are being taken to revive this project also in line with Centralized AC Project.

व्यय EXPENDITURE

1.	वेतन और भत्ते Pay & Allowances	408.70	432.59	5.85%
2.	सेवा निवृत्ति लाभ (लेखांकन टिप्पणी 2.1.3.1 *देखें*) Retirement Benefits (Refer Accounting Note 2.1.3.1)	58.86	62.06	5.43%
3.	अन्य प्रचालन व्यय Other Operating Expenses	299.72	335.57	11.96%
4.	मूल्यह्रास Depreciation	55.28	33.14	(–)40.05%
5.	पेंशन देनदारी लेखे के प्रावधान में अंशदान Contribution towards shortfall in Pension Liability Account	574.20	349.00	
	कुल **TOTAL**	**1396.76**	**1212.37**	
	(पूंजी कोष में अंतरित अधिशेष) (Surplus Carried to Capital Fund)	0.00	286.00	

भारतीय मानक ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष 2005–06 के वार्षिक लेखा–विवरण दिनाँक 8.12.2006 को राज्य सभा में तथा 11.12.2006 को लोकसभा में प्रस्तुत किए गए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा हेतु वार्षिक लेखा–विवरणों को प्रस्तुत करने की समय–अनुसूची का पालन करने के लिए कुछ शाखा कार्यालयों में आवश्यकता के आधार पर लेखांकन का कार्य चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों से करवाया गया।

The Annual Report including Annual Accounts of BIS for the year 2005-06 was tabled in Rajya Sabha on 8.12.2006 and in Lok Sabha on 11.12.2006. In order to maintain the time schedule for submission of Annual Accounts for Audit to Comptroller & Auditor General of India, outsourcing of jobs of accounting work to Chartered Accountant Firms was made on need basis in few branch offices.

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 2007 का पक्का चिट्ठा
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2007

	अनुसूची SCHEDULE		31.3.2007 को स्थिति As on 31.3.2007 (रुपये / Rupees)		31.3.2006 को स्थिति As on 31.3.2006 (रुपये / Rupees)
निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS					
पूँजी निधि Capital Fund	एन N		906066625		618556612
रिजर्व और निधियाँ Reserves & Funds	ओ (ए) O (a)		696161666		655827036
पेंशन देयता खाते Pension Liability Account	ओ (बी) O (b)		3570315327		3069191414
ऋण Loans	पी P		–		–
	योग **TOTAL**		5172543618		4343575062
निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS					
अचल परिसम्पत्तियाँ Fixed Assets	क्यू Q		269825612		279781768
निवेश Investments	आर R		4356651086		3537015483
कार्यकारी पूँजी WORKING CAPITAL					
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण और अग्रिम Current Assets, Loans & Advances	एस S	600369186		580932991	
नामे : चालू देयता *Less* : Current Liabilites	टी T	54302266	546066920	54155180	526777811
	योग **TOTAL**		**5172543618**		**4343575062**

लेखा संबंधी नीतियाँ / लेखा पर टिप्पणियाँ परिशिष्ट–I
Accounting Policies/Notes on Accounts Appendix-I.
निवेश का विवरण परिशिष्ट–II
Details of Investments Appendix-II.
ऊपर दी गई अनुसूचियाँ लेखे का भाग है।
The Schedules referred to above form part of Accounts.

हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-	हस्ता./Sd/-
(सायन चटर्जी)	**(यश पाल सिंह)**	**(एस.के.दत्ता)**	**(एच.आर.आहुजा)**
(Sayan Chatterjee)	**(Yash Pal Singh)**	**(S.K. Datta)**	**(H.R. Ahuja)**
महानिदेशक	अपर महानिदेशक	निदेशक (लेखा)	निदेशक (वित्त)
Director General	Addl.Director General	Director (Accounts)	Director (Finance)

31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का लेखा
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2007

		अनुसूची SCHEDULE	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR 2006-2007 (रुपये / Rupees)	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2005-2006 (रुपये / Rupees)
I.	**आय INCOME**			
1.	उत्पाद प्रमाणन Product Certification		1254999383	1056269152
2.	स्वर्ण हॉलमार्किंग प्रमाणन Gold Hallmarking Certification		59397436	34838055
3.	पद्धति प्रमाणन System Certification		24996824	31242211
4.	मानकों की बिक्री Sales of Standards	ए A	80811389	65922603
5.	अन्य आय Other Income	बी B	33022409	31706003
6.	निवेश पर अर्जित ब्याज Interest Earned on Investments		45145301	176782371
7.	सरकारी अनुदान (राजस्व) Govt. Grant (Revenue)		0	0
	योग TOTAL		**1498372742**	**1396760395**
II.	**व्यय EXPENDITURE**			
1.	व्यय और भत्ते Pay and Allowances	सी C	432592758	408702222
2.	सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ Retirement Benefits	डी D	62058482	58862580
3.	कर्मचारियों के लाभ Other Staff Benefits	ई E	36387423	32633778
4.	यात्रा व्यय Travelling Expenses	एफ F	37277297	40587072
5.	अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे Subscription to International Organizations	जी G	16432729	14355613
6.	उत्पादन Production	एच H	6704667	6504459
7.	परीक्षण Testing	आई I	73981744	53563206
8.	प्रचार Publicity	जे J	16469717	18265267
9.	कार्यालय व्यय Office Expenses	के K	71863206	72374365
10.	मरम्मत और रख–रखाव Repairs & Maintenance	एल L	38476515	30190638
11.	अन्य व्यय Other Expenses	एम M	37976844	31238901
12.	मूल्य ह्रास Depreciation	क्यू Q	33143349	55281442
13.	पेंशन देयता खाते में कमी के प्रति योगदान Contribution Towards Shortfall in Pension Liability Account	ओ (बी) O (b)	349003918	574200852
	योग TOTAL		**1212368649**	**1396760395**
III.	**अधिशेष पूँजी कोष में लाया गया (I-II)** **SURPLUS CARRIED TO CAPITAL FUND (I-II)**		**286004093**	–

अनुसूची ए–मानकों की बिक्री SCHEDULE A — SALE OF STANDARDS

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2006-2007	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2005-2006
1.	भारतीय मानक Indian Standards	46047360	42159874
2.	भारतीय एजेंट से रॉयल्टी Royalty from Indian Agent	27853270	14109000
3.	विदेशी प्रकाशन कमीशन और रॉयल्टी Royalty from Overseas Bodies & Overseas Publication Commission	6910759	9653729
	योग **TOTAL**	**80811389**	**65922603**

अनुसूची बी–अन्य आय SCHEDULE B — OTHER INCOME

1.	सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण शुल्क Conferences, Consultancy & Training Fees	15521098	11151422
2.	विविध (*देखें* टिप्पणी 2.15) Miscellaneous (*see* Note 2.15)	17501311	20554581
	योग **TOTAL**	**33022409**	**31706003**

अनुसूची सी–वेतन और भत्ते SCHEDULE C — PAY AND ALLOWANCES

1.	**वेतन PAY**		
	महानिदेशक Director General	341818	248261
	अधिकारी Officers	132141884	130172351
	कर्मचारी Staff	148700818	149263923
	उप योग Sub Total	281184520	279684535
2.	**भत्ते ALLOWANCES**		
	महानिदेशक Director General	96774	54206
	अधिकारी Officers	71850927	60141233
	कर्मचारी Staff	79460537	68822248
	उप योग Sub Total	151408238	129017687
	योग **TOTAL**	**432592758**	**408702222**

अनुसूची डी–सेवानिवृत्ति लाभ SCHEDULE D — RETIREMENT BENEFITS

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2006-2007	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2005-2006
1.	भविष्य निधि कोष में कमी की ओर योगदान (*देखें* टिप्पणी 2.8) Contribution to G.P.F. towards Deficiet (*see* Note 2.8)	3592477	1226204
2.	पेंशन देयता खाते में वार्षिक योगदान (*देखें* टिप्पणी 2.1.3.1) Yearly Contribution to Pension Liability A/c (*see* Note 2.1.3.1)	57507804	57266790
3.	अंशदायी नई पेंशन योजना में योगदान Contribution to Contributory New Pension Scheme	958201	369586
	योग TOTAL	**62058482**	**58862580**

अनुसूची ई–अन्य स्टाफ लाभ SCHEDULE E — OTHER STAFF BENEFITS

1.	के. सरकार स्वा. से. और अन्य चिकित्सा लाभ CGHS and Other Medical Benefits–कर्मचारी Staff	17621010	18659477
	–पेंशनर Pensioners	7436223	5899220
2.	कर्मचारी कल्याण Staff Welfare	3371242	2764570
3.	छुट्टी यात्रा रियायत Leave Travel Concession	7958948	5310511
	योग TOTAL	**36387423**	**32633778**

अनुसूची एफ–यात्रा व्यय SCHEDULE F — TRAVELLING EXPENSES

1.	विदेश Overseas	6751302	9215620
2.	अधिकारी और कर्मचारी Officers and Staff	30294862	31099599
3.	समिति सदस्य Committee Members	231133	271853
	योग TOTAL	**37277297**	**40587072**

अनुसूची जी–अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे
SCHEDULE G — SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

1.	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन International Standards Organization	9821799	8526647
2.	अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग International Electrotechnical Commission	6610930	5828966
	योग TOTAL	**16432729**	**14355613**

अनुसूची एच–उत्पादन SCHEDULE H — PRODUCTION

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

		चालू वर्ष CURRENT YEAR 2006-2007	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2005-2006
1.	मानक Standards	5951507	5796236
2.	बुलेटिन Bulletin	753160	708223
	योग TOTAL	**6704667**	**6504459**

अनुसूची आई–परीक्षण SCHEDULE I — TESTING

1.	परीक्षण शुल्क Testing Fees	51560697	43432926
2.	प्रयोगशाला में उपभोज्य सामान और प्रयोगशाला उपकरणों की मरम्मत और रख–रखाव Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Lab Equipment	7787809	6881434
3.	बाजार से खरीदे गए नमूने Market Samples	4498838	3248846
4.	बाहरी एजेंसियों को निरीक्षण प्रभार Inspection Charges to Outside Agencies	10134400	–
	योग TOTAL	**73981744**	**53563206**

अनुसूची जे–प्रचार SCHEDULE J — PUBLICITY

1.	प्रचार Publicity	**16469717**	**18265267**

अनुसूची के–कार्यालय व्यय SCHEDULE K — OFFICE EXPENSES

1.	स्टेशनरी Stationery	8661882	9488580
2.	डाक व्यय Postage	7034396	6515330
3.	टेलीफोन और टेलेक्स Telephone and Telex	9419379	8964122
4.	भर्ती Recruitment	134322	4301738
5.	जलपान और मनोरंजन Refreshment and Entertainment	1095843	881189
6.	वर्दी Liveries	401224	432035
7.	भाड़ा और ढुलाई Freight and Cartage	1906448	2597760
8.	बीमा और बैंक प्रभार Insurance and Bank Charges	1802761	1496900
9.	विविध Miscellaneous	4229603	3686964
10.	किराया और कर Rent and Taxes	13222079	11385900
11.	बिजली और पानी Electricity and Water	23955269	22623847
	योग TOTAL	**71863206**	**72374365**

अनुसूची एल–मरम्मत और रख-रखाव SCHEDULE L — REPAIRS AND MAINTENANCE

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

	चालू वर्ष CURRENT YEAR 2006-2007	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR 2005-2006
1. फर्नीचर एवं उपस्कर Furniture and Equipment	2933662	2877529
2. भवन Building	31365318	23145755
3. वाहन और डीएलवाई टैक्सियाँ Vehicles and DLY Taxies	4177535	4167354
योग TOTAL	**38476515**	**30190638**

अनुसूची एम–अन्य व्यय SCHEDULE M — OTHER EXPENSES

1. सम्मेलन, परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम Conferences, Consultancy and Training Programme	16156178	12815281
2. इलैक्ट्रॉनिकी आँकड़ा संसाधन Electronic Data Processing	9183977	7044000
3. पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय Library Subscription and Other Expenses	299018	491162
4. लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fees	1613089	1569896
5. विधि प्रभार Legal Charges	3587578	3210463
6. कर्मचारी प्रशिक्षण Staff Training	1858796	554683
7. आवास निर्माण ऋण पर ब्याज/ब्याज पर छूट Interest/Interest Subsidy on House Building Loan	338314	321150
8. अन्य ऋणों पर ब्याज Interest on Other Loans from:		
क) केन्द्र सरकार a) Central Government	0	0
ख) अन्य स्रोत – विश्व बैंक ऋण b) Other Sources—World Bank Loan	0	19945
9. डूबा ऋण बट्टे खाते में डाला (*देखें* टिप्पणी 2.20) Bad Debts Written Off (*see* Note 2.20)	60944	15596
10. गुणता पद्धति प्रभार Quality System Charges	3353802	4216646
11. हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ Hindi Promotional Activities	1174437	980079
12. प्रर्वतन आउटसोर्सिंग व्यय Enforcement Outsourcing Expenses	350711	0
योग TOTAL	**37976844**	**31238901**

अनुसूची एन—पूँजी निधि SCHEDULE N — CAPITAL FUND

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

	31 मार्च 2007 को स्थिति As on 31 March 2007	31 मार्च 2006 को स्थिति As on 31 March 2006
वर्ष के आरम्भ में आरम्भिक शेष Opening Balance at the Begining of the Year	618556612	613635315
जमा ***Add:***		
i) योजनागत अनुदान से पूँजीगत परिसम्पत्तियों की लागत [अनुसूची 'ओ' की क्रम सं. 1.1 (क) देखें] Cost of assets capitalized from Plan Grants [Refer Schedule 'O' Sl No. 1.1(a)]	1133075	418585
ii) अपारम्परिक उर्जा स्रोत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान से पूंजीकृत परिसम्पतियों की लागत [अनुसूची 'ओ' की क्रम संख्या 1.1 (ग) देखें] Cost of Assets Capitalized from Grant from Ministry of Non–Conventional Energy Sources [Refer Schedule 'O(a)' Sl. No. 1.1 (c)]	195874	–
iii) उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता से पूंजीकृत परिसम्पतियों की लागत [अनुसूची 'ओ(ए)' की क्रम संख्या 1.2 (क) और टिप्पणी 2.4.2 *देखें*] Cost of Assets Capitalised from Assistance from Consumer Welfare Fund [Refer Schedule 'O(a)' Sl No. 1.2(a) and Note 2.4.2]	176971	502712
iv) विश्व बैंक ऋण प्रतिदान लेखा निधि से अंतरण– ऋण का भुगतान Transfer from World Bank Loan Redemption Fund Account – Payment of Loan	–	4000000
v) आय और व्यय खाते से अंतरित अधिशेष Surplus transferred from Income & Expenditure Account	286004093	–
वर्षान्त पर अंतिम शेष Closing Balance at the End of the Year	**906066625**	**618556612**

अनुसूची ओ (ए)–रिजर्व और निधियाँ SCHEDULE O (a) — RESERVES AND FUNDS

[राशि रुपयों में Amount in Rupees]

क्रम सं. Sl No.	विवरण Particulars	अप्रैल 2006 को शेष निधि Fund Balance as on Apr 2006	वर्ष 2006-07 के दौरान प्राप्त अनुदान Grant Received during 2006-07	अन्य प्राप्तियाँ/ विनियोजन/ समायोजन Other Receipts/ Appropriations/ Adjustment	वर्ष 2006-07 के दौरान उपयोग Utilization during the Year 2006-07			31 मार्च 2007 को स्थिति As on 31 March 2007
					पूंजीं Capital	राजस्व Revenue	योग Total	
1	पूँजीकरण की प्रक्रिया में निधियाँ (परियोजना के नाम) FUNDS IN THE PROCESS OF CAPITALIZATION (Name of the Projects)							
1.1	भारत सरकार से योजनागत निधि PLAN FUND FROM GOI							
क) a)	प्रयोगशाला उपस्कर, कंप्यूटर तथा संबद्ध उपस्कर निधियाँ Laboratory Equipment, Computer and Associated Equipment Fund	1321538	0	0	1133075	0	1133075	188463
ख) b)	कोलकता प्रयोगशाला–सह–कार्यालय भवन निधि Kolkata Lab-cum-Office Building Fund	4370	0	0	0	100	100	4270
ग) c)	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (*देखें* टिप्पणी 2.6) Ministry of Non-Conventional Energy Sources (*see* Note 2.6)	1650000	0	0	195874	0	195874	1454126
	उप योग Sub Total	**2975908**	**0**	**0**	**1328949**	**100**	**1329049**	**1646859**
1.2	मंत्रालय निधि से सहायता ASSISTANCE FROM MINISTRY FUNDS							
क) a)	उपभोक्ता कल्याण निधि (*देखें* टिप्पणी 2.4) Consumer Welfare Fund (*see* Note 2.4)	592784	0	37441 (Interest)(ब्याज)	176971	34244	211215	419010
ख) b)	हालमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की योजना (*देखें* टिप्पणी 2.5) Scheme for setting Hall Marking Centres (*see* Note 2.5)	4354087	0	136409 (Interest)(ब्याज)	0	2071728	2071728	2418768
	उप योग Sub Total	**4946871**	**0**	**173850**	**176971**	**2105972**	**2282943**	**2837778**
2	कर्मचारी निधि EMPLOYEES FUND							
क) a)	हितकारी निधि (*देखें* टिप्पणी 2.16) Benevolent Fund (*see* Note 2.16)	(-)755977	0	133495	0	208000	208000	(-) 830482
ख)	सामान्य भविष्य निधि b) G.P. Fund	647476342	0	134463408	0	92549182	92549182	689390568
ग)	अंशदायी भविष्य निधि c) Contributory Pension Fund –नई पेंशन योजना (*देखें* टिप्पणी 2.2) –New Pension Scheme (*see* Note 2.2)	1183892	0	2145258	0	212207	212207	3116943
	उप योग Sub Total	**647904257**	**0**	**136742161**	**0**	**92969389**	**92969389**	**691677029**
	कुल योग Grand Total	**655827036**	**0**	**136916011**	**1505920**	**95075461**	**96581381**	**696161666**

अनुसूची ओ (बी) — पेंशन देयता लेखा (*देखें* टिप्पणी 2.1)
SCHEDULE O (b) — PENSION LIABILITY ACCOUNT (*see* Note 2.1)

[राशि रुपयों में / Amount in Rupees]

	31 मार्च 2007 को स्थिति As on 31 March 2007	31 मार्च 2006 को स्थिति As on 31 March 2006
i) वर्ष के आरंभ में आरंभिक शेष Opening Balance at the Beginning of the Year	3069191414	2548398066
जमा Add:		
ii) पेंशन देयता खाते की ओर निवेश पर अर्जित ब्याज (*देखें* टिप्पणी 2.1.3.3) Interest Earned on Investment towards Pension Liability Account (*see* Note 2.1.3.3)	224004668	–
योग TOTAL	**3293196082**	**2548398066**
जमा Add:		
iii) बीमांकन रिपोर्ट के अनुसार कमियों पर पेंशन देयता खाते में योगदान (व्यय समूह के मद 13 – आय और व्यय खाता) (*देखें* टिप्पणी 2.1.3.3) Contribution to Pension Liability Account towards shortfall as per the Actuary Report (Refer Income & Expenditure Account– Item 13 of Expenditure Group) (*see* Note 2.1.3.3)	349003918	574200852
योग TOTAL	**3642200000**	**3122598918**
जमा Add:		
iv) बीमांकन रिपोर्ट के अनुसार भावी सेवा पेंशन और उपदान देयता के प्रति वर्ष के लिए पेंशन देयता खाते में योगदान (अनुसूची डी – मद 2 और टिप्पणी 2.1.3.1 *देखें*) Contribution to Pension Liability Account for the year towards future Service Pension & Gratuity Liability as per Actuary Report (Refer Schedule D – Item 2 and Note 2.1.3.1)	57507804	57266790
योग TOTAL	**3699707804**	**3179865708**
कमी Less:		
v) वर्ष के दौरान पेंशन देयता खाते में नामे डाले गए पेंशन, परिवहन और उपदान को कुल भुगतान (*देखें* टिप्पणी 2.1.3.4) Total payout of Pension, Commutation, and Gratuity during the year debited to Pension Liability Account (*see* Note 2.1.3.4)	129392477	110674294
वर्षान्त पर अंतिम शेष Closing Balance at the End fo the Year	**3570315327**	**3069191414**

अनुसूची एस–चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिम
SCHEDULE S — CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

[राशि रुपयों में / Amount in Rupees]

क्रम सं. / Sl No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2007 को स्थिति / As on 31.3.2007	31 मार्च 2006 को स्थिति / As on 31.3.2006
1.	**भण्डार (लागत पर) / Stock (at Cost)**		
	क) छपाई का कागज		
	a) Printing Paper	271988	1712515
	ख) प्रयोगशाला में उपकरण और स्टोर का सामान		
	b) Laboratory Apparatus and Stores	1447779	2368814
	ग) स्टेशनरी तथा कंप्यूटर की खपत योग्य सामग्री और कैंटीन		
	c) Stationery, Computer Consumables and Canteen	1795876	1371301
	घ) मरम्मत और रख–रखाव की खपत योग्य सामग्री		
	d) Repair & Maintenance Consumables	986795	644854
	ड.) स्वर्ण आभूषणों का स्टॉक		
	e) Stock of Gold Jewellery	762018	762018
2.	**फुटकर लेनदारियाँ / Sundry Debtors**		
	क) प्रकाशनों की बिक्री		
	a) Sale of Publications	1696570	1607951
	ख) प्रमाणन		
	b) Certification	6717244	7582224
	ग) प्रमाणन—आवेदन शुल्क की संशोधित बकाया राशि, नवीकरण शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क (*देखें* टिप्पणी 2.21)		
	c) Certification—Revision arrears of application fee, renewal fee and annual licence fee (*see* Note 2.21)		
	— संदिग्ध ऋण Doubtful Debts	4462029	4375684
	— अन्य Others	–	86345
3.	**ऋण और अग्रिम / Loans and Advances**		
	क) निम्नलिखित के लिए कर्मचारियों को ऋण:		
	a) Loans to employees for:		
	i) वाहन की खरीद के लिए Purchase of Conveyance	10809470	12317219
	ii) आवास निर्माण के लिए House Construction	26168894	29789167
	iii) कंप्यूटर के लिए Computer	2154797	1880977
	ख) निम्नलिखित के लिए कर्मचारियों को अग्रिम:		
	b) Advances to employees for:		
	i) त्यौहार Festival	606505	666705
	ii) प्राकृतिक आपदाएँ Natural Calamities	101650	186950
	iii) यात्रा व्यय Travelling Expenses	2390179	3266489
	iv) छुट्टी यात्रा Leave Travel	602045	654036
	v) पंखा अग्रिम Fan Advance	149	449

[राशि रुपयों में / Amount in Rupees]

क्रम सं. / Sl No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2007 को स्थिति / As on 31.3.2007	31 मार्च 2006 को स्थिति / As on 31.3.2006
	ग) समायोजनीय अग्रिम		
	c) Adjustable Advances :		
	i) एकीकृत कम्प्यूटरीकरण की परियोजना (एनआईसी) (*देखें* टिप्पणी 2.9)		
	Integrated Computerization Project (NIC) (*see* Note 2.9)	7800876	8714668
	ii) अन्य (क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालय / मुख्यालय)		
	Others (ROs/BOs/HQ)	5524667	15074524
	iii) योजना परियोजना स्कीम (प्रयोगशाला उपकरण)		
	Plan Project Scheme (Lab Equipment)	188463	188463
	iv) उपभोक्ता कल्याण निधि (एनबीसीसी)		
	Consumer Welfare Fund (NBCC)	332260	509231
	v) पंजीयक–छोटे मामले न्यायालय–मुम्बई (*देखें* टिप्पणी 2.7)		
	Registrar–Small Causes Court–Mumbai (*see* Note 2.7)	18360598	18660598
	घ) वसूली योग्य लेखे		
	d) Accounts Recoverable :		
	i) वसूली योग्य लेखे (कर्मचारियों से) (*देखें* टिप्पणी 2.18)		
	Accounts Recoverable (Employees) (*see* Note 2.18)	339732	372612
	ii) सरकारी पार्टियों से वसूली योग्य (वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं उपभोक्ता मामले विभाग से)		
	Recoverables from Govt. Parties (From MOF, MEA & DCA)	–	1600070
	iii) वसूली योग्य लेखे (अन्य) (*देखें* टिप्पणी 2.16 और 2.17)		
	Accounts Recoverable (Others) (*see* Note 2.16 & 2.17)	29336992	15371812
4.	**सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम**		
	Advances from GPF	17617730	15939970
5.	**प्रतिभूति जमा**		
	Security Deposits	2742208	2628369
6.	**पूर्वप्रदत्त व्यय**		
	Prepaid Expenses	215885	235417
7.	**स्रोत पर काटा गया कर**		
	Tax Deducted at Sources	14759726	10437954
8.	**ब्याज प्राप्ति तथा बकाया**		
	Interest Accrued & Due		
	i) भा मा ब्यूरो निधि		
	BIS Fund	310183998	297742752
	ii) सा. भ. निधि		
	GP Fund	15852357	20305447
	iii) नई पेंशन योजना		
	New Pension Scheme	–	37328
	iv) अन्य		
	Others	2866	5101
9.	**रोकड़ तथा बैंक शेष**		
	Cash and Bank Balances		
	क) बैंक से, a) With Banks		
	–पेंशन देयता खाते के प्रति Towards Pension Liability Account	5888850	5281327
	–अन्य–मुख्यालय और क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय Others–HQ & ROs/BOs	109474232	88083021
	ख) हाथ में (इम्प्रेस्ट सहित), b) In hand (including imprest)	561583	591933
	ग) फ्रेंकिंग मशीन शेष, c) Franking Machine Balance	212175	275643
	घ) पारवहन में चैक, d) Cheques in Transit	–	9603053
	योग TOTAL	**600369186**	**580932991**

अनुसूची टी–चालू देयताएँ SCHEDULE T — CURRENT LIABILITIES

[राशि रुपयों में / Amount in Rupees]

क्रम सं. / Sl No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2007 को स्थिति / As on 31.3.2007	31 मार्च 2006 को स्थिति / As on 31.3.2006
1.	फुटकर देनदारियाँ Sundry Creditors		
	क) देश में		
	a) Inland	20409870	25898709
	ख) विदेश में		
	b) Abroad	7500000	6960940
	ग) बयाना जमा राशि / प्रतिधारण धन		
	c) Earnest Money Deposits/Retention Money	14835545	12649273
2.	ग्राहक बकाया Customer Balances		
	क) बिक्री		
	a) Sales	415039	262873
	ख) प्रमाणन		
	b) Certification	8122738	4958748
3.	भुगतान योग्य लेखे (कर्मचारियों के) Accounts Payable (Employees)	595982	721834
4.	बिहार सरकार (प्रयोगशाला उपस्कर खाता) Govt. of Bihar (Lab Equipment A/c)	459513	395526
5.	गुजरात सरकार (अ.शा.का. भवन खाता) Govt. of Gujarat (ABO Building A/c)	1399666	1370481
6.	यूएनडीपी सहायता—अव्यचितशेष (*देखें* टिप्पणी 2.19) UNDP Assistance — Unspent Balance (*see* Note 2.19)	210552	367045
7.	देय सेवा कर Service Tax Payable	352539	563488
8.	अप्रदत वेतन Unpaid Salaries	822	6263
	योग TOTAL	**54302266**	**54155180**

अतः, "पेंशन देयता खाते" **[अनुसूची ओ (बी) – मद (ii)]** नामे डाली गई 2240.05 लाख रु. की ब्याज प्राप्तियाँ तथा 451.45 लाख रु. की शेष ब्याज प्राप्तियाँ आय एवं व्यय खाते **(आय समूह की क्रम सं. 6 पर)** हैं।

2.1.3.3 पेंशन देयता खाते में कमी के प्रति योगदान (आय एवं व्यय खाते में व्यय समूह की क्रम सं. 13): पेंशन देयता खाते में कमी के बराबर राशि 3 490.04 लाख रु. आय एवं व्यय खाते में प्रभारित की गई है और इसे पेंशन देयता खाते **[अनुसूची ओ (बी) – मद (iii)]** में नामे डाला गया है। इसमें कमी को निम्नानुसार ज्ञात किया गया है :

(लाख रु.)

दिनांक 23.3.2006 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की 70वीं बैठक द्वारा अनुमोदित बीमांकिक रिपोर्ट के अनुसार 31.3.2005 को कुल प्रोद्भूत देय पेंशन और उपदान		**36 422.00**
घटाएं : पेंशन देयता खाते में उपलब्ध राशि		
i) 1.4.2006 को आरंभिक शेष	30 691.91	
ii) वर्ष 2006–07 में पेंशन देयता खाते के चढ़ाए गए निवेशों पर अर्जित ब्याज	2 240.05	32 931.96
वर्ष 2006–07 के आय एवं व्यय खाते में से प्रदान किए गए पेंशन देयता खाते में कमी		3 490.04

2.1.3.4 वर्ष 2006–07 के दौरान पेंशन, उपदान और कम्युटेशन के कुल भुगतान 1293.92 लाख रु. (प्रतिनियुक्ति पर गए व्यक्तियों से निवल प्राप्ति 1.41 लाख रु.) रहा। इसे पेंशन देयता खाते **[अनुसूची ओ (बी) – मद (v)]** नामे डाला गया।

2.1.3.5 उपरोक्त लेन देनों के फलस्वरूप पेंशन देयता खाते में शेष राशि 31.3.2007 को 35 703.15 लाख रु. रही (अर्थात आरंभिक शेष **30 691.91 लाख रु.** + अर्जित ब्याज **2 240.05 लाख रु.** = 32 931.96 लाख रु. + आय एवं व्यय खाते में प्रभारित कमी के प्रति अंशदान **3 490.04 लाख रु.** = 36 422.00 लाख रु. + वार्षिक योगदान 575.08 लाख रु. = **36 997.08 लाख रु.** – भुगतान 1 293.93 लाख रु. = **35 703.15 लाख रु.**)।

2.1.3.6 पेंशन निधि खाते के संबंध में नियम 17 एच के सन्निवेशन के लिए भा मा ब्यूरो नियमावली, 1987 में प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव : यह प्रस्ताव उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

Therefore the interest earnings of Rs. 2 240.05 lacs have been credited to "Pension Liability Account" **[Schedule O(b) – Item (ii)]** and the remaining interest earnings of Rs. 451.45 lakhs appear in the Income & Expenditure Account **(Sl No. 6 of Income Group)**.

2.1.3.3 Contribution towards shortfall in Pension Liability Account (Sl. No. 13 of Expenditure Group in the Income & Expenditure A/c) : The amount equal to the shortfall in the Pension Liability Account amounting to Rs. 3 490.04 lakhs has been charged to Income & Expenditure Account and credited to Pension Liability Account **[Schedule O(b) – Item (iii)]**. The shortfall has been worked out as under:

(Rs. in lacs)

Total Accrued Liability of Pension & Gratuity as on 31.3.2005 as per the Actuary Report approved by Executive Committee in its 70th meeting held on23.3.2006		**36 422.00**
Less: Amount available in Pension Liability Account		
i) Opening Balance as on 1.4.2006	30 691.91	
ii) Interest earned on investments credited to Pension Liability Account in 2006-07	2 240.05	32 931.96
Shortfall in Pension Liability Account provided out of Income & Expenditure A/c of 2006-07		3 490.04

2.1.3.4 The total payments of pension, gratuity and commutation during 2006-07 amounted to Rs. 1 293.92 lakh (net of receipts from deputationists Rs.1.41 lakh). This has been debited to Pension Liability Account **[Schedule O(b) – Item (v)]**

2.1.3.5 As a result of the above transactions, the balance in the Pension Liability Account thus amounts to Rs. 35 703.15 lacs as on 31.3.2007. (i.e. opening balance **Rs. 30 691.91 lacs** + Interest earned **Rs. 2 240.05 lacs** = Rs. 32 931.96 lacs + Contribution towards shortfall charged to Income & expenditure Account **Rs. 3 490.04 lacs** = Rs. 36 422.00 lacs + yearly contribution Rs. 575.08 lacs = **Rs. 36 997.08 lacs** – Payments Rs. 1 293.93 lacs = **Rs. 35 703.15 lacs**).

2.1.3.6 Proposal for making a Provision in BIS Rules, 1987 for insertion of Rule 17H regarding Pension Fund Account: The proposal is under consideration of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Ministry of Finance.

2.2 1.1.2004 से आगे भर्ती किए गए कर्मचारियों पर प्रयोज्य अंशदायी नई पेंशन योजना निधि [अनुसूची ओ (ए) – मद 2(ग)]: दिनांक 4.2.2004 को का. ज्ञा. सं. 1(7) (2)/2003/टीए/ 67–74 के साथ पठित भारत सरकार के आदेश सं. जीआई.एम.एफ. (सीजीए) का. ज्ञा. सं.1(7) (2)/2003/टीए/11 दिनांक 7.1.2004 के अनुसार 1.1.2004 से आगे भा मा ब्यूरो में भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों (केन्द्रीय सरकार के विभागों से आए कर्मचारियों के मामलों के सिवाए) पर भारत सरकार की नई पेंशन योजना लागू है। दिनांक 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार अंशदायी नई पेंशन योजना निधि में आरंभिक शेष 11.84 लाख रुपए था। वर्ष के दौरान कर्मचारियों का अंशदान तथा भा मा ब्यूरो का अंशदान 19.33 लाख रुपए था (उन कर्मचारियों के प्रतिदायों को घटा कर जिन्होंने भा मा ब्यूरो छोड़ दिया है तथा ब्याज को जमा करके)। इस प्रकार अंशदायी नई पेंशन योजना निधि में 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अधिदेश 31.17 लाख रुपए था। इस निधि के प्रति निवेश की राशि 31.17 लाख रुपए का था **(अनुसूची आर – मद 1.2)**।

2.3 निधियों का निवेश

2.3.1 कुल निवेश (अनुसूची आर – मद 1) : दिनांक 31.3.2007 के अनुसार कुल निवेश लगभग 37 031.18 लाख रु. है। वर्ष 2006–07 के दौरान निवल लेन देन निम्नानुसार हैं : –

(लाख रुपए)

1.4.2006 की स्थिति के अनुसार निवेश		29 234.06
वर्ष 2006–07 के दौरान सकल वर्धन	31 379.42	
वर्ष 2006–2007 के दौरान सकल परिपक्वताएँ (–)	23 582.30	
वर्ष 2006–07 के दौरान निवल वर्धन		7 797.12
31.3.2007 की स्थिति के अनुसार निवेश		37 031.18

वर्ष 2006–07 के दौरान निवेशों की सकल परिपक्वताओं में 21 168.30 लाख रुपए के निवेशों की बैंक सावधि जमा राशि शामिल है जो परिपक्वता पूर्व प्राप्त की गई क्योंकि वे ब्याज की वर्तमान उच्चतर दर की तुलना में ब्याज की निम्न दर पर थीं। इसके परिणामस्वरूप भा मा ब्यूरो को पूर्व–परिपक्वता के कारण तथा उसे वर्तमान दर पर पुनः निवेशित करने के कारण लाभ हुआ है। मूल परिपक्वता तिथियों को कुल परिपक्वताओं की राशि केवल 2 414.00 लाख रुपए थी (23 582.30 लाख में से 21 168.30 लाख रुपए घटाकर)।

2.3.2 निवेश का आबंटन : 37 031.18 लाख रुपए के कुल निवेश में से 35 703.15 लाख रु. निवेश आबंटित किए गए हैं तथा उन्हें "पेंशन देयता खाते में निवेश" के अंतर्गत रखा गया है **(अनुसूची 'आर' के मद 1.1)** में पेंशन देयता खाते की राशि के समतुल्य **31.17 लाख रुपए** का निवेश "नई अंशदायी पेंशन योजना निधि खाते में निवेश" को आबंटित किया गया है (अंशदायी नई पेंशन योजना निधि की राशि के समतुल्य) **(अनुसूची 'आर' की मद 1.2)** । **1 296.86 लाख रुपए** के शेष निवेश पूंजी निधि में भा मा ब्यूरो के सामान्य निवेशों से संबंधित हैं। **(अनुसूची 'आर' की मद 1.3)**।

2.2 Contributory New Pension Scheme Fund [Schedule O(a)–Item 2(c)] applicable to recruits from 1.1.2004 onwards: The new pension scheme of Government of India is applicable to all recruits in BIS from 1.1.2004 (except in cases of employees who joined from Central Government Departments) onwards as per GoI Order No. GI.M.F. (CGA) O.M. No. 1(7)(2)/2003/TA/11 dated 7.1.2004 read with O.M. No. 1(7)(2)/2003/TA/67-74 dated 4.2.2004. The opening balance in Contributory New Pension Scheme Fund as on 1.4.2006 amounted to Rs.11.84 lacs. The contribution of employees and BIS contribution during the year amounted to Rs.19.33 lacs(net of refunds to employees who left BIS and the interest credited). The balance in the Contributory New Pension Scheme Fund as on 31.3.2007 thus amounted to Rs. 31.17 lakhs. The investment against this fund amounted to Rs. 31.17 lacs **(Schedule R – Item 1.2)**.

2.3 Investment of Funds

2.3.1 Total Investments: BIS (Schedule R, Item 1) - The total investments as on 31.3.2007 amounted to Rs. 37 031.18 lakhs. The net of transaction during 2006-07 is as under:

(Rs. in lacs)

Investments as on 1.4.2006		29 234.06
Gross Additions during 2006-07	31 379.42	
Gross Maturities during 2006-07 (–)	23 582.30	
Net Additions during 2006-07		7 797.12
Investments as on 31.3.2007		37 031.18

The Gross maturities of Investments during 2006-07 includes bank fixed deposits of Rs. 21 168.30 lacs of investments which were pre-matured as the same were at low rate of interest as compared to higher current rate of interest. This has resulted in gain to BIS due to pre-maturity and reinvestment thereof at current rate. The total maturities on original maturity dates amounted to Rs. 2 414.00 lacs only (23 582.30 lacs less Rs. 21 168.30 lacs) .

2.3.2 Allocation of Investment : Out of total investment of **Rs. 37 031.18 lakhs**, the investments of Rs. 35 703.15 lacs have been allocated and kept under "Investment toward Pension Liability A/c". (Equal to the amount of Pension Liability A/c) **(Item 1.1 of Schedule 'R')**. The Investment of **Rs. 31.17 lacs** have been allocated to "Investment toward New Contributory Pension Scheme Fund A/c" (Equal to the amount of Contributory New Pension Scheme Fund) **(Item 1.2 of Schedule 'R')** The balance investments of **Rs. 1 296.86 lacs** pertains to General Investments of BIS towards Capital Fund. **(Item 1.3 of Schedule 'R')**.

2.3.3 यूपीसीएसएमएफएल, एमपीएसईबी तथा एमपीएसआईडीसी में निवेशों के संबंध में उपार्जित ब्याज तथा देय ब्याज की चूक हुई हो। वित्त समिति (एफसी) ने 2.5.2005 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में यूपीसीएसएमएफएल, एमपीएसईबी और एमपीएसआईडीसी के संबंध में भी समझौता प्रस्तावों पर विचार किया तथा उनकी पेशकशों को अस्वीकार करने का निर्णय किया। वित्त समिति ने यह निर्णय भी किया कि ऐसे सभी चूककर्ता (अदायगी न किए गए) निवेशों में कानून को अपना कार्य करने दिया जाए जहाँ माननीय न्यायालयों में मामले दायर किये गए हैं।

2.3.4 निवेशों की परिपक्वता की तिथि तक चूक किए गए (अदा न किए गए) ब्याज की संस्थावार राशि निम्न प्रकार है: –

2.3.3 The interest accrued and due have been defaulted in respect of investments in UPCSMFL, MPSEB and MPSIDC. The Financial Committee (FC) in its 28th meeting held on 2.5.2005 considered the settlement proposals in respect of UPCSMFL, MPSEB and MPSIDC and decided to reject their offers. FC also decided that let the law take its own course in all such default investments where the cases have been filed in the Hon'ble Courts.

2.3.4 The Institution wise amount of interest default till the date of maturity of investments are as under:

(लाख रुपये /Rs. in lacs)

संस्था **Institution**	ब्याज की दर **Rate of Interest**	निवेश की राशि **Amount of Investment**	निवेश की तिथि **Date of Investment**	परिपक्वता की तिथि **Date of Maturity**	तिथि जब से ब्याज की अदायगी नहीं की गई है **Date since when Interest is Defaulted**	अदायगी न किए जाने की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक कूपन दर पर ब्याज **Interest from Date of Default to Maturity Date at Coupon Rate**
यू पी को ऑपरेटिव एण्ड स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लि. (यू.पी.सी. एस.एम.एफ.एल.) U.P. Cooperative & Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL)	16%	200.00	17.12.1998	30.4.2003 (33%) 30.10.2003 (33%) 30.10.2004 (34%)	1.5.2000	128.00 (4 years 6 months) (4 वर्ष 6 माह)
मध्यप्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एम.पी.एस.ई.बी) Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB)	15%	100.00	31.10.1998	1.12.2003 (1/3rd) 1.12.2004 (1/3rd) 1.12.2005 (1/3rd)	1.7.2001	66.25 (4 years 5 months) (4 वर्ष 5 माह)
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एम.पी.एस.आई.डी.सी.) Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation (MPSIDC)						
भा मा ब्यूरो निधियाँ BIS Funds	14.40%	300.00	2.11.1999	31.1.2005	1.11.2001	140.40
सामान्य भविष्य निधि GPF Funds	14.40%	45.00	17 .11.1999	31.1.2005	1.11.2001	21.06
		345.00				(3 years 3 months) (3 वर्ष 3 माह)

2.3.5 चूककर्ता निवेशों के उक्त मामलों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:

यूपीसीएसएमएफएल : 1.5.2000 से परिपक्वता की तिथि तक देय ब्याज के साथ–साथ परिपक्वता तिथियों पर देय निवेश की मूल राशि यूपीसीएसएमएफएल से प्राप्त नहीं हुई हैं। भा मा ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष मामला दायर किया है जिस पर निर्णय लम्बित है। सम्पूर्ण ब्याज को छोड़कर केवल मूल धनराशि स्वीकार करने के लिए यूपीसीएसएमएफएल का भा मा ब्यूरो को मै. दाराशॉ एण्ड कंपनी के माध्यम से प्राप्त एकबारगी समझौता प्रस्ताव वित्त समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। एनसीडीआरसी में मामले पर कार्रवाई चल रही है। सुनवाई की अगली तिथि 11 जुलाई 2007 है।

एमपीएसईबी : 1.7.2001 से परिपक्वता की तिथि तक ब्याज के साथ–साथ तिथियों को देय निवेश की मूल राशि एमपीएसईबी से प्राप्त नहीं हुई है। भा मा ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष मामला दायर कर दिया है। एमपीएसईबी के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड को भी अनुरोध किया गया है तथा मामले पर निर्णय लम्बित है। एमपीएसईबी का भा मा ब्यूरो को कूपन दर के स्थान पर चूक की तिथि से 31.3.2005 तक ब्याज की दर को घटकार 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा 30.11.2005 तक 8 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा 28.5.2005 को आयोजित 28वीं बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया। एनसीडीआरसी के आदेशों के अनुसरण में भा मा ब्यूरो ने मध्यस्थता हेतु प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ सम्पर्क किया। किन्तु, मंत्रिमंडल सचिवालय ने यह कहते हुए मध्यस्थता समिति/माध्यस्थम न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने से मना कर दिया है कि एमपीएसईबी भारत सरकार को सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है तथा इसलिए भा मा ब्यूरो तथा मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से संबंधित विवाद मंत्रिमंडल सचिवालय में विवादों संबंधी समिति के क्षेत्राधिकारांतर्गत नहीं आते। एमपीएसईबी ने पुनः दिनांक 21.3.2006 के अपने पत्र में देयताओं के निपटान हेतु अपने पूर्ववर्ती प्रस्ताव को दोहराया जिसे वित्त समिति द्वारा 19 जून 2006 को आयोजित अपनी 32वीं बैठक में अस्वीकृत कर दिया गया। वित्त समिति ने यह निर्णय भी किया कि भा मा ब्यूरो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में अपने मामले का परिशीलन जारी रखेगा। बहस की पूर्ति के लिए मामला 5.4.2007 को माननीय राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जो पूर्ण हो गई है तथा मामला आयोग द्वारा अंतिम सुनवाई के लिए आस्थगित कर दिया गया है।

एमपीएसआईडीसी : 1.11.2000 से परिपक्वता की तिथि तक ब्याज के साथ–साथ परिपक्वता को देय निवेश की मूल राशि एमपीएसआईडीसी से प्राप्त नहीं हुई है। भा मा ब्यूरो ने भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के समक्ष मामला दायर कर दिया है। जिस पर निर्णय लंबित है। 1.11.2001 से सम्पूर्ण ब्याज को छोड़कर केवल मूलधन की राशि स्वीकार करने का एमपीएसआईडीसी द्वारा भा मा ब्यूरो को किया गया प्रस्ताव वित्त समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग ने दिनांक 12.5.2006 के अपने आदेश में सुनवाई की अगली तिथि तक एमपीएसआईडीसी की सभी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों को जब्त कर लिया है ताकि बीआईएस की देयताओं की अदायगी करने के लिए एमपीएसइआईडीसी पर दबाव डाला जा सके। अब मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा मामले का निर्णय भा मा ब्यूरो के

2.3.5 The present status in above cases of default investments is as under:

UPCSMFL : The interest from 1.5.2000 to date of maturity as well as the principal amount of investment due on maturity dates have not been received form UPCSMFL. BIS has filed case before the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) which is pending decision. The one time settlement proposal of UPCSMFL to BIS received through M/s. Darashaw & Co. to accept principal only by foregoing entire interest due was rejected by Financial Committee. The case in NCDRC is in progress. The next date of hearing is 11 July 2007.

MPSEB : The interest from 1.7.2001 to date of maturity as well as the principal amount of investment due on maturity dates have not been received from MPSEB. BIS has filed case before the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC). Besides MPSEB, the Chhatisgarh Electricity Board has also been impleaded and the case is pending decision. The proposal of MPSEB to BIS for reduction of interest rate to 7% p.a. from date of default to 31.3.2005 and 8% upto 30.11.2005 in place of coupon rate was rejected by Financial Committee in its 28th meeting held on 28.5.2005. In consonance with orders of NCDRC, BIS approached the Cabinet Sectt. through administrative Ministry for arbitration. However, the Cabinet Sectt. has denied for appointing Mediation Committee/Arbitral Tribunal stating that the MPSEB is not a public sector undertaking of Government of India and hence disputes pertaining to BIS and Madhya Pradesh Electricity Board do not fall within the jurisdiction of the committee on Disputes in Cabinet Secretariat. MPSEB once again in its letter dated 21.3.2006 had reiterated its earlier offer for settlement of dues which was rejected by Financial Committee in its 32nd meeting held on 19 June 2006. FC also decided that BIS may continue to pursue its case in National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC). The matter came before the Hon'ble National Commission on 5.4.2007 for completion of pleadings which have been completed and the matter stands adjourned by the Commission for final hearing.

MPSIDC : The interest from 1.11.2001 to date of maturity as well as the principal amount of investment due on maturity date have not been received form MPSIDC. BIS has filed case before the M.P. State Consumer Redressal Commission in Bhopal which is pending decision. The proposal of MPSIDC to BIS to accept the principal only by foregoing the entire interest due since 1.11.2001 was rejected by Financial Committee. The M.P. State Consumer Redressal Commission in its order dated 12.5.2006 had attached all the properties and assets of MPSIDC till next date of hearing with a view to put pressure on MPSIDC to pay the dues of BIS. The case has now been decided by M.P. State Consumer Dispute Redressal Commission

पक्ष में कर दिया गया है। एमपीएसआईडीसी द्वारा राष्ट्रीय आयोग में दायर की गई अपील को खारिज कर दिया गया है। **भा मा ब्यूरो द्वारा 16 अप्रैल 2007 को माननीय उच्चतम न्यायालय में आपत्ति सूचना दायर की गई है ताकि यदि एमपीएसआईडीसी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करे तो कोई एक पक्षीय निर्णय/आदेश पारित न किया जाए।**

2.3.6 आईएफसीआई में निवेश : आईएफसीआई में भा मा ब्यूरो निधियों से किया गया कुल निवेश 1 180 लाख रुपए का तथा सामान्य भविष्य निधि से किया गया कुल निवेश 285 लाख रुपए का था जो 12.10 प्रतिशत से 14.75 प्रतिशत के बीच की विभिन्न ब्याज दरों पर किया गया था। ब्याज दरों में सामान्य गिरावट के परिणामस्वरूप इसकी पुनर्संरचना के कारण आईएफसीआई और भा मा ब्यूरो से अनुरोध करता रहा है कि वह 1.4.2003 से ब्याज दर को 9 प्रतिशत पर पुननियत करने तथा परिपक्वता को एक अन्य 5 वर्ष या उससे अधिक के लिए आगे बढ़ाने पर सहमत हो जाए। स्वीकार किए जाने पर इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप भा मा ब्यूरो तथा भा मा ब्यूरो जीपीएफ को परिपक्वता तक सभी निवेशों पर 1.34 करोड़ रुपए की ब्याज हानि होगी। भा मा ब्यूरो ने 28.5.2003 को आयोजित 20वीं वित्त समिति की बैठक के लिए गए निर्णय के अनुसार आईएफसीआई के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा उन्हें सूचित किया कि वे देय तिथियों को ब्याज की सम्मत दर तथा परिपक्वता राशि का भुगतान भा मा ब्यूरो को कर दें। आईएफसीआई ने भा मा ब्यूरो के सभी निवेशों पर ब्याज की अदायगी 9 प्रतिशत की घटी दर पर की। भा मा ब्यूरो आईएफसीआई से ब्याज के अंतर की आदायगी हेतु अनुरोध करता रहा है तथा उसने उन्हें कानून नोटिस भी जारी किए है।

वित्त समिति ने दिनांक 4.10.2005 को आयोजित अपनी 30वीं बैठक में अनुशंसा की कि भा मा ब्यूरो ब्याज दर पुनः नियत करने के कारण देय ब्याज में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय से सम्पर्क करे। प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 13 जून 2006 के पत्र 11/22/2005 भा मा ब्यूरो के तहत सूचित किया है कि सरकार के लिए मामले में हस्तक्षेप करना संभव नहीं होगा क्योंकि आईएफसीआई कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी है तथा भारत सरकार की आईएफसीआई में कोई शेयरधारिता नहीं है।

कानूनी परामर्शदाता की अनुशंसा के अनुसरण में तथा महानिदेशक भा मा ब्यूरो के अनुमोदन से, भा मा ब्यूरो द्वारा आईएफसीआई लि. के विरुद्ध परिसमापन याचिका डायरी सं. 5038 दिनांक 18.4.2007 के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई है।

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई में निवेश : 14.65 करोड़ रुपए के कुल निवेश में से, 13.85 करोड़ रुपए के निवेश परिपक्व हो चुके हैं तथा 0.80 करोड़ रुपए के शेष निवेश जून 2009 में परिपक्व होंगे।

2.3.7 निवेश पर अर्जित व्यय : वर्ष 2006–07 2 691.50 लाख रुपए के कुल ब्याज अर्जनों के पेंशन देयता खाते तथा पूंजी निधि खाते में 1.4. 2006 की स्थिति के अनुसार आरंभिक अधिशेष के अनुपात में पेंशन देयता खाते के बीच संविभाजित कर दिया गया है।

ब्याज आय को मान्य करने की लेखाकरण की नीति के अनुसार, यूपीसीएसएमएफएल, एमपीईबी तथा एमपीएमआईडीसी में चूककर्ता निवेशों

in favour of BIS. The Appeal filed by MPSIDC in National Commission has been dismissed. **The Caveat has been filed by BIS in Hon'ble Supreme Court on 16 April 2007 so that there is no ex-parte decision/order passed if MPSIDC appeals before Hon'ble Supreme Court.**

2.3.6 Investment in IFCI : Total investment with IFCI from BIS Funds was Rs. 1 180 lacs and from G.P. Fund Rs. 285 lacs at various rates of interest ranging from 12.10% to 14.75%. Due to its restructuring as a result of general fall in interest rates, IFCI had been requesting BIS to agree to reset the interest rate at 9% w.e.f. 1.4.2003 onwards and to shift the maturity for another 5 years or more. This proposal if accepted will result into shortfall of interest by Rs. 1.34 crore to BIS and BIS GPF on all investments till maturity. BIS did not accept the IFCI's offer as per the decision taken in the meeting of 20th FC held on 28.5.2003 and informed them to pay to BIS the agreed rate of interest and maturity amount on due dates. IFCI had paid the interest on all investments of BIS at the reduced rate of 9%. BIS has been requesting IFCI for payment of the difference of the interest and also issued legal notices.

The Financial Committee in its 30th meeting held on 4.10.2005 recommended that BIS may approach the Ministry of Finance through the Administrative Ministry for the compensation of the shortfall in the interest due to re-setting of the interest rate. The Department of Economic Affairs vide letter 11/22/2005-BIS dated 13 June 2006 through Administrative Ministry informed that it may not be possible for the Government to intervene in the matter as IFCI is a company incorporated under Companies Act, 1956 and Government of India have no shareholding in IFCI.

In consonance with the recommendation of the legal counsel, and with the approval of DG BIS, winding up petition against IFCI Ltd. has been filed by BIS before the Hon'ble High Court of Delhi vide Diary No. 5038 dated 18.4.2007.

Investment with IFCI as on 31.3.2007 : Out of the total investment of Rs. 14.65 crores, investments of Rs. 13.85 crore have since been matured and remaining investment of Rs. 0.80 crores will mature in June 2009.

2.3.7 Interest earned on investment : The total interest earnings of 2006-07 stood at Rs. 2 691.50 lacs have been apportioned between Pension Liability A/c and Income & Expenditure A/c in the ratio of opening balance as on 1.4.2006 in Pension Liability Account and Capital Fund A/c.

As per the Accounting Policy for recognition of the interest income, the cumulative interest accrued on default

पर अर्जित संचयी ब्याज को आय नहीं माना गया है। इसे वास्तविक ब्याज प्राप्ति के वर्ष में आय माना जाएगा। जहाँ तक आईएफसीआई निवेश का संबंध है, बकाया निवेशों पर उपर्जित ब्याज को 1.4.2003 से 9 प्रतिशत की दर पर परिकलित किया गया है। परिपक्व तथा वर्तमान निवेशों पर 1.4.2003 से संविदात्मक दर तथा 9 प्रतिशत के बीच ब्याज अंतर को, यदि वह प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्ति के वर्ष में आय में जमा किया जाएगा। यूपीसीएसएमएफएल, एमपीईबी तथा एमपीएमआईडीसी के मामले में निवेश की परिपक्वता आय (राशि) प्राप्त नहीं हुई।

2.4 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता [अनुसूची ओ (ए) – मद 1.2 (क)]

2.4.1 उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 20.1.2003 के पत्र सं. 011011/ 34/2003–सीडब्ल्यूएफ के तहत नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन में अवसंरचना सुविधाओं के लिए तथा प्रशासनिक मंत्रालय के लिए उपभोक्ता संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2002–03 में 150.00 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की थी तथा भा मा ब्यूरो को भेजी थी। वर्ष 2005–06 तक व्यय की गई राशि 149.17 लाख रुपए थे। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार सहायता की अव्ययित अधिशेष राशि 0.83 लाख रुपए थी जिसे 2006–07 में अग्रेनीत कर दिया गया। प्रशासनिक मंत्रालय ने दिनांक 2.11.2004 के अपने पत्र सं. 2(9)/2003– सीपीयू के तहत अव्ययित राशि का उपयोग उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यकारी दलों के समिति सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान करने के लिए स्वीकृत कर दिया था। वर्ष 2006–07 के दौरान यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के रूप में 0.34 लाख रुपए की राशि अदा की गई तथा इसे उसे उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में प्रभारित किया गया।

2.4.2 प्रशिक्षण संस्थान भवन/होस्टल कक्षों की सज्जा के लिए वर्ष 2003–04 के दौरान मै. एनबीसीसी लि. को उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में से 50.00 लाख रुपए की अग्रिम राशि अदा की गई। इसमें से 44.91 लाख रुपए की राशि को 2005–06 तक उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में समायोजित, पूंजीकृत तथा प्रभारित किया गया। इस प्रकार, 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार लम्बित अग्रिम राशि 3.32 लाख रुपए (अर्थात 50.00 लाख रुपए में से 44.91 लाख रुपए और 1.77 लाख रुपए घटाकर) है।

2.4.3 अव्ययित निधि की अल्पावधि जमाराशि पर अर्जित ब्याज तथा इस निधि के बचत खाते बैंक में बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज, जो वर्ष 2006–07 के दौरान कुल मिलाकार 0.38 लाख रुपए है, उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में ही जमा कर दिया गया है। 3.32 लाख रुपए की अग्रिम राशियों को खाते में लेने के पश्चात 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में निवल अव्ययित अधिशेष की राशि 0.87 लाख रुपए है अर्थात **अनुसूची ओ (ए) – मद 1.2 (क)** के अनुसार 4.19 लाख रुपए में से 3.32 लाख रुपए की अग्रिम राशि को घटाकर जिसे अभी समायोजित किया जाना है **[अनुसूची एस – मद 3 (ग) (iv)]** वर्ष 2006–07 के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र को भेजा जाएगा। वर्षवार उपयोगिता विवरण निम्न प्रकार है:

investments in UPCSMFL, MPEB and MPSIDC has not been considered as income. It shall be considered as income in the year when the interest is actually received. As regards, the IFCI investment, the accrued interest on outstanding investments has been taken @ 9% w.e.f. 1.4.2003. Difference of interest between contractual rate and 9% w.e.f. 1.4.2003 on matured as well as current investments, if received, shall be credited to income in the year of actual receipt. The maturity proceeds of investment has not been received in case of UPCSMFL, MPEB and MPSIDC.

2.4 Financial Assistance from Consumer Welfare Fund of Government for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida [Schedule O(a) – Item 1.2(a)]

2.4.1 Department of Consumer Affairs, Government of India vide letter No. 011011/34/2003-CWF dated 20.1.2003 had sanctioned and sent to BIS an assistance of Rs.150.00 lacs in financial year 2002-03 for the Infrastructure Facilities in the Training Institute Building at Noida and for training programmes on consumer protection for the Administrative Ministry. The amount spent upto year 2005-06 amounted to Rs. 149.17 lacs. The unspent balance of the assistance as on 31.3.2006 amounted to Rs. 0.83 lac which was carried over to 2006-07. The Administrative Ministry vide its letter No. 2(9)/2003-CPU dated 2.11.2004 had sanctioned utilization of unspent amount for the payment of TA/DA to the Committee members of working groups on Consumer Protection. A sum of Rs. 0.34 lac was paid as TA/DA during the year 2006-07 and charged to Consumer Welfare Fund Assistance Account.

2.4.2 An advance of Rs. 50.00 lacs was paid to M/s. NBCC Ltd. during 2003-04 for furnishing of TI Building/Hostel Rooms out of Consumer Welfare Fund Assistance Account. Out of this Rs. 44.91 lacs was adjusted, capitalized and charged to Consumer Welfare Fund Assistance Account upto 2005-06. Advances of Rs. 1.77 lacs were adjusted during 2006-07. The advances pending as on 31.3.2007 thus amounts to Rs. 3.32 lacs (that is Rs. 50.00 lacs minus Rs. 44.91 lacs minus 1.77 lacs).

2.4.3 The interest earned on short-term deposit of the unspent fund and interest credited by bank in the Saving Bank Account of this fund totalling to Rs. 0.38 lac during 2006-07 has been credited to Consumer Welfare Fund Account itself. The net unspent balance in Consumer Welfare Fund Account as on 31.3.2007 after taking into account the advances of Rs. 3.32 lacs amounts to Rs. 0.87 lac [i.e. Rs. 4.19 lacs as per **Schedule O(a) – Item 1.2(a) less** Rs. 3.32 lacs of advances yet to be adjusted **[Schedule S – Item 3(c)(iv)]**. The utilization statement for the year 2006-07 shall be sent to the Administrative Ministry after the Audit. The year-wise utilization statement is as under:

(रु. लाखों में/Rs. in lacs)

		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1.	उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में आरंभिक अधिशेष Opening Balance in C.W.F. Assistance Account	0	150.00	42.21	40.60	0.83
2.	मंत्रालय से प्राप्त सहायता Assistance received from Ministry	150.00	0	0	0	0
3.	सहायता खाते में जमा किया गया अर्जित ब्याज Interest earned credited to Assistance Account	0	4.95	0.38	1.36	0.38
4.	**योग** (1+2+3) **Total** (1+2+3)	150.00	154.95	42.59	41.96	1.21
5.	प्रयुक्त सहायता Assistance Utilized					
5.1	पूंजी Capital	0	62.74	42.41	5.03	1.77
5.2	राजस्व Revenue					
5.2.1	उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यकारी दलों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता TA/DA to Working Groups on Consumer Protection	0	0	1.99	2.44	0.34
5.2.2	प्रशासनिक मंत्रालय के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर 31.7.2005 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम Training Programme upto 31.7.2005 on Consumer Protection for the Administrative Ministry	—	—	—	36.16	0
5.3.	एनबीसीसी को अग्रिम राशियाँ Advances to NBCC	0	50.00	(42.41) (अग्रिमों का समायोजन) Adjustment of Advances	(2.50) (अग्रिमों का समायोजन) Adjustment of Advances	(1.77) (अग्रिमों का समायोजन) Adjustment of Advances
	प्रयुक्त कुल सहायता (5.1+5.2+5.3) **Total Assistance Utilized** (5.1+5.2+5.3)	0	112.74	1.99	41.13	0.34
6.	वर्ष के अंत में उपभोक्ता कल्याण निधि सहायता खाते में अव्ययित अधिशेष (4-5) Unspent balance in C.W.F. Assistance Account at the end of the year (4-5)	150.00	42.21	40.60	0.83	0.87

2.5 भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/आकलन केन्द्रों की स्थापना हेतु योजना : इस योजना का प्रचालन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, की ओर से भा मा ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। उपभोक्ता मामले विभाग ने दिनांक 30.9.2005 के अपने पत्र सं. 8/2/2004 भा मा ब्यूरो के तहत केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/आकलन केन्द्रों की स्थापना करने की योजना के दौरान योजना आरम्भ करने के लिए भा मा ब्यूरो को 50 लाख रुपए निर्मुक्त कर दिए थे। इसमें से, 6.46 लाख रुपए की राशि वर्ष 2005–06 के दौरान व्यय की गई। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार 43.54 लाख रुपए के इति शेष को वर्ष 2006–07 में अग्रेनीत किया गया। वर्ष 2006–07 के दौरान, 20.72 लाख रुपए की

2.5 Scheme for setting up of Gold Hallmarking/ Assaying Centres in India with Central Assistance: This scheme is being operated by BIS on behalf of the, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs, Govt. of India. The Department of Consumer Affairs vide its letter No. 8/2/ 2004-BIS dated 30.9.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hallmarking/Assaying Centres in India with central assistance and also released Rs. 50 lacs to BIS to commence the scheme during 2005-06. Out of this, Rs. 6.46 lacs was spent during 2005-06. The closing balance of Rs. 43.54 lacs as on

राशि व्यय की गई तथा इस विधि के बचत खाते में सिंडीकेट बैंक द्वारा दिए गए 1.36 लाख रुपए के ब्याज को स्वर्ण हॉलमार्किंग सहायता निधि खाते में ही जमा कर दिया गया। अतः 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष की राशि 24.18 लाख रुपए है (43.54 लाख रुपए जमा 1.36 लाख रुपए में से 20.72 लाख रुपए घटाए 24.18 लाख रुपए)। **[अनुसूची ओ (ए) – मद 1.2 (ख)]**

2.6 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से अनुदान : भारत सरकार, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने दिनांक 31.3.2006 के अपने पत्र संख्या 7/6/2005 – एस टी के तहत भा मा ब्यूरो की दो प्रयोगशालाओं अर्थात फ्लैट बैंगलोर तथा मोहाली में सौर लैट प्लेट संग्राहकों के लिए परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए 16.50 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया था। अनुदान दिनांक 7.4.2006 के पत्र सं.जीआईए/14/05–06/05.00.31 नकद के साथ दिनांक 31.3.2006 के चैक के तहत प्राप्त हुआ था। वर्ष 2006–07 के दौरान बैंगलोर शाखा कार्यालय ने 1.96 लाख रुपए की राशि व्यय की। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अनुदान की अव्ययित राशि 14.54 लाख रुपए थी जिसे वर्ष 2007–08 में अग्रेनीत कर दिया गया है **[अनुसूची ओ (ए) – मद 1.1 (ग)]**

2.7 मुम्बई में खाली किए गए भा मा ब्यूरो बिक्री कार्यालय के किराया मामले के संबंध में लघु मामले न्यायालय, मुम्बई को भुगतान : भा मा ब्यूरो का बिक्री कार्यालय नावेल्टी सिनेमा बिल्डिंग, ग्रांट रोड, मुम्बई – 400007 में एक किराए के भवन में था जिसके मालिक मै. गुडविल थिएटर्स प्र. लि. थे। भा मा ब्यूरो ने यह परिसर अप्रैल 2004 में खाली कर दिया था। गुडविल थिएटर्स प्रा. लि. ने 2000 का मामला सं. 60/82 दायर किया तथा लघु मामले न्यायालय मुम्बई ने 9.9.05 को डिक्री सहित एक निर्णय पारित किया तथा भा मा ब्यूरो द्वारा अदा किए जाने वाला मासिक लाख 1.6.2000 से 30.4.2004 तक 3255 वर्ग फुट के क्षेत्रफल के लिए 205 रुपए प्रति वर्ष फुट प्रति माह निर्धारित किया जिस पर आवेदन की तिथि अर्थात 27.2.2002 से मासिक लाख की सम्पूर्ण राशि के भुगतान किए जाने तक मासिक लाभ की राशि पर 6 प्रति वर्ष की दर पर ब्याज अदा किया जाना था। पारित डिक्री के अनुसार, कुल 3,66,60,598 रुपए की राशि अदा करने का निर्देश दिया गया। भा मा ब्यूरो द्वारा दायर की गई स्थगन अपील पर माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 5 के अनुसार, स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि अपीलकर्ता सम्पूर्ण डिक्री राशि न्यायालय में जमा करा दे। तार्किक डिक्री राशि के लिए अपीलकर्ता को उसके लिए बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया जा सकता है तथा चूंकि अपीलकर्ता विशेष संविधि के अंतर्गत एक सरकारी संगठन तथा इस प्रकार डिक्री तथा चूंकि अपीलकर्ता विशेष संविधि के अंतर्गत एक सरकारी संगठन तथा इस प्रकार डिक्री के अंतर्गत राशि सदैव सुरक्षित (प्रतिभूत) है। तथापि, माननीय न्यायालय ने डिक्री राशि का 50 प्रतिशत न्यायालय में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करने तथा शेष 50 प्रतिशत राशि के लिए बैंक गारंटी देने का निवेश देकर दिनांक 9.9.05 के आदेश निर्णय पर आस्थगन प्रदान कर दिया। इस प्रकार वित्तीय प्रभावों वाले निम्न लेन देन किए गए:

क) केनरा बैंक, डीडीयू मार्ग के पास भा मा ब्यूरो की 2,25,00,000 रुपए की दिनांक 31.7.2002 की सावधि जमा रसीद सं. 01/005662 पर ग्रहणाधिकार द्वारा उसके एवज में केनरा बैंक, एमआईडीसी

31.3.2006 was carried over to 2006-07. During the year 2006-07, Rs. 20.72 lacs was spent and interest of Rs. 1.36 lacs given by Syndicate Bank in the Saving Account of this fund was credited to Gold Hallmarking Assitance Fund Account itself. Therefore, the unspent balance as on 31.3.2007 amounts to Rs. 24.18 lacs (Rs. 43.54 lacs Add Rs. 1.36 lacs less Rs. 20.72 lacs = Rs. 24.18 lacs) **[Schedule O(a) – Item 1.2(b)]**.

2.6 Grant from Ministry of Non-Conventional Energy Sources : The Government of India, Ministry of Non-Conventional Energy Sources vide its letter No. 7/6/2005-ST dated 31.3.2006 had sanctioned a grant of Rs. 16.50 lakhs for setting up of test facility for Solar Flat Plate Collectors at two laboratories of BIS that is Bangalore and Mohali. The grant was received vide cheque dated 31.3.2006 with letter No. GIA/14/05-06/05.00.31/Cash dated 7.4.2006. During the year 2006-07, Bangalore Branch Office had spent Rs. 1.96 lacs. The unspent balance of grant as on 31.3.2007 amounts to Rs. 14.54 lacs which has been carried over to 2007-08 **[Schedule O(a) – Item 1.1(c)]**.

2.7 Payments to Small Causes Court, Mumbai regarding the rent case of vacated BIS Sales Office in Mumbai: BIS was having its Sales Office in a rented building at Novelty Cinema Building, Grant Road, Mumbai-400007 which was owned by M/s. Goodwill Theatres Private Ltd. BIS had vacated the premises in April 2004. A case No. 60/82 of 2000 was filed by Goodwill Theatres Private Ltd. and the Small Causes Court Mumbai passed a judgment with decree on 9.9.05 and fixed mense profit to be paid by BIS at the rate of Rs. 205 per sq, feet per month for the area of 3255 sq. ft. from 1.6.2000 to 30.4.2004 with interest @ 6% p.a. on the amount of mense profit from the date of application i.e. from 27.2.2002 till payment of entire amount of mense profit. As per the decree passed, a total sum of Rs. 3,66,60,598 was directed to be paid. On the stay appeal filed by BIS, the Hon'ble Court came to the conclusion of that as per Order 41 Rule 5 of CPC, the stay would be granted on condition that the appellant would deposit the entire decreetal in the court. For the plea decreetal amount, appellant could be directed to give bank guarantee for the same and as appellant is a Government Organization under the special statute and thereby the amount under decree is always secured. However, the Hon"ble Court was pleased to grant stay on the judgement and order dated 9.9.05 by issuing a direction to deposit 50% of decreetal amount in the Court by Demand Draft and a bank guarantee be given for the balance 50% of amount. Accordingly, the following transactions having financial implications were made:

a) A Bank Guarantee No. 01/6 of Rs. 1,83,00,000 dated 7.1.2006 for the period 9.1.2006 to 8.1.2007 in favour of Registrar Small Causes Court was

अंधेरी ईस्ट से पंजीयक लघु मामले न्यायालय के पक्ष में 9.1.2006 से 8.1.2007 की अवधि के लिए दिनांक 7.1.2006 के 1,83,00,000 रुपए की बैंक गारंटी सं. 01/6 प्राप्त की गई।

ख) पंजीयक, लघु मामले न्यायालय, मुम्बई के पक्ष में दिनांक 7.1.2006 के 9,00,000 रु. प्रत्येक के 20 डिमांड ड्राफ्ट सं. 842032 से 842051 तथा 3,60,598 रु. का डिमांड ड्राफ्ट सं. 842052, जिन की कुल राशि 1,83,60,598 रु. थी, 9.1.2006 को न्यायालय में जमा कराए जाए। 183,60,598 रुपए का यह भुगतान चालू परिसम्पत्ति ऋण तथा अग्रिम के **[अनुसूची 'एस' – मद 3 (ग) (v)]** अंतर्गत रखा गया है।

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 9.9.2005 के निर्णय को चुनौती देते हुए लघु मामले न्यायालय की दोहरी पीठ, मुम्बई के समक्ष अपील सं. 3/2006 भा मा ब्यूरो द्वारा दायर की गई। माननीय लघु मामले अपीलीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय/फैसला पारित किया गया है जिसके तहत अपील को अंशतः अनुमत किया गया है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार 6,67,272 रुपए प्रति माह के बजाए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ 5,17,500 रुपए प्रतिमाह के मासिक लाभ के संशोधन के साथ लगभग 80 लाख रुपए की राहत प्रदान की गई है। चूंकि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश भा मा ब्यूरो की प्रत्याशाओं के अनुसार नहीं है, जमा की गई राशि, जिसे प्रतिवादी संभवतः आहरित करना चाहेगा, की निर्मुक्ति के स्थगन के लिए एक आवेदनपत्र भा मा ब्यूरो के अधिवक्ता के जरिए दायर किया गया है तथा एक रिट याचिका मुम्बई में माननीय न्यायिक उच्च न्यायालय के समक्ष 8.11.2006 को दायर की गई है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि न्यायालय की छुट्टियों के पश्चात् नियत की जाएगी।

यदि भा मा ब्यूरो विषयांतर्गत मामला जीत जाता है तो वापस प्राप्त राशि को समायोजित कर दिया जाएगा अन्यथा अदा की गई राशि को व्ययों के लिए प्रभारित किया जाना अपेक्षित होगा जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।

मामले पर गलत ढंग से कार्रवाई करने के लिए 2005 की शिकायत सं. 287 भी मुम्बई में महाराष्ट्र तथा गोवा की अधिवक्ता परिषद् में वकील कल्पना आर त्रिवेदी के विरुद्ध उक्त मामले में भा मा ब्यूरो की अधिवक्ता थी। 23.3.2007 की पिछली सुनवाई के पश्चात् अधिवक्ता परिषद् द्वारा निर्णय दिया जाना प्रतीक्षित है।

2.8 भविष्य निधि खातों में घाटा : अभिदाता खातों में जमा किए गए ब्याज की कुल राशि, जो 8 प्रतिशत की दर से जमा की गई थी तथा निधि के निवेश पर अर्जित कुल ब्याज के बीच अंतर के कारण वर्ष 2006–07 के दौरान भविष्य निधि खातों में 35.92 लाख रुपए का घाटा था। लेखाकरण नीति के अनुसार भा मा ब्यूरो का व्यय माना गया है तथा लेखा शीर्ष "भविष्य निधि खाते में अंशदान" **(अनुसूची डी–मद 1)** के अंतर्गत आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है।

2.9 एनआईसी तथा बीएसएनएल को एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए समायोजनीय अग्रिम [अनुसूची एस – मद 3 (ग) (i)]

obtained from Canara Bank, MIDC Andheri East against BIS Fixed Deposit Receipt No. 01/005662 dated 31.7.02 of Rs. 2,25,00,000 (maturing on 31.7.07) with Canara Bank, DDU Marg, by making a lien on said FDR.

b) 20 Demand Drafts bearing No. 842032 to 842051 for Rs. 9,00,000 each and one DD bearing No. 842052 for Rs. 3,60,598 dated 7.1.2006 totalling Rs. 1,83,60,598 in favour of Registrar, Small Causes Court, Mumbai were deposited with the Court on 9.1.2006. This payment of Rs.1,83,60,598 has been kept under Current Asset Loan & Advances **[Schedule 'S' – Item 3(c)(v)]**.

An appeal No. 3/2006 was filed by BIS before Double Bench of Small Causes Court, Mumbai, challenging the judgement dated 09.09.2005 passed by Single Judge. A final decision/judgement has been passed by the Hon'ble Appellate Court of Small Causes, Mumbai vide which Appeal has been partly allowed and revision of mense profit @ 5,17,500 per month with 6% interest p.a. instead of Rs.6,67,272 per month as ordered earlier by the Trial Court, thereby the relief of approximately Rs. 80 Lacs have been granted. Since, the order passed by the Appellate Court is not as per the expectations of BIS, an application for Stay for release of deposited money which Respondent may likely to withdraw has been filed through BIS Advocate and a writ Petition No. 7380/06 has been filed on 8.11.2006 before the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai. The next date of hearing in this matter will be fixed after vacation of Court.

In case BIS wins the subject case, the amount received back will be adjusted else the amount paid will be required to be charged to Expenses for which provision shall be made in the Budget.

A Complaint No. 287 of 2005 has also been filed in Bar Council of Maharashtra & Goa at Mumbai against Advocate Kalpana R. Trivedi who was BIS Advocate on the above case for mishandling the case etc. The award of decision is awaited from Bar Council after last hearing on 23.3.2007

2.8 Deficit in Provident Fund Accounts There was a deficit of Rs. 35.92 lacs in Provident Fund Accounts during 2006-07 due to difference between the total amount of interest credited to subscribers accounts which was @ 8% and the total interest earned on investment of the Fund. This has been treated as expense of BIS as per the Accounting Policy and charged to Income and Expenditure Account under the account head, "Contribution to Provident Fund Account" **(Schedule D – Item 1)**.

2.9 Adjustable advances for Integrated Computerization Project [Schedule S – Item 3(c) (i)] to NIC and BSNL:

(लाख रुपए / Rs. in Lacs)

	2002–03 से 2005–06 के दौरान अदा किए गए अग्रिम **Advances paid during 2002-03 to 2005-06**	2005–06 तक समायोजित अग्रिम **Advances adjusted upto 2005-06**	2006–07 के दौरान समायोजित अग्रिम **Advances adjusted during 2006-07**	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार बकाया अग्रिम **Advances outstanding as on 31.03.07**
एनआईसी NIC	822.16	735.01	9.14	78.01
बीएसएनएल BSNL	31.36	31.36	—	—

9.14 लाख रुपए में से 3.17 लाख रुपए के संबंधित उपकरण वर्ष 2005–06 के दौरान वस्तुतः संस्थापित रिपोर्ट प्राप्त होने पर वर्ष 2006–07 के दौरान समायोजित किया गया है। अतः वर्ष 2006–07 के खातों में इस राशि पर 2005–06 तथा 2006–07 के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। 78.01 लाख रुपए की शेष बकाया अग्रिम राशि का समायोजन कम्प्यूटरों तथा संबंधित उपकरणों की संतोषजनक संस्थापना रिपोर्ट का प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।

2.10 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन (अनुसूची क्यू – मद 18) : भा मा ब्यूरो की निधियों में से एनबीसीसी के पास लंबित 0.09 लाख रुपए की राशि को वर्ष 2006–07 के दौरान समायोजित किया गया। प्रशिक्षण संस्थान भवन पर 2006–07 तक संचयी व्यय की राशि 1 111.65 लाख रुपए थी जिसमें से 803.57 लाख रुपए की राशि सरकार से प्राप्त आयोजनागत अनुदानों में से व्यय की गई है तथा शेष 308.08 लाख रुपए की राशि भा मा ब्यूरो की अपनी निधियों में से व्यय की गई है।

2.11 जयपुर में भवन (अनुसूची क्यू – मद 21) : भा मा ब्यूरो ने जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई भूमि पर पृथ्वी राज रोड, सी योजना में जयपुर में अपने स्वयं के भवन का निर्माण किया है। भवन का निर्माण परामर्शी प्रभारों का भुगतान कर राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (एनबीसीसी) (सरकारी उपक्रम) द्वारा किया गया है तथा इस पर अधिभोग (कब्जा) 2006–07 के दौरान किया गया। जयपुर भवन की कुल लागत 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार 462.09 लाख रुपए है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

लाख रुपए

(क)	स्टाम्प शुल्क सहित भूमि की लागत	154.86
(ख)	साजसज्जा तथा विविध व्ययों सहित निर्माण लागत	289.80
(ग)	एनबीसीसी को परियोजना प्रबंधन परामर्शी तथा आरेखन प्रभार	17.43
	योग	**462.09**

2.12 मानक भवन की इमारत के लिए नया केन्द्रीय ए सी संयंत्र : मानक भवन के मुख्यालय के लिए नए केन्द्रीय ए. सी. संयंत्र की संस्थापना की परियोजना वर्ष 2003–04 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया। अनुमोदित परियोजना की लागत 2.68 करोड़ रुपए थी। परियोजना कार्य एनबीसीसी द्वारा 2.55 करोड़ रुपए की

Out of Rs. 9.14 lakhs the related equipments of Rs.3.17 lacs were actually installed during 2005-06 but advances have been adjusted during 2006-07 on receipt of installation report. Therefore, the depreciation has been charged for 2005-06 and 2006-07 in the accounts of 2006-07 on this amount. The remaining outstanding advances of Rs. 78.01 lacs shall be adjusted after receipt of certificate of satisfactorily installation report of computers and related equipments.

2.10 Training Institute Building at Noida (Schedule Q – Item 18) : The pending advance of Rs. 0.09 lacs with NBCC from BIS funds was adjusted during 2006-07. The cumulative expenditure upto 2006-07 on Training Institute Building amounted to Rs. 1 111.65 lacs out of which Rs.803.57 lacs has been spent out of the Plan Grants received from the Government and the balance of Rs. 308.08 lacs from BIS own Fund.

2.11 Building at Jaipur (Schedule Q – Item 21) : BIS has constructed its own building in Jaipur at Prithvi Raj Road, C Scheme on land given by Jaipur Development Authority. The Building has been constructed by National Building Construction Corporation Limited (NBCC) (a Government undertaking) on payment of consultancy charges and was occupied during 2006-07. The total cost of the Jaipur building amounts to Rs. 462.09 lacs as on 31.3.2007 with break-up as under:

Rs. in Lacs

(a)	Land Cost including stamp duty	154.86
(b)	Construction cost including furnishing and misc. expenses	289.80
(c)	Project Management Consultancy and drawing charges to NBCC	17.43
	Total	**462.09**

2.12 New Central AC Plant for Manak Bhawan Building : The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhawan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant (PMC) for the project. The cost of the project approved was Rs. 2.68 crores. The project work was awarded to M/s. Arief Engineers

2.16 लाभकारी निधि [अनुसूची ओ (ए) – मद 2 (क)] : 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार लाभकारी निधि में 8.30 लाख को धारा शेष दर्शित होता है जो भा मा ब्यूरो खाते से लाभकारी निधि में राशि के अस्थायी अंतरण के कारण है। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार लाभकारी निधि द्वारा भा मा ब्यूरो को 8.63 लाख रुपए की राशि देय है जिसे वसूली योग्य खाते (अन्य) के अंतर्गत शामिल किया गया है **[अनुसूची एस – मद (3) (घ) (iii)]**।

2.17 अनुसूची 'एस' के अंतर्गत वूसली योग्य खाते (अन्य) – 'वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम' [मद 3 (घ) (iii)] में कानपुर शाखा कार्यालय में स्वर्गीय श्री डी. के. चड्ढा प्रवर श्रेणी लिपिक द्वारा दुर्विनियोजित की गई 5,17,450 रुपए की राशि शामिल है। ब्यूरो ने मृत्यु उपदान तथा अवकाश नकदीकरण के भुगतान को रोक लिया है। कानपुर शाखा कार्यालय के अनुभाग अधिकारी श्री एस. एस. त्रिपाठी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है।

2.18 अनुसूची 'एस' [मद 3 (घ) (i)] के अंतर्गत वसूलनीय राशि (कर्मचारी) में निलम्बाधीन श्री मोहन सिंह, प्रवर श्रेणी लिपिक द्वारा कथित रूप से की गई जालसाजी/गबन के 12000 रुपए शामिल है। एक एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज की गई थी तथा मामला दिल्ली पुलिस की अभियोजन शाखा के संवीक्षाधीन है जिसे तत्पश्चात् दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। उप महानिदेशक (केन्द्रीय क्षेत्र), जो इस मामले में प्रशासनिक प्राधिकारी है, द्वारा श्री मोहन सिंह के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक जाँच की जा रही है।

2.19 यूएनडीपी सहायता (अनुसूची टी – मद 6) : भा मा ब्यूरो को हेलन विकल्पों संबंधी भारतीय मानकों के निर्धारण के लिए यूएनडीपी से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी। 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार, यूएनडीपी सहायता खाते के अंतर्गत आरंभिक अधिशेष 3,67,045.00 रुपए था। वर्ष 2006–07 के दौरान 1,56,493.00 रुपए की राशि व्यय हुई जिससे 2,10,552.00 रुपए की अव्ययित शेष राशि बच गई।

2.20 अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बट्टे खाते डाल दिए जाने के पश्चात आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित कर दिया जाता है। वर्ष 2006–07 के दौरान, 60,944.00 रुपए के अशोध्य ऋण बट्टे खाते डाले गए थे तथा उन्हें **अनुसूची एम – मद 9** में दर्शाया गया है।

2.21 आवेदन पत्र, नवीकरण शुल्क तथा वार्षिक लाइसेंस शुल्क की दरों में संशोधन करने के ईसी के निर्णय को क्रियान्वित न करने के कारण प्रमाणन कर्जदार [अनुसूची एम – मद 2(ग)] : कुल वसूली योग्य राशि 242.13 लाख रुपए बैठती है जिसमें से 197.51 लाख रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार वसूली योग्य शेष राशि 44.62 लाख रुपए बैठती है जिसे बट्टे खाते डालने के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार किया जाना है।

2.22 आयकर छूट : भा मा ब्यूरो को निर्धारण वर्षों 2004–05 से 2006–07 के लिए अधिसूचना सं. 85/2006 दिनांक 28 मार्च, 2006 के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था तथा इसकी आय आयकर से छूट प्राप्त है। भा मा ब्यूरो ने आयकर विभाग से निर्धारण वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए समान प्रकार की

2.16 Benevolent Fund [Schedule O(a) – Item 2 (a)] : The Benevolent Fund as on 31.3.2006 shows a debit balance of Rs. 8.30 lakh which is due to the temporary transfer of amount to the Benevolent Fund from BIS Account. As on 31.3.2007, the Benevolent Fund owes Rs. 8.63 lakh to BIS which has been included under Accounts Recoverable (others) **[Schedule S – Item (3)(d)(iii)]**.

2.17 The Accounts Recoverable (Others) under Schedule 'S' – 'Current Assets, Loans & Advances' [Item 3(d)(iii)] includes Rs. 5,17,450 misappropriated by Late Shri D.K. Chadha, UDC, in Kanpur Branch Office. Bureau has withheld the payment of death gratuity and leave encashment. The disciplinary proceedings initiated against Shri S.S. Tripathi, Section Officer, Kanpur Branch Office are under progress.

2.18 Accounts Recoverable(Employees) under Schedule 'S' [Item 3(d)(i)] includes Rs. 12,000 towards forgery/embezzlement allegedly committed by Shri Mohan Singh, UDC who is under suspension. A FIR was registered and the case is under scrutiny in the prosecution branch of Delhi Police which will thereafter be filed in the Court by Delhi Police. The departmental disciplinary enquiry is being undertaken against Shri Mohan Singh by Deputy Director General (Central Region), the disciplinary authority in this case.

2.19 UNDP Assistance (Schedule T – Item 6) : BIS had received financial assistance from UNDP for formation of Indian standards on Halen Alternatives. The opening balance as on 1.4.2006 under the UNDP Assistance Account amounted to Rs. 3,67,045.00. The expenditure during 2006-07 amounted to Rs.1,56,493.00 leaving an unspent balance of Rs. 2,10,552.00.

2.20 Provision for Bad and Doubtful Debts: No provision is made for Bad and Doubtful Debts. The Bad Debts are charged to Income & Expenditure Account after the same are written off by the competent authority. During 2006-07 bad debts of Rs. 60,944.00 were written off and have been shown at **Schedule M – Item 9**.

2.21 Certification Debtors due to non-implementation of EC's decision to revise the rates of Application, Renewal Fee and Annual Licence Fee [Schedule S – Item 2(c)] : The total recoverables amounted to Rs. 242.13 lacs out of which Rs. 197.51 lacs have been recovered. The remaining amount recoverable as on 31.3.2007 amounted to Rs. 44.62 lacs which is to be considered by EC for writing off.

2.22 Income-tax Exemption : BIS was notified under Section 10(23C)(iv) of the Income-tax Act 1961, vide Notification No. 85/2006 dated 28 March 2006 for the Assessment Years 2004-05 to 2006-07 and its income is exempted of Income-tax. BIS has applied to the Income Tax Department for similar exemption for the assessment

छूट के लिए आवेदन किया है जो विचाराधीन है। भा मा ब्यूरो ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), वित्त मंत्रालय से भी अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से एक स्थायी कर छूट के लिए अनुरोध किया है। निर्णय प्रतीक्षित है।

2.23 आय एवं व्यय लेखे में अतिशेष राशि : आय एवं व्यय लेखे में 2860.04 लाख रुपए की अतिशेष राशि को पूँजी निधि में अग्रेनीत कर दिया गया है **(अनुसूची एन – मद v)**।

2.24 विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।

year 2007-08 to 2009-10 which is under consideration. BIS has also requested to Central Board of Direct Taxes (CBDT), Ministry of Finance through its administrative ministry for a permanent tax exemption. Decision is awaited.

2.23 Surplus in Income & Expenditure Account : The surplus of Rs. 2860.04 lacs in the Income & Expenditure Account has been carried to Capital Fund **(Schedule N – Item v)**.

2.24 The previous year figures have been re-grouped wherever found necessary to make them comparable with current year figures.

परिशिष्ट-II
APPENDIX-II

31.3.2007 के अनुसार निवेश के विवरण
DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31.3.2007

(रुपये लाखों में / Rupees in Lacs)

1. भा मा ब्यूरो धनराशियों के निवेश
INVESTMENT OF BIS FUNDS

1.1 बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश
Investment with PSUs & Financial Institutions Other than Banks in Bonds & Deposits

क्र. सं. / Sl No.	संस्था का नाम / Name of Institution	लागत पर निवेश / Investment at Cost	निवेश का निर्दिष्टात्मक बाजार मूल्य* / Indicative Market Value of Investment*
i)	हाउसिंग अरबन डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हुडको) / Housing Urban Development Corporation (HUDCO)	52.93	52.93
ii)	आईडीबीआई बैंक / IDBI Bank	100.00	102.03
iii)	इंडस्ट्रियल फायनेंस कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (आईएफसीआई) (*देखें* टिप्पणी 2.36) / Industrial Finance Corporation of India Ltd. (IFCI) (*see* Note 2.36)	80.00	80.00
iv)	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (*देखें* टिप्पणी 2.3.5) / Madhya Pradesh State Electricity Board (*see* Note 2.3.5)	100.00	100.00
v)	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (एमपीएसआईडीसी) (*देखें* टिप्पणी 2.3.5) / M.P. State Indl. Dev. Corpn. (MPSIDC) (*see* Note 2.3.5)	300.00	300.00
vi)	उ.प्र. को-ओप. कताई मिल फेडरेशन लि. (यूपीसीएसएमएफएल) (*देखें* टिप्पणी 2.3.5) / U.P. Co-op. Spg. Mills Fed. Ltd. (UPCSMFL) (*see* Note 2.3.5)	200.00	200.00
vii)	यूटीआई (कर मुक्त बांड) / UTI (Tax Free Bond)	10.55	10.29
	योग / TOTAL	**843.48**	**845.25**

1.2 बैंकों में सावधि जमाराशियाँ
	Investment with Banks in Fixed Deposits	**36187.70**	**36187.70**
	योग TOTAL (1)	**37031.18**	**37032.95**

कुल निवेश आबंटित
Total Investment Allocated Towards

क) a)	पेंशन देयता खाता / Pension Liability Account	35703.15
ख) b)	अंशदायी नई पेंशन योजना / Contributory New Pension Scheme	31.17
ग) c)	सामान्य निवेश – पूंजी कोष / General Investment – Capital Fund	1296.86
	योग (1) TOTAL (1)	37031.18

2 कर्मचारी कोष के निवेश
INVESTMENT OF EMPLOYEES FUNDS

2.1 सामान्य भविष्य कोष
General Provident Fund

i)	विशेष जमा में निवेश (आरबीआई) / Investment in Special Deposit (RBI)	3127.09	3127.09
ii)	भारत सरकार में प्रतिभूतियाँ / Government of India Securities	1039.28	965.50

iii)	राज्य सरकार में प्रतिभूतियाँ State Government Securities	804.34	754.29
iv)	बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थाओं में बांडों तथा जमाराशियों में निवेश Investment with PSUs & Financial Institutions other than Banks in Bonds & Deposits		
	क) आईडीबीआई a) IDBI	520.09	467.60
	ख) मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एमपीएसआईडीसी) (*देखें* टिप्पणी 2.3.5) b) M.P. State Indl. Devp. Corp. (MPSIDC) (*see* Note 2.3.5)	45.00	45.00
	ग) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. c) Power Finance Corporation Ltd.	79.34	70.67
	घ) हुडको d) HUDCO	115.28	107.14
v)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बांड Public Sector Bank Bonds	697.44	598.69
vi)	बैंकों में सावधि जमा Fixed Deposits with Banks	90.00	90.00
	योग TOTAL (2)	**6517.86**	**6225.98**

3 निवेश – अन्य
INVESTMENT – OTHERS

3.1	एबीओ भवन परियोजना–सिंडिकेट बैंक ABO Building Project–Syndicate Bank	13.00	13.00
3.2	योजना परियोजनाएँ –केनरा बैंक अल्पावधि Plan Projects–Canara Bank Short-term	4.47	4.47
	योग TOTAL (3)	**17.47**	**17.47**
	महा योग GRAND TOTAL (1+2+3)	**43566.51**	**43276.40**

टिप्पणी : *निवेशों का बाज़ार मूल्य भा मा ब्यूरो के निधि प्रबंधक मैसर्स आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि., मुम्बई के पत्र सं. आईसी/बीआईएस/एफडी दिनांक 15.5.2007 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि. द्वारा बताया गया है कि बाज़ार की परम्पराओं के अनुसार, प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया जहाँ बाजार मूल्य उपलब्ध थे अथवा यदि बाज़ार मूल्य उपलब्ध नहीं हैं वहाँ अंकित/क्रय मूल्य पर किया गया। आईएफसीआई, एमपीईबी, एमपीएसआईडीसी, हुडको और यूपीसीएमएफएल के संदर्भ में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

समुच्चय उद्धृत निवेश	= 3366.32 लाख रुपए (बाजार मूल्य 3076.21 लाख रुपए)
समुच्चय अनुद्धृत निवेश (सावधि जमा सहित)	= 40200.19 लाख रुपए
कुल निवेश	= 43566.51 लाख रुपए

Note: ** Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd., Mumbai vide their letter No. IC/BIS/FD dated 15.5.2007. According to IDBI capital the securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of IFCI, MPEB, MPSIDC, HUDCO and UPCSMFL.*

The break-up is as follows:

The aggregate quoted investment	*= Rs. 3366.32 lacs (Market value Rs.3076.21 lacs).*
The aggregate unquoted investment (including fixed depsoits)	*= Rs. 40200.19 lacs*
Total Investment	= Rs. *43566.51 lacs*

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, ए.जी.सी.आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली – 110002

लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने 31 मार्च 2007 को भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय लेखा की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 20 शाखा कार्यालयों, 4 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं एक केन्द्रीय प्रयोगशाला के लेखे सम्मिलित हैं । इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व भारतीय मानक ब्यूरो के प्रबंधन का है। मेरा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

मैंने अपनी लेखापरीक्षा लागू नियमों और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत बयानियों से मुक्त है, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए मैं योजना बनाता हूँ और लेखापरीक्षा करता हूँ। लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर जाँच, रकमों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल है । मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी लेखापरीक्षा मेरी राय के लिए एक उचित आधार मुहैया करती है।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मैं सूचित करता हूँ कि:

1. मैंने सभी सूचना और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए हमारे लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, को प्राप्त कर लिया है।
2. संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अभ्युक्तियों के अध्यधीन मैं सूचित करता हूँ कि इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र, आय–व्यय लेखा उपर्युक्त रूप से तैयार किए गए हैं और लेखाओं की बहियों से मेल खाते हैं।
3. मेरी राय में ओर मुझे दी गई सर्वोत्तम सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार :
   (i) लेखे निर्धारित फार्मेट के अंतर्गत अपेक्षित सूचना देते हैं।
   (ii) कथित तुलन पत्र लेखाकरण नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित आय–व्यय लेखा और इसके साथ संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य विषय सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।
   (क) जहाँ तक यह 31 मार्च 2007 का भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; और
   (ख) जहाँ तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय–व्यय लेखा से संबंधित है।

हस्ता/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 नवम्बर, 2007

(के. आर. श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT ECONOMIC & SERVICE MINISTRIES, A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

AUDIT CERTIFICATE

I have audited the attached Balance Sheet of Bureau of Indian Standards, New Delhi as at 31 March 2007 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date. These financial statements include the accounts of 20 branch offices, 4 regional offices and a Central Laboratory. Preparation of these financial statements is the responsibility of the BIS management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I have conducted my audit in accordance with applicable rules and the auditing standards generally accepted in India. These standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

Based on our audit, I report that:

1. I have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
2. Subject to the observations in the Audit Report annexed herewith, I report that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are properly drawn up and are in agreement with the books of accounts.
3. In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me:
   (i) The accounts give the information required under the earlier prescribed format of accounts;
   (ii) The said Balance Sheet, Income and Expenditure Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon, and other matters mentioned in the Audit Report annexed herewith, give a true and fair view.
      (a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the State of affairs of the BIS as at 31 March 2007; and
      (b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Sd/-
(K.R. SRIRAM)
Principal Director of Audit
Economic & Service Ministries

Place : New Delhi
Date : 16 November 2007

वर्ष 2006–07 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. परिचय

भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) की स्थापना 1 अप्रैल 1987 को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधिनियम के साथ, सांविधिक निकाय के रूप में हुई । इसने पूर्ववर्ती भारतीय मानक संस्थान की सभी गतिविधियाँ जैसे गुणता आश्वासन पर उत्पाद प्रमाणन, परामर्श सेवाएँ, परीक्षण आदि को संभाला । ब्यूरो के 20 शाखा कार्यालय, चार क्षेत्रीय कार्यालय और साहिबाबाद (उ. प्र.) में एक प्रयोगशाला है ।

ब्यूरो के कार्यकलापों के लिए वित्त प्रमाणन मुहर से प्राप्त शुल्क, लाइसेंस शुल्क, प्रकाशनों की बिक्री और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान से प्राप्त होता है ।

ब्यूरो के लेखों की लेखा परीक्षा भारतीय मानक अधिनियम, 1986 की धारा 22 (2) के साथ पठित नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के खंड 19 (2) के अंतर्गत की गई।

2. लेखों पर टिप्पणियाँ

2.1 तुलनपत्र

2.2 देयताएँ

2.2.1 गैर प्रावधान गत देयताएँ – रू 5.15 लाख

रू 5.15 लाख के परीक्षण शुल्क का बिल भा मा ब्यूरो के भोपाल शाखा कार्यालय से लंबित था, लेकिन वर्ष के लिए देयताओं का प्रावधान लेखा में नहीं दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक व्यय और चालू परिसम्पत्तियों की न्यूनोक्ति हुई।

2.3 परिसम्पत्तियाँ

2.3.1 विविध देनदारी (प्रमाणन) – रु. 67.17 लाख

भोपाल शाखा कार्यालय में 1991–1995 (रू 0.74 लाख), 1997–1999 (रू 0.11 लाख) की अवधि की प्रमाणन शुल्क की मद में रू 0.85 लाख की देनदारी वसूली योग्य है और जो देनदारी संदिग्ध है उसे अलग दिखाया जाना चाहिए था, परंतु इसे नहीं दिखाया गया।

3. सामान्य

3.1 भा मा ब्यूरो ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार लेखा के स्वीकृत प्रारूप में वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया है ।

3.2 अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन

वर्ष के दौरान कोलकता में अचल परिसम्पत्तियों और उपभोग्य सामान और वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जिसके अभाव में

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF BUREAU OF INDIAN STANDARDS FOR THE YEAR 2006-07

1. INTRODUCTION

The Bureau of Indian Standards (BIS) was established as a statutory body with effect from 1 st April,1987 with the enactment of Bureau of Indian Standards Act, 1986. It took over all activities, viz. product certification on quality assurance, consultancy services, testing etc, of the erstwhile Indian Standards Institution. The Bureau has twenty branch offices, four regional offices and one Central Laboratory at Sahibabad (U.P).

The activities of the Bureau are financed from receipt of fees from Certification Mark, Licence Fees, Sale of publications and grant from Central Government. During 2006-07, no grant was received from the Central Government.

The audit of the accounts of the Bureau was conducted under Section 19(2) of Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) of Bureau of Indian Standards Act, 198

2. COMMENTS ON ACCOUNTS

2.1 Balance Sheet

2.2 Liabilities

2.2.1 Non-provision of Liabilities – Rs. 5.15 lacs

Bills of testing fees to the extent of Rs. 5.15 lakh were pending at BIS Branch office BPLBO, Bhopal for paymen in respect of BPLBO, but provision for the liabilities for the year was not provided in the accounts. This has resulted in under statement of expenditure and current liabilities to that extent.

2.3 Assets

2.3.1 Sundry Debtors (Certification) – Rs. 67.17 lacs

In BPLBO, Bhopal branch, Sundry debtors on account o certification fee to the extent of Rs. 0.85 lakh pertaining to the period 1991-1995 (Rs. 0.74 lakh), 1997-1999 (Rs. 0.11 lakh) considered good for recovery and those considered doubtful should be shown separately, but the same were not so shown.

3. GENERAL

3.1 The BIS did not prepare annual accounts in Uniform Format of Accounts prescribed by Ministry of Finance.

3.2 Physical Verification of Fixed Assets

Physical verification of Fixed Assets and consumab goods and materials has not been conducted in ER Kolkata during the year, in the absence of whic

ऑडिट में परिसम्पत्तियों की मात्रा की परिशुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

3.3 उपभोक्ता शेष (प्रमाणन) रू. 81.23 लाख

इसमें 2000–01 से 2003–04 से भोपाल शाखा कार्यालय में रू. 1.61 लाख की बेदाग राशि शामिल है। 3 वर्षों से अधिक समय की इस बेदाग राशि को अन्य आय द्वारा लेखा में समायोजित किया जाए।

3.4 प्रबंधन को उन कमियों की सुधारात्मक/उपचारी कार्यवाही के लिए अलग से एक पत्र भेजा गया है, जिन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सका है।

हस्ता0
(के. आर. श्रीराम)
प्रधान लेखा परीक्षा आर्थिक
एवं सेवा मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 नवम्बर 2007

correctness of the amount of Assets could not be verified in audit.

3.3 Customer Balance (Certification) Rs. 81.23 lacs

This includes unclaimed deposits of Rs. 1.61 lakh at BPLBO, Bhopal since 2000-01 to 2003-04 the unclaimed amount for over 3 years needs adjustment in the account by treating miscellaneous income.

3.4 A Management letter containing other deficiencies which could not be included in this report has been issued to the management separately for corrective/remedial action.

Sd/-
(K.R. SRIRAM)
Principal Director of Audit
Economic & Service Ministries

Place : New Delhi
Date : 16 November 2007